पंचपं माला, खंड 29, ग्रंक 6 सोमवार, 30 जुलाई 1973/8 श्रावण 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIX No. 6. Monday, July 30, 1973/Sravana 8, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[वां सत्र]

Eighth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 29 में ग्रंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

17 LSS/73—1.

विषय सूची CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 30 जुलाई, 1973/8 श्रावण, 1895 (शक)

No. 6, Monday, July 30, 1973/Sravana 8, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
101	विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन	Implementation of Land Reform Laws in different States	1
106	गंदी बस्तियों के सुधार की योजना	Scheme for Slum Improvement . .	7
107	स्वायत्त-शासी कालेजों संबंधी योजना	Scheme of Autonomous Colleges . .	10
108	अनाज की व्यवस्था करने में असमर्थ होने के कारण कोरापुट, उड़ीसा में बच्चों की बिक्री तथा एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या	Sale of Children and Suicide by a person in Koraput, Orissa due to inability to provide Food	12
111	दिल्ली में खाद्य पदार्थों के नमूनों तथा अपमिश्रण के मामलों संबंधी कार्य को निबटाने में प्रशासनिक व्यवस्था की शिथिलता	Slackness of Government Machinery in dealing with Food Samples and Adulteration cases in Delhi.	13
112	अनाज के अधिकतम उत्पादन के लिये चयनात्मक दृष्टिकोण	Selective Approach for Maximising Food Production	16
114	सरकार एजेंसियों के माध्यम से आधारभूत उपयोग वस्तुओं का वितरण	Distribution of Basic Consumer Goods through Government Agencies . .	17
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
102	दिल्ली के कालेजों में दाखिला	Admission in Colleges in Delhi .	19
104	गुजरात के लिए वर्ष 1973-74 के लिये गेंहू की सप्लाई	Supply of Wheat to Gujarat for the year 1973-74	19
105	पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मछली का उत्पादन	Fish production of West Bengal and Orissa	20

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
109	गत तीन महीनों में केरल को सप्लाई किया गया चावल	Rice supplied to Kerala during last three months	20
110	शिक्षा के विकास के लिये पांचवीं योजना के किये गये नियतन की अनुपूर्ति के लिये धन जुटाने के लिये भूराजस्व अथवा भवनों पर उप-कर लगाना	Imposition of cess on Land Revenue or building for supplementing Fifth Plan allocation for development of education	21
113	कोचीन में 'सुपर टैंकर बर्थ' का निर्माण	Construction of Super Tanker Berth in Cochin	21
115	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परियोजना संयोजकों तथा निदेशकों की बैठक	Meeting of Project Co-ordinators and Directors of Indian Council of Agricultural Research	21
116	कृषि श्रमिकों संबंधी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Agricultural Labourers	22
117	गेंहू तथा दालों, कपास और तिलहनों के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े	Comparative figures of production of wheat and dals, cotton and oilseeds . .	22
118	भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण का पुनर्विलोकन	Review of functioning of Food Corporation of India	22
119	वनस्पति की कमी को ध्यान में रखते हुए खाद्य-तेल का आयात	Import of Edible Oil in view of shortage of Vanaspati	23
120	ताप्ती में जहाज निर्मण कारखाना बनाने के बारे में गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई अध्ययन रिपोर्ट	Submission of study Report by Gujarat Government regarding setting of Shipyard at Tapti	23
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
1001	कन्नुर (केरल) के निकट बलिया-पट्टम नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge Across Balia-Pattam River Near Cannanore, Kerala	24
1002	मध्य प्रदेश में सामूहिक फार्म स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध	Request for Central Assistance for setting up collective Farms in Madhya Pradesh	24
1003	मध्य प्रदेश सरकार का आपातकालीन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम	Emergent Food production Programme of Madhya Pradesh	24
1004	मध्य प्रदेश में भूमिगत जल से रहित भूमिका कृषि योग्य बनाया जाना	Reclamation of Land Deovid of Underground Water in Madhya Pradesh .	25
1005	उत्तर प्रदेश में भूराजस्व तथा तकावी ऋणों आदि की उगाही	Recovery of Arrears of Land Revenue and Taccavi Loans in Uttar Pradesh . .	25
1006	खाद्यान्नों के आयात के लिए लाइसेंसों को जारी करना	Issue of Licences for Import of Foodgrains	25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1007	दिल्ली में परिवार-नियोजन संस्थान उपनिदेशक का पद	Post of Deputy Director in the Institute of Family Planning at Delhi . .	25
1008	केरल में काजू की खेती का विकास करने के लिये वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance for the Development Cashew Cultivation in Kerala . .	26
1009	मुर्गी के अंडों के उत्पादन का लक्ष्य	Targets for production of Hen Eggs. .	27
1010	नियंत्रित मूल्य पर वनस्पति घी बेचने के लिये दिल्ली में दुकानों का आवंटन	Allotment of Shops in Delhi for Sale of Vanaspati Ghee at Control Prices . .	27
1011	दिल्ली में गेहूं बेचने के लिए लाइसेंस शुदा व्यापारी .	Licence Holders for sale of wheat in Delhi	27
1012	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्यों से धन एकत्र करना	Collection of Money from Members of Delhi School Teachers Cooperative House Building Society . . .	28
1013	दिल्ली स्कूल अध्यापक सरकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड के सदस्यता संबंधी रिकार्ड में गड़बड़ करना	Tempering of the Record of Membership of Delhi School Teachers Co-operative House Building Society . . .	28
1014	अफगानिस्तान का भारत से प्रोफेसर भेजने का अनुरोध	Afghanistan's Demand for Professors from India	29
1015	दिल्ली में पानी की सप्लाई में बाधा पड़ने से जनता को कठिनाई	Hardship due to Interruption in Supply of Water in Delhi	29
1016	कलकत्ता के बाजार में मूँगफली के तेल का मूल्य	Price of Ground Nut Oil in Calcutta Market	29
1017	त्रिपुरा में राशन की सप्लाई	Ration Supplies in Tripura . . .	30
1018	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता को एक स्थान पर लगाने संबंधी नियम	Rules for posting of an Executive Engineer in C.P.W.D. at one place . . .	31
1019	डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में क्वार्टरों के घटिया निर्माण के विरुद्ध जांच	Enquiry against Inferior Construction of Quarters in DIZ Area, New Delhi .	31
1020	समाज कल्याण विभाग, दिल्ली में अनियमितता	Irregularity in Department of Social Welfare, Delhi	31
1021	अरलमस्टेट फार्म, केरल में श्रमिक प्रबंधक संबंध	Labour Management relations in Aralam State Farm, Kerala	32
1022	दिल्ली के रैन बसेरों में भिखारियों से जबरन मजूरी करवाया जाना	Employment of Beggars as Forced Labourers in Delhi's Rehabilitation Homes .	32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1023	पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों के दीर्घावधि पट्टे की बिक्री किये जाने के विरुद्ध शिकायतें	Complaints regarding the Sale of Long-term leases of Mosques by Punjab Wakf Board	33
1024	वर्तमान पंजाब वक्फ बोर्ड की सामान्य अवधि	Normal Terms of the existing Punjab Wakf Board	33
1025	सरकारी स्कूल शिक्षक संघ की मांगे	Demands of Government School Teachers' Association	34
1026	'रिटेंल सेंटर्स आफ एजूकेशन'	'Retail Centres of Education'	34
1027	बिजली की कमी के कारण कृषि उत्पादन में हानि का अनुमान	Assessment of Loss of Production in Agriculture due to Shortage of Power .	35
1028	उर्वरकों का प्रति एकड़ औसत उपयोग	Average use of Fertilizers per acre . .	35
1029	उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के चीनी मिलों के क्षेत्रों में सिंचित भूमि	Irrigated Area in Sugar Factory Zones in U.P. and Maharashtra . . .	35
1030	बाजार में प्रचलित बुराइयों को दूर करने और अधिनियम को समान रूप से लागू करने के लिए औषध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव	Proposal to amend the Drug Control Act to prevent Marketing Evils and ensuring Uniformity in Enforcement . .	36
1032	बाढ़ों और नदियों के किनारों पर रेत जमने को कम करने के उद्देश्य से वनरोपण	Afforestation scheme for Reduction of Floods and Silting of River Beds .	37
1033	गुजरात में भावनगर के गांवों में पानी का अकाल	Water Famine in Bhavnagar Villages in Gujarat	37
1034	मैसूर को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Mysore .	37
1035	किसानों को सस्ती दरों पर पानी की सप्लाई	Supply of Water to Farmers at Cheap Rates	38
1036	आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी का कृषि कार्यों पर प्रभाव	Effect of shortage of power in Andhra Pradesh on Agricultural Operations .	38
1037	मैसूर के गुलबर्गा जिले में खाने के तेलों की मांग	Demand of Edible Oils in Gulbarga, Mysore	38
1038	प्रधान मंत्री के निवास के निकट अंधे छात्रों का धरना	Dharna by Blind Students near Prime Minister's House	39
1039	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi . . .	39
1040	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कर्मचारी की मांग	Demand of National Book Trust Employees Union	40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1041	निर्धनता और सूखे के कारण बच्चों के बेचे जाने के बारे में उड़ीसा के एक भूतपूर्व मंत्री का उड़ीसा के राज्यपाल को पत्र	Letter from Ex-Minister of Orissa to Governor Re. Sale of Children due to poverty and Drought	41
1042	अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में बंगला भाषा का पढ़ाया जाना	Teaching of Bengali Language in Andaman and Nicobar Islands	42
1043	उर्दू के संवर्धन के लिये समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee for Promotion of Urdu	42
1044	बहराइच (उत्तर प्रदेश) में कृषि के लिए मार्गदर्शी परियोजना	Pilot Project in Agriculture in Bahraich (U.P.)	43
1045	आंध्र-प्रदेश से पडौसी राज्यों को मोटे अनाज का चोरी छिपे भेजा जाना	Smuggling of Coarse Grains from Andhra Pradesh to Neighbouring States . .	43
1046	'आवास' को संविधान की अनुवर्ती सूची में शामिल करना	Inclusion of Housing in the concurent List of the constitution	43
1047	कलकत्ता में एक राष्ट्रीय थियेटर की स्थापना	Setting up of a National Theatre in Calcutta	44
1048	खाद्यान्नों और औषधियों में मिलावट के विरुद्ध देश-व्यापी अभियान	Countrywide Drive against Adulteration of Food Stuffs and Drugs . . .	44
1049	मै० कोर्स इंडिया लि० द्वारा सप्लाई की गई स्टेशनरी के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Stationery supplied by M/s. Kores India Ltd. . . .	47
1050	बंगलौर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान में नियुक्ति	Appointments in Indian Institute of Management, Bangalore	47
1051	माडर्न, बेकरी, हैदराबाद में श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या	Category wise Number of Employees in Modern Bakery, Hyderabad . .	47
1052	खाद्यान्न राज-सहायता	Food Subsidy .	48
1054	खाद्य तेलों के आयात के लिए विदेशी-मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Edible Oils	49
1055	मई और जून, 1973 में दिल्ली में आवश्यक खाद्यान्नों के भाव	Prices of Essential Foodgrains during May and June, 1973 in Delhi . . .	49
1056	खाद्यान्नों का मूल्य और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए योजना	Scheme to Arrest Further Increase in Price of Foodgrains	50
1057	बंगला देश से मछली के आयात को गैरसरकारी क्षेत्र को सौंपना	Handling Over of Import of Fish from Bangladesh to Private Sector . .	50
1058	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधीन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश	Admission in Educational Institutions under Central Universities.	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1059	कलकत्ता पत्तन और मद्रास या विशाखापत्तनम से बंगला देश तक माल-भाड़ा दर	Freight Rate from Calcutta Port and Madras or Vizag Port to Bangladesh.	51
1060	कलकत्ता पत्तन पर डिलीवरी की जाने वाली अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का अन्य पत्तनों पर भेजा जाना	Diversion of Items Meant for Delivery or Export from Calcutta Port to other Ports	51
1061	कलकत्ता पत्तन पर माल यातायात	Cargo Traffic at Calcutta Port. .	52
1062	भारतीय किसान संघ द्वारा सरकार को अनाज न बेचने का आन्दोलन चलाना	No sale to Government Compaign by Farmers Federation of India . .	54
1063	सिओल में एशिआई खेल-कूद और उलान बटोर में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in Asian Atheletics meet at Seoul and Asian Wrestling Championships at Ulan Bator . .	54
1064	उत्तर प्रदेश में एक से पांच वर्ष के आयु-समूह के बच्चों में अन्धेपन को रोकने संबंधी पांच लाख रुपये की योजना	Rs. 5 lahks scheme for prevention of blindness among children of one to five years in U.P.	55
1065	अन्तर्राज्यीय परमिट जारी करने के लिये अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को अधिकार देना और कर छूट लागू करना	Authority to inter-State Transport Commission to issue inter state permits and introduction of tax exemption . .	55
1066	गजियाबाद सुधार मण्डल की राजनगर बस्ती	Raj Nagar Colony of Ghaziabad Improvement Trust	56
1067	उड़ीसा के किसानों को अपना गेहूं सरकारी ऐजेंसी को बेचने के लिए प्रोत्साहन देना	Incentive to farmers of Orissa to sell their wheat to Government Agency . .	57
1068	माडल स्कूलों की योजना में सुधार	Modification of Scheme of Model Schools	57
1069	कुरुचि (केरल) में होम्यो अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना	Setting up of Homoeo Research Institute in Kuruchi (Kerala)	57
1070	केरल सरकार को अपने 'एक लाख मकान' कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता	Central help to government of Kerala for their one-lakh Housing programme .	58
1071	कोचीन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के छात्रों को छात्रवृत्तियां देना	Grant of scholarship to students of Hindi Department of Cochin University .	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1072	26 मई, 1973 के पेट्रियट में "व्हीट स्मगलर गोज स्कोट-फ्री: इन्फ्ल्यूएंस पेज़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned "wheat smuggler goes scot free influence pays" in patriot dated 26th May, 1973	59
1073	दिल्ली परिवहन निगम की बसों के मिस किये जाने वाले ट्रिपों की दैनिक संख्या	DTC Bus Trips missed every day . .	59
1074	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती और पदोन्नति	Recruitment and promotion in IARI through Union Public Service Commission	61
1075	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान-अनुदानों में कटौती करना	Cutting down of Research grants by ICMR	61
1076	पिछड़े क्षेत्रों में नये मैडिकल कालेज	New Medical colleges in backward Areas	61
1077	दिल्ली में उन मकानों पर किराया-नियंत्रण लागू करना जिनका लागत मूल्य मकान मालिक पहले ही वसूल कर चुके हैं	Imposition of Rent Control in Delhi on Houses whose costs have been realised by landlords.	62
1078	मैरीन इंजीनियरों की कमी	Shrotage of Marine Engineers. . .	62
1079	"ड्राजिंग" कार्यों के विस्तार की योजना	Scheme to extend dredging operations .	63
1080	गेंहूं के उत्पादन के लिए "मास्टर प्लान"	Master Plans for Production of wheat .	63
1081	लोक सभा में दिए गए आश्वासनों को पूरा करना	Implementation of Assurances given on Floor of Lok Sabha	63
1082	गेंहूँ तथा मोटे अनाज का उत्पादन और मूल्य	Production and price of wheat and coarse Grains	64
1083	1972-73 के दौरान मूंगफली का उत्पादन और उसके अंतर्गत क्षेत्र	Production and Acreage of Groundnut during 1972-73	64
1084	सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं का कार्यकरण और उनका अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाना	Working of Marginal Farmers and Agricultural Labourers Projects and their Extension to other areas . . .	65
1085	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थिति	Situation in Aligarh Muslim University.	65
1086	अनियमितताओं के कारण दिल्ली में राशन की दुकानों के लायसेंसों का रद्द किया जाना	Cancellation of Permits of Ration Shops in Delhi because of Irregularities Committed	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1087	वनस्पति के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Vanaspati	66
1088	'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'गवर्नमेंट हैल्थ सर्विस क्राइसिस इन द मेकिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item Government Health service Crisis in the making appearing in the Hindustan Times	67
1089	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बैलों की कमी	Shortage of Bullocks in Drought Affected Areas	67
1090	केन्द्रीय सचिवालय से देवनगर तक विशेष बस सेवा	Special Bus Service from Central Secretariat to Dev Nagar . .	68
1091	यमुनापार क्षेत्र में नए कालेज खोलने की मांग	Demand for opening new colleges in Trans-Jamuna Area	68
1092	बम्बई पत्तन के कर्मचारियों को शताब्दी बोनस की अदायगी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्कार करना	Refusal of Central Government for payment of Centenary Bonus to Employees of Bombay Port	68
1093	महाराष्ट्र में मालवन पत्तन की स्टीमर सेवा का बंद किया जाना	Suspension of Steamer Service at Malvan Port in Maharashtra	70
1094	महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र स्थित देवगढ़ पत्तन का नौ-सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव	Proposal of Maharashtra Government to undertake Naval Survey of Deogad Port, Maharashtra	70
1095	महाराष्ट्र के कोंकण तट पर पत्तनों का चालू रहना	Working of Ports on Konkan Coast of Maharashtra	70
1096	जयन्ती शिपिंग कम्पनी के भारतीय जहाजरानी निगम में विलयन पर कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Staff on the Merger of Jayanti Shipping Company with Shipping Corporation of India	71
1097	त्रिपुरा में वर्षा के कारण खेती को क्षति	Damage of Crop in Tripura due to Rain .	71
1098	किसानों को खेती के काम आने वाली वस्तुओं की सप्लाई में सुधार करना	Streamlining supply of Farm inputs to Farmers	72
1099	समुद्री मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान कोचीन के कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation of the Employees of Marine Fisheries Research Institute, Cochin .	72
1100	भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ का ज्ञापन	Representation from Food Corporation of India Employees Union . .	73
1101	बड़े पत्तनों की स्थापना के कारण अन्य पत्तनों पर दवाव का कम होना	Relieving of congestion in other ports due to setting up of New Major Ports	74
1102	पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन	Evaluation of Text Book .	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1103	उर्वरक का बोरियों की बजाय बड़े पैमाने पर आयात तथा विदेशी मुद्रा की बचत	Import of Fertiliser in Bulk instead of bags and saving of Foreign Exchange	75
1104	राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि सेवा केन्द्रों के लिए सुलभ ऋण सुविधा	Easy loan facility for Agro service centres from Nationalised Banks. .	75
1105	खाद्यान्न भंडारण के आधुनिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने संबंधी योजना	Scheme to popularise modern methods of Foodgrains storage . . .	75
1106	खाद्यान्नों के ऐसे गोदाम जहां वर्ष 1972-73 के अंत में खाद्यान्न सडा हुआ और खराब पाया गया	Foodgrains Godowns where Foodgrains found Rotten or Damaged at the end of 1972-73	76
1107	युवकों को भारतीय संस्कृति की ओर आकृष्ट करने की योजना	Scheme to attract Youth towards Indian Culture	76
1108	छिपा कर रखे गए अनाज को निकालने के लिए दिल्ली में मारे गए छापे	Raids conducted in Delhi to unearth Hoarded Foodgrains . . .	77
1109	खाद्यान्न वसूली तथा वितरण के लिये नये निगम अथवा मंत्रालय की स्थापना	Setting up of New Corporation or Ministry for Procurement and Distribution of Foodgrains . . .	78
1110	दक्षिण दिल्ली में रिंग रोड की मरम्मत	Repairs of Ring Road in South Delhi	78
1111	तम्बुओं में चल रहे दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूल	Delhi Higher Secondary and Primary Schools functioning in Tents . .	79
1112	चुने हुए कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए समिति	Committee for granting Autonomy to selected colleges	80
1113	बहु-फसली तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती संबंधी कार्यक्रम	Multiple Cropping and High Yielding varieties programme	81
1114	गत तीन महीनों में पश्चिम बंगाल को सप्लाई किये गये गेहूँ तथा चावल की मात्रा	Quantity of Wheat and Rice supplied to West Bengal during last three months	81
1115	हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि संबंधी पुस्तकों तथा सामयिक पत्रिकाओं के प्रकाशन संबंधी समिति	Committee on publication of Agricultural books and periodicals in Hindi and other Regional Languages . .	82
1116	वर्ष 1973-74 में गेहूँ की कमी	Shortage of Wheat during 1973-74	82
1117	पांचवीं योजना में निर्धारित शिक्षा नीति प्रति निराशा	Disappointment over the Education Policy framed for 5th Plan .	83
1118	मैसूर में भूख से हुई मौतें	Starvation deaths in Mysore	83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1119	दिल्ली में नए दुग्ध प्लांट की क्षमता	Capacity of New Milk Plant in Delhi .	83
1120	1972-73 में आपात रबी फसल के उत्पादन कार्यक्रम के लक्ष्यों का ब्यौरा	Break up of Target of Emergency Rabi Crop Production Programme during 1972-73	84
1121	दाखिले के समय प्राइवेट मेडिकल कालेजों में लिया जाने वाला प्रति व्यक्ति शुल्क	Collection of capitation fee at the time of admission in private Medical Colleges	84
1122	भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों (पेस बाउलर्स और सीम बाउलर्स) की कमी	Lack of Pace Bowlers and Seam Bowlers . in Indian Cricket	84
1123	हल्दिया के विकास में प्रगति	Progress in Development of Haldia	85
1124	शाहदरा स्थित दिल्ली परिवहन निगम के डिपो में हाई स्पीड डीज़ल आयल) की कमी	Shortage in high speed diesel oil at DTC Depot, Shahdara	86
1125	दिल्ली में नर्सरी पाठ्यक्रम में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली अनधिकृत शिक्षा संस्थाएं	Unauthorised Teaching Institutions in Delhi in Nursery Course . . .	86
1126	ब्लिट्ज में "हास्पिटल्स मस्ट हेल्प एंड नर्स रनिंग रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News items 'Hospitals must help end nurse running racket' appeared in Blitz	87
1127	उत्तर प्रदेश और मैसूर में जनसंख्या संबंधी परियोजना	Population project in U.P. and Mysore	87
1128	दिल्ली में स्कूलों के भवन बनाने के लिए चौथी योजना में नियतन	Allocation for construction of School Buildings in Delhi during 4th Plan .	88
1129	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए दस लाख रुपये की योजना	Rs. 10 lakh scheme for Rural Health	88
1130	केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन द्वारा नदियों के दूषण का सर्वेक्षण	Survey of pollution of river basins by the Central Public Health Engineering Organisation	89
1131	मत्स्य पालन के विकास के लिए पोलैंड से वित्तीय और तकनीकी सहायता	Financial and technical assistance from Poland for development of Fishing .	89
1132	गेहूं की जमाखोरी के आरोप में झांसी (उत्तर प्रदेश) के एक गांव के सरकारी भंडार के प्रबंधक की गिरफ्तारी	Arrest of Manager of Government Store in a Village of Jhansi (U.P.) on charge of hoarding of wheat . . .	90
1133	चावल, अनाज, तेल, घी, मसालों तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट	Adulteration in rice, grains, oil, ghee, spices and food articles . . .	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1134	सरकार द्वारा नामजद (स्पानसर्ड) लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाट्यपुस्तकों की किस्म और मूल्य संबंधी शिकायतों के बारे में जांच	Investigation into complaint regarding quality and price of text-books produced by Government sponsored authors and publishers . . .	90
1135	तरक्कि-ए-उर्दू बोर्ड की स्थापना	Setting of Taraqui-e-Urdu Board . .	91
1136	अनीसाबाद केन्द्रीय विद्यालय को कंकड़बाग, पटना स्थानान्तरित करना	Shifting of Anecsabad Central School to Kankarbagh, Patna . . .	92
1137	समुद्र से उद्घृत (रिक्लेम्ड) भूमि में खेती	Cultivation of land reclaimed from Sea	93
1138	छोटे किसानों के उत्थान के लिये राज्यों द्वारा धन का उपयोग न करना	Non-utilisation of funds by States for the upliftment of small farmers . .	93
1139	माडल स्कूलों का खोला जाना	Opening of Model Schools . . .	94
1140	वर्षा करने के लिए कैर के वनों का लगाया जाना	Plantation of Kair Forests to attract rainfall	95
1141	नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में फ्री बैड रोगियों को दी जाने वाली खुराक	Diet served to the Free Bed Patients in Safdarjang Hospital in New Delhi .	95
1142	कोंकण तट से एक जहाज को बलात मालवण बंदरगाह तक ले जाना	Hijacking of a Ship from Konkan Coast to Malvan Port	98
1143	परिवहन विभाग में काम कर रहे कर्मचारी	Employees working in the Department of Transport	98
1144	1972-73 के दौरान रबी की फसल की अवधि के लिए रखी गई धनराशि का अन्य प्रयोजनों के हेतु प्रयोग	Diversion of Funds earmarked for Rabi Crop during 1972-73 . . .	98
1145	देश में पीड़ित क्षेत्र और वहां के प्रभावित लोग	Distress Areas in the country and the People Affected	99
1146	भूमि-वितरण से लाभान्वित परिवार	Families benefited through land distribution	99
1147	अमरीकी प्रतिष्ठानों द्वारा भारत में शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान	Grants to Educational Institutions in India by U.S. Foundations . .	99
1148	भारत में नकली दवाइयों का बढ़ता व्यापार	Flourishing Trade in Adulterated Medicines in India	100
1149	वर्ष 1973-74 और पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पारादीप पत्तन में प्रस्तावित विकास कार्य	Developments proposed to be undertaken at Paradip during 1973-74 and Fifth Plan Period	101

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1150	राष्ट्रीय राजपथ का सुधार करने के लिये ताल्चेर-रूरकेला-बोकारो मार्ग	Talchar-Rourkela-Bokaro route for improvement as National Highway . .	101
1151	विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले को विनियमित करना	Regulating Admission of Students in Universities	102
1153	समाज विज्ञान की शिक्षा तथा अनुसंधान संबंधी एशियाई सम्मेलन	Asia Conference on Teaching and Research in Social Sciences . . .	102
1154	'केयर' का अंशदान स्वीकार करने संबंधी निर्णय	Decision regarding receiving of contribution by CARE	103
1155	दिल्ली में परिवहन के लिए बसों की आवश्यकता तथा खराब बसों की संख्या	Requirement of Buses for transport in Delhi and the Buses out of order .	103
1156	देश में क्षयरोग के रोगी	Number of Tuberculosis Patients in the country	104
1157	चौथी योजना के दौरान पानी की सप्लाई के लिए व्यय की गई धनराशि तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई धनराशि	Amount spent for water supply during Fourth Plan and allocation of Funds during the Fifth Five Year Plan . .	104
1158	दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या बढ़ाना तथा उनकी कार्यक्षमता में सुधार करने का प्रस्ताव	Proposal to increase Strength and Efficiency of DTC Fleet	105
1159	श्रीनगर में आवास मंत्रियों का सम्मेलन	Housing Ministers Conference at Srinagar	105
1160	दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु 3 करोड़ रुपये की योजना	Rs. 3 crore plan to raise output of pulses	106
1161	शिक्षा योजना परिव्यय में कमी	Reduction in Educational Plan Outlay	106
1162	परीक्षा प्रणाली में सुधार कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee to implement Reforms in Examination System .	107
1163	गेहूँ की आवश्यकता पूरी करने के लिए अर्जनटाइना की पेशकश	Offer from Argentina to meet Wheat Requirements	108
1164	बिहार में बाघों (टाईगर) के लिए रक्षित क्षेत्र	Tiger Sanctuaries in Bihar	108
1165	नई दिल्ली पुनर्विकास परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें	Recommendation of the New Delhi Re-development Advisory Committee .	109
1166	आयातित गेहूँ के मूल्य तथा गेहूँ के वसूली मूल्य	Price for imported wheat and procurement price of wheat	109

अतारां॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1167	पहलेजघाट-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में प्रगति	Progress in execution of Pahlezaghat Muzaffarpur Sitamarhi Sonebarsa National Highway	110
1168	भूतपूर्व रियासतों के सदस्यों द्वारा यूरोप और अमरीका को निर्यात की गई कलाकृतियां	Art objects exported to Europe and USA by members of former princely States	110
1169	दिल्ली में अस्पतालों में कर्मचारियों तथा रोगियों की संख्या	Staff and Patients in Hospitals in Delhi	110
1170	दिल्ली में नेत्रहीन छात्रों के लिए आवास की व्यवस्था करना	Provision of Accommodation to blind Students in Delhi	111
1171	'भूमिदास' प्रथा का विद्यमान होना	Prevalence of system of 'Bhumidas' .	111
1172	मई/जून, 1973 के दौरान डालडा के स्थान पर पानी भरे डालडा के सीलबंद डिब्बों की दिल्ली में बिक्री	Sealed Dalda Tins containing water sold in Delhi during May, June, 1973	111
1173	देश में डाक्टरों की संख्या	Number of Doctors in the Country	112
1174	दिल्ली परिवहन उपक्रम को निगम में परिवर्तित करने का उद्देश्य	Purpose for converting DTU into a Corporation	112
1175	नए भंडागारों का निर्माण तथा खुले स्थानों में पड़े खाद्यान्न	New Warehouses constructed and Food-grains lying in open	113
1176	गांवों तथा नगर क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति गेहूँ सप्लाई की मात्रा में अंतर	Difference in quantity of wheat supplied per head in villages and Municipal Areas	113
1177	परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure on Family Planning Programme	114
1178	"हिन्दी बुक्स पब्लिश्ड इन साउथ इग्नोर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned "Hindi Books published in South ignored"	114
1179	गजेन्द्र गडकर जांच समिति की रिपोर्ट पर क्षोभ	Resentment of report of Gajendragadkar Enquiry Committee	115
1180	जनशक्ति के अभाव के कारण नौवहन टन भार के लक्ष्य में बाधा	Shortage of manpower hampers Shipping tonnage target	115
1181	चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में सड़कों का शामिल किया जाना	Inclusion of Roads in National Highway system during Fourth Plan . .	115
1182	मन्दिरों का औरंगाबाद के समीप एक स्थान पर लाया जाना	Transfer of Temples to a place near Aurangabad	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1183	दिनांक 6 जुलाई, 1973 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में "व्हीट स्टाक्स डिक्लाइन, परचेज एफर्टस सैग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned "Wheat Stocks Decline Purchase Efforts Sag" in Indian Express dated 6-7-1973 . .	116
1184	गुजरात राज्य में पत्तनों का सुधार और हजीरा में शिपयार्ड का निर्माण	Improvement of Ports in Gujarat State and Construction of Shipyard at Hajira	116
1185	सूखे के कारण गुजरात, मैसूर और आंध्र प्रदेश में मूंगफली के उत्पादन में कमी	Shortfall in the Production of Groundnut in Gujarat, Mysore, and Andhra Pradesh due to Drought . .	117
1186	"बटर आयल" का आयात करने के लिये गुजरात सरकार से प्रस्ताव	Proposal from Gujarat Government to Import Butter Oil	118
1187	"वन मिलियन टाडलर्स डाई ड्यूटू मालन्युट्रीशन" समाचार	News item "One Million Toddlers Die due to Malnutrition". . . .	119
1188	"यूथ अगेन्स्ट फैमीन प्रोग्राम" के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित टिप्पणी	Press comments on "Youth against Famine Programme" . . .	119
1189	क्योंझर, उड़ीसा में भूख से मृत्यु	Starvation Death in Keonjhar, Orissa	120
1190	नेत्रहीन तथा विकलांग शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संगठनों में नौकरी देने के बारे में नीति	Policy re-absorption of Blind and Disabled Educated persons in Government and Semi Government jobs .	120
1191	विदेशियों का नसबंदी आपरेशन	Vasectomy Operation of persons belonging to Foreign countries	121
1192	मैडिकल कालिज, लखनऊ का सरकारीकरण	Taking over of Medical College Lucknow	121
1193	नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र नई आवास-नीतियां	Reorientation of Housing policies in Urban and Rural Areas . . .	121
1194	चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास के लिये निर्धारित लक्ष्य	Target fixed for Rural Housing in the 4th Five Year Plan . . .	122
1195	राष्ट्रीय आवास नीति	National Housing Policy . . .	122
1196	तकनीकी शिक्षा का नवीकरण और विकास	Reorganisation and development of Technical Education	123
1197	तेल की कमी के कारण बेकार पड़े ट्रैक्टर	Tractors lying Unutilised due to shortage of Oil	123
1198	देश में बाल मृत्यु दर तथा बाल पोषाहार	Toddlers Mortality in the country and amount spent in Child nutrition . .	124
1199	राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में खाद्यान्नों के थोक व्यापार के सरकारीकरण को सफल बनाने के लिये कार्यवाही	Steps for Success of take over of foodgrain Trade in Rajasthan, Haryana and Punjab	125
1200	नकली दवायें बनाने वाले कारखाने	Spurious Drug Manufacturing Factories	126

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
बिहार में हरिजन महिलाओं पर किये गये अत्याचारों के बारे में	Re. Atrocities Committed on Harijan Women in Bihar	126
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	126
नायलन तथा कृत्रिम सूत की कीमतों में शत प्रतिशत वृद्धि का समाचार	Reported hundred per cent increase in the price of Nylon and artificial Yarn	126
दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर आंसू-गैस छोडे जाने के बारे में	Re. Use of Tear Gas on Demonstrators in Delhi	133
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	135
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	136
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee .	136
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	All India Council for Technical Education	136
मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन)	Mysore State (Alteration of Name) Bill	138
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	138
श्री मोहन राज कालिंगारायार	Shri Mohanraj Kalingarayar	138
श्री धर्मराव अफजलपुरकार	Shri Dharamrao Afzalpurkar	138
श्री पी० एम० सईद	Shri P. M. Sayeed	138
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	139
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin .	139
श्री पम्पन गोडा	Shri Pampan Gowda .	139
श्री सिद्दारमेश्वर स्वामी	Shri Sidrameshwar Swamy .	140
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev	140
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . .	140
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	140
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant .	141
खण्ड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	142
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	142
लाकादीव, मिनिकाय, अमीनदीवी द्वीपसमूह (नाम-परिवर्तन) विधेयक	Laccadive Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Bill .	144
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant . .	144
श्री इस्हाक संभली	Shri Ishaque Sambhali	144
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	145
श्री पी० एम० सईद	Shri P. M. Sayeed	145

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . .	147
श्री रामसहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	147
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan . .	147
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	148
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	148
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh	148
श्री रामचन्द्रन कदनापल	Shri Ramchandran Kadannappall .	149
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav . . .	149
श्री रूद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh . . .	149
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	150
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	150
खंड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1 .	151-152
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass as amended	152
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	152
सदस्य की रिहाई	Release of Member . .	153
श्री जांबुवंत धोते	Shri Jambuwant Dhote . .	153
आधे घंटे की चर्चा	Half-an Hour Discussion .	153
दुर्गापुर उर्वरक कारखाने में उत्पादन आरंभ होने में विलंब	Delay in commencement of production at the Durgapur Fertilizer Project .	153
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	153
श्री देवकांत बरूआ	Shri D. K. Borooah . . .	155

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 30 जुलाई, 1973/8 श्रावण, 1895 (शक)
Monday, July 30, 1973/Sravana, 8, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन

***101. श्री बी० के० दासचौधरी : श्री आर० एन० बर्मन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में भूमिसुधार तथा भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को उचित रूप से लागू नहीं किया गया है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के समुचित क्रियान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों के क्रियान्वयन के प्रश्न पर जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था । इस सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारें उत्तरदायी होंगी और वे उचित-स्तरों पर गैर-सरकारी निकायों की स्थापना करेंगी तथा जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के क्रियान्वयन की देखभाल के लिये वे सक्षम सरकारी संगठन की भी स्थापना करेंगी ।

विवरण

बिचौलियों की समाप्ति :

वास्तव में सभी राज्यों में बिचौलियों को समाप्त किया जा चुका है । परन्तु अभी कुछ छोटे-छोटे बिचौलिये मौजूद हैं । इन्हें समाप्त करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं । अदा किये जाने वाले कुल मुआवज़े की रकम 600 करोड़ रुपये है, जिसमें से नकद तथा बोन्ड के रूप में लगभग 275 करोड़ रुपये अदा किये जा चुके हैं ।

जोत पर अधिकतम सीमा :

जोत की अधिकतम सीमा के कम करने तथा समानता लाने के लिये निम्नलिखित राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों में संशोधन किया जा चुका है :--आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, तामिल नाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल । जोत की अधिकतम सीमा के संशोधित कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति नीचे दी जा रही है :--

असम:--संशोधित कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ और संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।

बिहार:--संशोधित कानून 9 सितम्बर, 1970 से लागू किये गये हैं ।

हरियाणा:--संशोधित कानून 22 दिसम्बर, 1972 से लागू किये गये हैं ।

अधिशेष भूमि के आवंटन की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश:--कानून हाल ही में बनाये गये हैं ।

जम्मू तथा कश्मीर:--संशोधित कानून 1 मई, 1973 से लागू किये गये हैं ।

केरल:--संशोधित कानून 1 जनवरी, 1970 से लागू हैं । 10407 एकड़ भूमि को छोड़ने के लिये आदेश दिये गये हैं, जिसमें से 6827 एकड़ भूमि का कब्ज़ा लिया जा चुका है और 1192 एकड़ भूमि 1336 व्यक्तियों (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 573 व्यक्तियों सहित) में बांटी गई है।

मध्य प्रदेश :--संशोधित कानून लागू कर दिया गया है ।

पंजाब :--संशोधित कानून को 24 जनवरी, 1971 से लागू माना जायेगा । वितरण के नियमों तथा योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

राजस्थान:--संशोधित कानून 1 जनवरी, 1973 से लागू किये गये हैं ।

तामिलनाडु:--अधिकतम सीमा संशोधन सम्बन्धी कानून 15 फरवरी, 1970 से लागू किये गये हैं। 1431 एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित किया गया, है जिसमें से 743 एकड़ भूमि को कब्ज़े में ले लिया गया है ।

उत्तर प्रदेश:--अधिकतम सीमा के संशोधित कानून को हाल ही में तैयार किया गया है ।

पश्चिम बंगाल:--संशोधित कानून 15 फरवरी, 1971 से लागू किये गये हैं । रैय्यतों द्वारा भेजी विवरणियों की जांच पड़ताल की जा रही है ।

संशोधित कानून के अन्तर्गत 53,000 एकड़ कृषि भूमि के अधिकार सरकार में निहित हैं ।

शेष राज्यों में संशोधन सम्बन्धी विधेयकों को अन्तिम रूप देने का कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है ।

काश्तकारी में सुधार :

सब राज्यों ने पंचवर्षीय योजनाओं के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार लगान के नियमन के लिये कानून बना लिये हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार लगान की अधिकतम दर कुल उपज के $^1/_5$ या $\frac{1}{4}$ भाग से अधिक नहीं होनी चाहिये । असम, बिहार गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा आंध्र देश के तेलंगाना क्षेत्र में निर्धारित की गई दरें इन सीमाओं के अनुरूप हैं । तथापि, पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, तमिल नाडु तथा आंध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्र में लगान की दर कुछ अधिक है ।

पट्टेदारी की सुरक्षा के लिये कई राज्यों ने वैयक्तिक खेती के लिये भूमि पुनर्ग्रहण करने हेतु भूस्वामी के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा विभिन्न बनावटी कारणों से काश्तकारों की बेदखली पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कानून बनाये हैं परन्तु बिहार, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, पंजाब तथा हरियाणा में बटाईदारों की स्थिति पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है और बटाईदारों की बेदखली को रोकने के लिये उपाय किय जा रहे हैं । आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के पट्टेदारी के कानूनों में काश्तकारों को भूस्वामित्व के अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है ।

चकबन्दी

13 राज्य चकबन्दी सम्बन्धी कानून बना चुके हैं । ये राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल हैं । वर्ष 1972 के अन्त तक लगभग 344 लाख हैक्टर भूमि की चकबंदी हो चुकी है ।

श्री० बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण में मेरे प्रश्न के उत्तर का उचित उल्लेख नहीं किया गया । भूमि सुधार की दिशा में देश भर में वास्तव में क्या कार्य हुए । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने भूमि-सुधार सम्बन्धी सरकार की नीतियों की सख्त आलोचना की है और क्या उसने यह सुझाव दिया है कि जब तक जिला स्तर पर भूमि सीमा कानूनों को कार्यान्वित करने के लिये जिला राजस्व प्रशासन जैसी कोई उचित संस्था नहीं स्थापित की जाती । उस समय तक भूमि सुधार समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और आने वाले वर्षों के दौरान स्थिति और अधिक विस्फोटक हो सकती है । यदि ऐसा है तो योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल के सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में कहा, जहां तक अपनायी गयी नीति का सम्बन्ध है, उसके बारे में मार्गदर्शी बातें मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में निर्धारित की गयीं थीं । देश में अब भूमि सुधार कानूनों के मामले में एकरूपता है । राज्य सरकारों के कानून राष्ट्रीय मार्गदर्शी बातों के अनुसार होते हैं । जहां कहीं भी राज्य सरकारें इन मार्गदर्शी बातों से हटती है, हम उन्हें इनका पालन करने के लिये कहते हैं ।

जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक समितियां स्थापित करने के लिये कहा है हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि इस प्रकार की सभी समितियां भूमि सुधारों को लागू करने के लिये लाभदायक सिद्ध होंगी । माननीय सदस्यों को अभी इस बारे में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालने चाहियें । मैं इस बारे में कोई भी आकर्षक बातें नहीं कर रहा । कानून हाल में ही बनाये गये हैं । इसमें कुछ समय लगेगा । इसके लिये कुछ विधि-सम्बन्धी प्रक्रियाएं हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें भूमि सुधार कार्यक्रम जोरदार ढंग से कार्यान्वित करना चाहिये ।

श्री० बी० के० दासचौधरी : वास्तविक कार्य क्या हुआ ? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग था ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं कह चुका हूं कि कानून हाल में ही बनाये गये हैं। राष्ट्रपति को अनुमति हाल में ही दी गयी है । अब नोटिस जारी किये जाने हैं तथा घोषणायें की जानी हैं । इसके लिये कुछ विधि सम्बन्धी प्रक्रियायें हैं । इस पर कुछ समय लगेगा ।

श्री बी० के० दासचौधरी : योजना आयोग अथवा योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि भूमि सीमा कानून न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आने चाहियें । उस बात को तथा अधिकांश मामलों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, बड़े-बड़े भू-स्वामी तथा अमीर किसान न्यायालयों को जाते हैं और उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने का निवेदन करते हैं । क्या सरकार संविधान की धारा 226 तथा 227 को उचित ढंग से संशोधित करने पर विचार करेगी ताकि भूमि सीमा कानूनों को कार्यान्वित करने के सभी ऐसे मामलों में रिट याचिकाओं को अनुमति न मिल सके तथा इन्हें न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा सके? इसके बिना देश में भूमि सुधार कानून उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं हो सकते ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भूमि सीमा कानूनों के मामलों को चलाने के बारे में हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि ये मामले न्यायालयों में न चलाये जायें और ये दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आने चाहियें । राज्य सरकारों ने मूलतः इस परामर्श को स्वीकार कर लिया है । बनाये गये अधिकांश भूमि सुधार कानूनों के बारे में यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि दीवानी न्यायालय इस प्रकार के मामलों को स्वीकार न करें । लेकिन जहाँ तक उच्च-न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिकाएं स्वीकार करने की शक्तियों का सम्बन्ध है, यह एक बहुत व्यापक समस्या है । मेरे विचार में, सरकार इसे इस समय उठाना उचित नहीं समझती । इससे संविधान के अधीन मूल अधिकारों का मूल प्रश्न उत्पन्न होता है । मेरे विचार में रिट याचिकाओं सम्बन्धी उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना इतना सरल नहीं है ।

श्री० आर० एन० बर्मन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के बीच कितने एकड़ भूमि बांटी गयी । क्या मंत्री महोदय इसके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक सूचना देंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : नये कानूनों के बारे में अभी कुछ कहना उचित नही है । हमने राज्य सरकारों को कहा है कि वे हमें सूचित करें कि कितने एकड़ भूमि फालतू होने की संभावना है और राज्य सरकारों ने हमें सूचित किया है कि 35 लाख एकड़ भूमि फालतू होगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को कितनी भूमि दी जानी चाहिये, मेरे लिये यह कहना अभी बहुत कठिन है यद्यपि राज्य सरकारों को हमने यह निर्देश दिये हैं कि इस प्रकार की भूमि का आवंटन करते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को प्राथमिकता दी जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is the Government considering to announce reduction in the maximum ceiling for the next ten years after the present process of land reforms is over and after the State Governments have introduced the laws so that atmosphere of uncertainty is removed and the farmers are encouraged to invest money on lands?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि माननीय सदस्य के दल सहित सभी दल वर्तमान अधिकतम सीमा कानूनों को लागू तथा कार्यान्वित करने में सहयोग दें तो यह सब सम्भव हो सकता है । यदि ऐसा हो तो मेरे विचार में यह सम्भव है । भारत में भूमि सुधार कानूनों का कार्यान्वयन असंतोषजनक ढंग से तथा ढील के साथ हो रहा है । अतः राजनैतिक दलों के सहयोग से देश में यदि यह जनमत बनाया जाये कि उन्हें इन कानूनों को तेजी से कार्यान्वित करना है तो यह सब सम्भव हो सकेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is the attitude of the ruling party? Which party has impeded the enforcement of land reforms ? Is it not a fact that the people belonging to Congress party have caused maximum obstruction in its programme? In fact, our party stands nowhere. We are brought in everywhere whenever there is some difficulty.

श्री बूटा सिंह : मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि हमें निराशाजनक रवैय्या नहीं अपनाना चाहिये। लेकिन जब हम सदन के सामने रखे गये विवरण को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि 21 राज्यों में से केवल 6 राज्यों ने सूचना दी है और इन 6 में से केवल 2 राज्यों ने अब तक प्राप्त परिणामों की सूचना दी है और ये दो राज्य तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल हैं। अन्य सभी राज्यों के मामले में एक सामान्य उत्तर यह है कि कानून लागू किया जा चुका है तथा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है, आदि आदि। देश में सन् 1970 से यह स्थिति चल रही है और प्रधान मंत्री ने 26 सितम्बर, को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था कि अब तक कार्यान्वित भूमि सुधार कानूनों द्वारा देश के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि जिन लोगों को यह काम सौंपा गया उन्होंने इन भूमि सुधारों को पूरे उत्साह के साथ कार्यान्वित नहीं किया ...

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री बूटा सिंह : मेरा इससे सीधा सम्बन्ध है। यह बात सत्य है कि ग्राम्य क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व का प्रश्न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि इससे उन लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी सम्बद्ध है जिन के पास भूमि नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कृषि के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सम्बन्धों को परिवर्तित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अर्ध-सामंती कृषि ढांचे को समाप्त करने से लिये सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारी स्थिति तो सभी को मालूम है। पहली बात तो यह है कि हमने जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले कानूनों को बनाया और जोत की अधिकतम सीमा को लागू किया। जोत निर्धारित करने के लिये हमने व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को इकाई माना। सभी प्रकार की छूटों को समाप्त कर दिया गया है। जहां तक जोतदारी का सम्बन्ध है हम जोतदारों को ही वंशपरम्परागत जोतदारी के स्थाई अधिकारों सहित भूमि के मालिक बनाना चाहते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो हमारी स्थिति यह है परन्तु वास्तविकता यह है कि यह सभी कठिनाइयां क्रियान्विति के समय ही हमारे समक्ष आ रही हैं। परन्तु मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इन्हें पूर्ण शक्ति से क्रियान्वित करने का आग्रह करेंगे।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The Government is going to have two types of land under Land Reforms for distribution among the landless people firstly Government is likely to get surplus land after ceiling and secondly the fallow land of the Government itself. May I know whether Government will draw the attention of the State Governments towards the fact that big landlords are getting fallow land of the Government registered in their names through Patwaries. I would like to know whether it will be given to landless people. Secondly, the landless people whom land has been allotted, whether their allotted land is still under the possession of big landlords or whether that has been mortgaged to them against loans. That way those people are still landless. Therefore, I would like to know from the Government the steps being taken to provide land to landless and to safeguard their interests?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक सरकार के अधिकार की भूमि का सम्बन्ध है उसके बारे में हम ने राज्य सरकारों को बार-बार यह लिख दिया है कि जिस जमीन का उपयोग वनों के विकास के लिये नहीं किया जा रहा और वह जमीन खेती योग्य है उसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को प्राथमिकता देते हुए भूमि हीन कृषकों में बांट दिया जाना चाहिये और काफी भूमि इस प्रकार बांटी भी जा चुकी है। हमने राज्य सरकारों को यह काम तुरन्त करने के लिये लिख दिया है और जिन राज्य सरकारों ने अभी तक यह नहीं किया है उन्हें भी हम ऐसा करने के लिये लिखेंगे।

वास्तव में इन कानूनों को लागू करने में सामाजिक पहलू का अपना महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यदि जमीन उन्हें दे भी दी जाती है तो भी उन्हें सम्पत्ति, ऋण तथा अन्य बातों के लिये साहूकार तथा अन्य लोगों के पास जाना पड़ता है जो लोग इन गरीब आदमी की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। हमने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर दिया है ताकि इसके लिये आधार-भूत ढांचा तैयार किया जा सके जिसके आधार पर राज्य सरकारों को अपेक्षित सहायता दी जा सके।

श्री समर गुह : क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग की टास्क फोर्स द्वारा की गई इस विशेष टिप्पणी की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि :

स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक हमारे देश के सार्वजनिक जीवन के किसी भी पहलू में कथनी और करनी, नीति-घोषणा और इसकी वास्तविक क्रियान्वित में इतना बड़ा अन्तर नहीं रहा है जितना कि जमीदारी सम्बन्धी सुधारों के सम्बन्ध में रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार ने इस टिप्पणी के पेचीदगियों को समझ लिया है और यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

दूसरे क्या यह सच है कि अधिकतम भूमि की सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने के उपरान्त भी मैसूर, राजस्थान और उड़ीसा में एक एकड़ भी भूमि अधिक फालतू नहीं पाई गई है और बिहार में केवल 700 एकड़ भूमि ही फालतू पाई गई। कुल केवल 20.27 लाख एकड़ भूमि ही फालतू पाई गई जिसका तात्पर्य यह हुआ कि अभी तक केवल 7% फालतू भूमि का विभाजन किया गया है और यदि हां, तो क्या अभी भी 93% फालतू भूमि बेनामी या असिंचित भूमि के रूप में बड़े-बड़े जमींदारों के हाथ में है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक माननीय सदस्य महोदय के प्रश्न के पूर्व भाग का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से उत्तर दे चुका हूं।

सदस्य महोदय के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध काफी मात्रा में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध न करवाने से है। इस सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं कि इन कानूनों की क्रियान्वित का कार्य अभी ही आरम्भ किया गया है क्योंकि उन कई कानूनों को तो एक या दो महीने पूर्व ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है, अतः हमें कुछ समय के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठा कर यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि इन की क्रियान्विति पूरी कड़ाई से की जाये।

श्री समर गुह : मुख्य मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि यह कार्य दिसम्बर, महीने के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिये। सरकार सदन में इस बात का आश्वासन दे चुकी है कि भूमि सुधारों सम्बन्धी उपायों को दिसम्बर, 1973 के अन्त तक पूरा कर दिया जायेगा अतः वह इसके लिये कटिबद्ध है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार अपने आश्वासन का पालन करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता क्योंकि इसका उत्तर मुख्य वक्तव्य में पहले ही दिया जा चुका है।

Dr. Govind Dass Richhariya : May I know whether hon. Minister admits that great difficulty is being faced in implementing the land reform measures. May I know whether he is also prepared to accept the idea that such committees should be formed at village level consisting of non-governmental persons with a majority of landless persons and that the State laws regarding land ceiling should be implemented under their supervision? May I know whether the hon. Minister is going to fix a target date by which land reforms will be implemented and the action being taken in this regard?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें : भूमि सुधार को क्रियान्वित करने पर जिन लोगों को लाभ होगा उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं । इस प्रकार की समितियां हैं और सरकार ने यह मांग स्वीकार कर ली है । हमने राज्य सरकारों को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि इन्हें क्रियान्वित करने पर क्या स्थिति होगी । जिन राज्य सरकारों द्वारा जो कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है, मैं उनका उल्लेख पहले ही कर चुका हूं । केवल दो या तीन ही ऐसे राज्य हैं जिन में यह कानून राज्य की विधान-सभाओं या प्रवर समितियों के विचाराधीन है, जैसा कि मैं पूर्व कह चुका हूं, फिर भी हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वह इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करें ।

श्री टी० लाल कृष्णैया : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है । यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है कि जोत की सीमा अधिकतम अधिनियम को आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वित किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक आम प्रश्न है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें : इस मामले पर हाल ही में परामर्श समिति में विचार-विमर्श किया गया था और भारत सरकार इन्हें शीघ्र से शीघ्र करने की इच्छुक है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : In reply to a question it was stated by the hon. Minister that they are experiencing some difficulties in the implementation of Land Ceiling Act. I would like to know what these difficulties are and who is creating them? Recently a scheme was started to clear the forest dacoit infested areas of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, but that scheme has been stopped. I would like to know the number of reforms that have taken place and whether any land has been distributed or not and if no land has so far been distributed when it is likely to be distributed?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें: मैंने यह कहा था कि क्रियान्वित का कार्य धीमा रहा है । परन्तु मैंने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रभाव से और राजनीतिक समितियों का गठन करके तथा अन्य सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करके, क्रियान्वित के कार्य को गति प्रदान की जायेगी । जहां तक राज्यों का अलग-अलग प्रश्न है, मध्य प्रदेश द्वारा यह कानून बनाये जा चके हैं और वह राज्य उन्हें क्रियान्वित करेगा और भूमि कानूनों की क्रियान्विति के समय ही अतिरिक्त भूमि की घोषणा कर दी जायेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : There was a Central Scheme of levelling the dacoit infested areas of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, but now that scheme has been abondoned. I want to know why this has been done and what is the hitch in distributing the land which has already been levelled. This has not been replied.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें : इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है ।

गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना

*106. **श्री एम० †कल्याण सुन्दरम** :

श्री सूरज पांडे :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों के सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की योजना को सफलता मिल रही है

(ख) यदि हां, तो इस योजना का रचनात्मक स्वरूप क्या है ;

(ग) यह योजना किन-किन राज्यों में लागू की गई ; और

(घ) इस योजना के द्वारा किन-किन नगरों और कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों में पानी की सप्लाई, सीवर, बरसाती-पानी की नालियों, सामुदायिक गुसलखानों और शौचालयों और उन की मौजूदा गलियों को चौड़ा करने तथा खड़ंजा लगाने एवं गलियों में रोशनी जैसी सुविधाएं देने के लिये राज्य सरकारों को शत प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है।

(ग) तथा (घ) : एक विवरण नीचे रखा है।

विवरण

गन्दी बस्ती क्षेत्रों के वातावरण सम्बन्धी सुधार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए राज्य, नगर तथा जन-संख्या का विवरण

राज्य	नगर	जन-संख्या जो लाभान्वित हुई
1. महाराष्ट्र	बम्बई	3,36,449
2. ,,	पूना	8,006
3. ,,	नागपुर	98,959
4. उत्तर प्रदेश	लखनऊ . .	1,69,400
5. ,,	कानपुर .	1,57,951
6. दिल्ली/संघ-क्षेत्र	दिल्ली	3,70,040
7. आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	1,06,770
8. गुजरात	अहमदाबाद	23,139
9. मैसूर	बंगलौर	80,146
10. तमिल नाडु	मद्रास . .	2,05,896
11. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता .	10,00,000
12. राजस्थान	जयपुर . . .	22,858
13. मध्य प्रदेश	इन्दौर .	38,433
14. हरियाणा	रोहतक .	12,112
	जोड़	26,30,159

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई वर्षों से गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी योजना के लागू होने के बावजूद मद्रास जैसे बड़े शहरों में गन्दी बस्तियां बढ़ रही हैं ? नई दिल्ली क्षेत्र में भी यदि हम दो बंगलों के बीच की गलियों में जाते हैं तो हमें अनेक गन्दी बस्तियां नजर आती हैं। विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडु ने गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु कितनी राशि की मांग की तथा केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि का नियतन किया ?

श्री भोला पासवान शास्त्री: इसका उल्लेख विवरण में किया गया है । यह बात सच है कि गन्दी बस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार ने गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु राशि प्रदान की है । यह बात स्वीकार कर ली गयी है कि संख्या बढ़ रही है, चाहे दिल्ली हो, अथवा पटना अथवा बम्बई अथवा मद्रास ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : यह स्वीकार करना पर्याप्त नहीं कि संख्या बढ़ गयी है । इससे क्या सिद्ध होता है ? इससे सिद्ध होता है कि गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु प्रदत्त राशि पर्याप्त नहीं थी और इसी कारण राज्य सरकारें समस्या का उचित ढंग से समाधान नहीं कर पा रही । क्या सरकार हमें आश्वासन देगी कि पांचवीं योजना अवधि में बड़े नगरों के लिये पर्याप्त राशि प्रदान की जायेगी ताकि गन्दी बस्तियों की वृद्धि रुक सके ?

श्री भोला पासवान शास्त्री: अभी इसकी जांच करना बहुत कठिन है । लेकिन हम योजना बजट में राशि की व्यवस्था कर रहे हैं और धीरे धीरे हम यह काम कर रहे हैं ताकि गन्दी बस्तियों को हटाया जा सके । यह काम एकदम नहीं हो सकता ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से ज्ञात होता है कि केवल बड़े शहर ही लिये गये हैं । तमिलनाडु में गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु केवल मद्रास को ही लिया गया है तिरुचिरापल्ली तथा मदुराई जैसे अन्य शहरों की क्या स्थिति है ? इन्हें कब लिया जायेगा ?

श्री भोला पासवान शास्त्री: मद्रास सरकार की अपनी योजना है । उनका गन्दी बस्ती सुधार बोर्ड है । केन्द्रीय सरकार मद्रास सरकार को अनुदान दे रही है । अन्य शहरों को भी हम धीरे धीरे ले रहे हैं ।

श्री राम सहाय पांडे: पांचवीं योजना में गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु कितनी राशि रखी गयी है? मैं विशेषकर बम्बई की चर्चा करूंगा जहां 5 लाख लोग फुटपाथ पर सोते हैं और तीस लाख लोग बुरी हालत में गटरों में रहते हैं । क्या पांचवीं योजना में इस हेतु कोई निश्चित व्यवस्था की गयी है ? मुझे बताया गया है कि सरकार ने विश्व बैंक से गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु आर्थिक सहायता के लिये अनुरोध किया है ।

श्री भोला पासवान शास्त्री: जहां तक पांचवीं योजना का सम्बन्ध है, यह अभी तक बनी नहीं है लेकिन इसके बारे में एक प्रस्ताव है । आशा है यह योजना जारी रहेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: गन्दी बस्तियों को हटाने की दिशा में तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या कार्य किये हैं ?

श्री भोला पासवान शास्त्री: जहां तक केन्द्रीय योजना का संबन्ध है, इन दो राज्यों ने प्रगति की है और इसका उल्लेख विवरण में किया गया है ।

Shri B. P. Maurya : Figures have been given about slum clearance. Some three lakh seventy thousand and forty persons are stated to have been benefited from it in Delhi. It has generally been noticed that the people of slum clearance areas are rehabilitated at far off distances, with the result that other people get benefit from it. Have the people been benefited here also by way of constructing big bungalows, multi-storeyed buildings and offices and by rehabilitating the people of slum areas at far off distances?

Shri Bhola Paswan Shastri : Nobody has been displaced. Provision of water, electricity, public latrines and public baths has been made in such slum areas. Nobody has been displaced or no big man has been re-settled there.

Shri Madhu Limaye : On the one hand the Government is, formulating schemes for removing the slums and on the other hand population is being centralised in a few cities by way of the policies of urbanisation and industrialisation and thereby increasing the number of slums. Slum clearance programme can be a success only if there is no new addition to the slums. According to comprehensive scheme formulated by the Maharashtra Government for Bombay, fifty thousand acres of land will be acquired from farmers at a price of 30 crores and sold at Rs. 525 crores. Will it not create new slums? Will the Government check such proposals of centralisation and arrest the further growth of slums by decentralising the industries?

Shri Bhola Paswan Shastri : We can not compel the Maharashtra Government not to do this work. They are acting in accordance with the law.

Shri Madhu Limaye : Do they not have any policy? What is the policy of the Planning Commission?

Shri Bhola Paswan Shastri : The Government of Maharashtra is functioning within the framework of law. We cannot compel them. It is autonomous. But so far as the question of increase in the number of slums is concerned, as I stated earlier, they would continue to grow because of poverty and ignorance. Their removal is essential. Slum areas will increase with the growth of industrialisation. Poor people are coming to cities from the villages. This is the tendency.

adhu Limaye : Mr. Speaker, I want your protection. He referred to poverty. Will not the industries be decentralised and care taken to prevent the concentration of population in ícul r cities? It is also creating a burden on traffic. There were 6 accidents only in Bombay on the Northern Railway during the month of June. Increase of population in particular cities and centralisation of industries there will definitely give rise to slums. Mine is a question of policy.

Shri Bhola Paswan Shastri : This proposal is also under the consideration of the Government.

Shri D. N. Tiwary : The details about Bihar and Patna have not been given in the statement laid on the Table of the House. Should I presume that there are no slums in Patna or there is no scheme for this city or the Central Government is not willing to pay any attention towards this city?

Shri Bhola Paswan Shastri : The Central Government **is** willing to pay full attention. The Bihar Government was asked in December to send its proposal but no such proposal has so far been received from the Bihar Government as is clear from the statement

स्वायत्त-शासी कालेजों संबंधी योजना

*107. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वायत्तशासी कालेजों संबन्धी योजना को अपनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कालेजों के चयन संबन्धी मानदंड क्या होंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भारत सरकार ने स्वायत्त-शासी कालेजों के संबन्ध में विश्वविद्यालयों के अभिशासन पर शिक्षा आयोग (1964–66) तथा गजेन्द्रगड़कर समिति की सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली हैं । इस सम्बन्ध में अब राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को कार्रवाई करनी है ।

(ख) मानदंड मार्गदर्शी रूपरेखाएं तथा स्वायत्त-शासी कालेजों को सहायता की पद्धति निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की थी । समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा शीघ्र ही विचार किए जाने की संभावना है ।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार ने इसे अपनाने को कहा है और यदि हां, तो उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : इस सिफारिश का एक महत्व पूर्ण पहलू यह होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार की सहायता दे पायेगा। उन्होंने इस समिति का गठन किया है जिसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । अन्यथा सभी सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेज दी गई हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समय-समय पर समितियों की नियुक्ति की जिन्होंने इस पर ध्यान दिया। उन्होंने कुछ विश्वविद्यालयों एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निवारण करने की चेष्टा की और अनुभव किया कि कुछ चुनी हुई संस्थाओं को स्वायत्त-शासी कालेजों का दर्जा दिया जाये।

श्री राजदेव सिंह : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी और कब इसे सभा पटल पर रखा जा सकेगा ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : समिति द्वारा शीघ्र ही रिपोर्ट दिये जाने की संभावना है । मैं समझता हूं कि अगस्त में यह प्राप्त हो जायेगी और जैसे ही आयोग इस पर निर्णय ले लेता है, मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने बताया कि कालेजों को स्वायत्त शासी बनाने की कोठारी आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इस प्रक्रिया को कार्य रूप दिया जा रहा है । भारत में प्रथम स्वायत्त-शासी कालेज की स्थापना कब तक हो सकेगी और क्या सरकार ऐसे स्वायत्त-शासी कालेजों को अतिरिक्त अनुदान देगी ? यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो वे कैसे कार्य कर सकते हैं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : पहले स्वायत्त-शासी कालेज, बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नौलोजी, रांची ने पिछले वर्ष कार्य आरम्भ किया है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबन्ध है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जबतक विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों आदि को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती, तब तक शैक्षिक आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता । इसी कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस समिति की नियुक्ति का निर्णय लिया, जो मार्गदर्शन देगी। इसका क्या मापदंड होगा, स्वायत्तता किस ढंग की होगी और वित्तीय सहायता किस रूप में दी जा सकेगी, इस बारे में रिपोर्ट मैं निर्णय लिये जाने पर दूंगा ।

श्री वाइ० एस० महाजन : क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में शिक्षकों ने कालेजों की स्वायत्तता का विरोध किया है ? वे समझते हैं कि ऐसी स्थिति में परीक्षाएं इन स्वायत्त संस्थाओं द्वारा ली जायेगी और यदि ऐसा है तो उन पर छात्रों का पर्याप्त दबाव रहेगा। ऐसे समाचार कुछ पत्रों में प्रकाशित हुए हैं ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : यद्यपि मेरे पास कोई औपचारिक अभ्यावेदन इस बारे में प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु मैंने सुना है कि कुछ शिक्षक इन स्वायत्त-शासी कालेजों की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि क्योंकि यह स्वैच्छिक योजना है, जब तक कोई कालेज स्वायत्तता-स्तर के लिये नहीं कहता और विश्वविद्यालय की शैक्षिक निकाय उसे स्वायत्तता का स्तर देने का निर्णय नहीं करती तब तक किसी अन्य द्वारा स्वायत्तता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनाज की व्यवस्था करने में असमर्थ होने के कारण कोरापुट, उड़ीसा में बच्चों की बिक्री तथा एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या

*108 **श्री पी० गंगादेव+ :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में बच्चों को बेचा गया है और एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों के लिये अनाज नहीं जुटा सका, और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के लोगों को चावल और धान के उचित वितरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने उक्त आरोप से इन्कार किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० गंगादेव : तकनीकी दृष्टि से उत्तर कुछ भी हो, उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों में तथा इस वर्ष भी धान की फसल निरन्तर न होने के कारण गम्भीर रूप से कमी अनुभव की जा रही है। और सारे देश में मूल्यों में बराबर वृद्धि हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान देते हुए राज्य में चावल की कमी को दूर करने तथा उसके समान वितरण की व्यवस्था करने हेतु कार्यवाही करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उड़ीसा में गरीबी की समस्या एक पृथक मामला है। परन्तु जहां तक फसल की स्थिति का प्रश्न है पिछले वर्ष उड़ीसा में अच्छी फसल हुई थी। इस वर्ष भी बेशक मानसून विलम्ब से आई तो भी पर्याप्त वर्षा हो चुकी है। अतएव भारत के अन्य भागों के समान कमी और सूखे का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पी० गंगादेव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्यों की अकाल संबन्धी विभिन्न पुरानी पड़ गयी संहिताओं के स्थान पर कोई देश व्यापी प्रभावी अकाल संहिता बनायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वास्तव में अधिकांश राज्यों की अपनी-अपनी अद्यतन अकाल संहिताएं है। परन्तु हम अखिल भारतीय स्थिति का अवलोकन करके सभी राज्यों के लिये अखिल भारतीय आधार पर अकाल संहिताओं सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त बना रहे हैं।

Shri M. S. Purty : May I know whether Government of Orissa is denying the sale of children in Koraput District and suicide by one man. Is the grave famine conditions prevalent there also being denied by them? It is a fact that in rural areas of Koraput District, people are selling their children and a man has committed suicide for not being able to feed his family. Will the hon. Minister arrange to send an able officer there to enquire into these shameful incidents?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकार ने एक आत्म हत्या के मामले की सूचना दी है परन्तु उसके कारण अन्य ही बताये गये हैं । वह एक रखेल महिला के पास रह रहा था और उसकी पत्नी को इस बात की जानकारी हो जाने के कारण उसने आत्म हत्या कर ली । इसका भुखमरी से कोई वास्ता नहीं। यह भी बताया गया है कि वह शराबी, जुआरी और प्रसिद्ध चोर था।

Shri Phool Chand Verma : I went to Bhubaneshwar in connection with the meeting of consultative committee on 2nd July. I had the occasion to talk to the farmers holding hundreds of acres of land. The condition is such that they are today begging. But the hon. Minister has denied it and has stated that the crops have been better and monsoon is better. Has any such incident came to the notice of the hon. Minister that a father sold his daughter because he had nothing to eat? Such incidents are taking place. Not only in Orissa but in other parts of the country also. Would he send a parliamentary delegation to inquire into such incidents and if no whether some, other way for its investigation would be resorted to? If so, what would be its broad outlines? The country is suffering from hunger. Will the hon. Minister give specific reply to this question?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : इस घटना की जांच राज्य सरकार द्वारा की गई और ऐसा पाया गया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। इसलिये और जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । गरीबी तथा अन्य कारणों से भुख मरी है परन्तु अन्न के अभाव से, सूखे के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है ।

दिल्ली में खाद्य पदार्थों के नमूनों तथा अपमिश्रण के मामलों सम्बन्धी कार्य को निपटाने में प्रशासनिक व्यवस्था की शिथिलता

*111. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस समय केवल तीन खाद्य पदार्थ निरीक्षक ही खाद्य पदार्थों के नमूने लेने का कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1962 में उपमिश्रण के 2056 मामलों की रिपोर्ट की गई थी परन्तु चालू वर्ष में ऐसे मामलों की संख्या घट कर केवल 122 रह गई है; और

(ग) क्या राजधानी में खाद्य अपमिश्रण में वृद्धि होने का एक कारण प्रशासनिक व्यवस्था की शिथिलता है और यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिये, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने और उसे प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) इस वर्ष जून तक मिलावट के मामलों की संख्या 235 बतलाई गई है ।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को दिल्ली में लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है । इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मामले में काफी सुधार की गुंजाइश है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों को यह सलाह दी गई थी कि वे इस अधिनियम को लागू करने के लिए पूर्णकालिक दस्तों की व्यवस्था करें । जनता में सतर्कता उत्पन्न करने के लिए विशेष अभियान भी चलाये जा रहे हैं ताकि इस अधिनियम को लागू करने वाली मशीनरी और अधिक प्रभावकारी ढंग से काम कर सके ।

केन्द्रीय नागरिक परिषद् भी जन जागरण द्वारा इस बुराई को रोकने के लिए विशेष रुचि ले रहो है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : बाजार में हर चीज़ में मिलावट हो रही है, यहां तक कि आत्महत्या करने वालों को जहर भी असली नहीं मिलता और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय निकाय इस समस्या को हल करने में बुरी तरह असफल रहे हैं, क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने पर विचार कर रही है? हालांकि मिलावट के बारे में कब से बात हो रही है पर इन वर्षों में इसके बारे में कुछ नहीं किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : संसद ने जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून 1964 में एक कानून बनाया था। इससे पूर्व हमें इस सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस विधान के अन्तर्गत हमने इस समस्या से निबटने के लिए कुछ समवर्ती शक्तियां अपने हाथ में ली हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि स्थानीय निकाय इस सामाजिक बुराई को समुचित महत्व नहीं दे रहे और हमें इसके लिए क्रियान्वयन तंत्र अधिक सुदृढ बनाना चाहिए। राज्य सरकारों के पास इसके लिए समुचित परीक्षण प्रयोगशालाएं नहीं हैं। कई बार तो इसके लिए खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति न करके मामला सफाई निरीक्षकों पर ही छोड़ दिया जाता है। हम यह बात उनके ध्यान में ला रहे हैं। परन्तु मुख्य बात तो जनता की चेतना को इस सम्बन्ध में जागृत करना है। जब तक स्वतंत्र स्वैच्छी संगठनों द्वारा इस बारे में सतर्कता नहीं बरती जाएगी तब तक जो भी उपाय हम कर लें उनका कुछ प्रभाव नहीं होगा।

श्री नरेंद्र कुमार सांघी : मेरा प्रश्न बहुत सरल था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकारें इस समस्या को सुलझाने में असफल रही हैं, केन्द्र सरकार इस विषय को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती, क्योंकि पिछले वर्ष तथा उससे एक वर्ष पूर्व की तुलना में इस साल बहुत कम मिलावट के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले वर्ष इनकी संख्या 1,225 थी उससे पूर्व के वर्ष में 2,050 थी जबकि इस वर्ष केवल 235 मामले ही दर्ज हुए। उस दिन गृह मंत्री श्री के० सी० पन्त ने कहा था कि खाद्य मिलावट संबन्धी कानून को खाद्य संबन्धी अपराधों पर भी लागू किया जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इस गंभीर समस्या से निबटने के लिए क्या उन का कोई प्रस्ताव है?

श्री आर० के० खाडिलकर : सारी समस्या को केन्द्रीय स्तर पर लेने का अर्थ यह होगा कि हमें इसके लिए अधिक प्रयोगशालाएं खोलनी होंगी और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी होगी, जोकि वर्तमान स्थिति में अत्यन्त कठिन है। जहां तक स्थानीय निकायों का संबन्ध है, केवल प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें कई अन्य उपाय करने पड़ेगें। यह बुराई सब जगह फैली हुई है और वर्तमान विषम स्थिति में खाद्य अपमिश्रण का धन्धा बहुत लाभदायक हो रहा है।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : अखबारों में यह खबर आई है कि आजकल बेसन की जगह केसरी दाल बेची जा रही है जो शरीर के लिए अत्यन्त हानिकारक है तथा इससे शरीर में लकवा मार जाता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह समाचार सही है और यदि यह सही है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की सोच रही है और क्या उन्होंने बाज़ार से सारा बेसन हटा लेने का निर्णय किया है अथवा क्या अन्य उपाय करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस संबन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है। मुझे आशा है तब तक माननीय सदस्या इन्तजार कर लेंगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : So far as the adulteration of food is concerned, the inspectors who go to detect cases of food adulteration hush up cases in return for illegal gratification. It is generally complained that petty shopkeepers are punished for selling packed food stuff which they in turn have purchased or acquired from other sources, will the Government adopt some measures for checking of the packed food stuffs at the very source of their production before they are put on sale in the market? Will the food inspector who tries to hush up cases for illegal gratification be suitably dealt with ?

श्री ग्रार० के० खाडिलकर : सारी जिम्मेदारी थोक माल के विक्रेता पर डालनी उचित नहीं होगी क्योंकि माल खरीदने के बाद भी दुकानदार उसमें मिलावट कर सकता है । ग्राप इस बात को क्यों भूल रहे हैं । इस देश की व्यापार प्रक्रिया ऐसी है कि न तो थोक माल विक्रेता ग्रौर न ही दुकानदार ग्रपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं ग्रौर न ही उनका कोई स्टेन्डर्ड है । जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है हमें इस सम्बन्ध में कुछ ग्रधिक नियंत्रण रखना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि भारतीय उपभोक्ता परिषद् ने जोकि योजना ग्रायोग का एक निकाय है, कहा है कि 342 ऐसी मदें हैं जिनके सम्बन्ध में मिलावट की जा रही है ग्रौर जिनके स्थान पर जाली वस्तुएं बेची जा रही हैं, ग्रौर यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ग्रार० के० खाडिलकर : ये ग्रांकड़े सही हैं या नहीं यह जांचने के लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ग्रापके ग्रांकड़े क्या हैं ?

श्री ग्रार० के० खाडिलकर : भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा दिए गए ग्रांकड़ों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं ।

श्री ए० के० एम० इशहाक : खाद्य पदार्थों में मिलावट इस हद तक बढ़ गई है कि लोग ग्रसली चीज़ का स्वाद तक भूल गए हैं ग्रौर ग्रगर किसी को बिना मिलावट के कोई चीज़ दे दी जाए तो उसके लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि यह ग्रसली है। ग्रतः इन हालात में क्या सरकार इस प्रकार के मिलावट के ग्रपराधों के लिए सख्ती बरतेगी ग्रौर ग्रपराधियों के लिए उचित दण्ड की व्यवस्था करेगी ?

श्री ग्रार० के० खाडिलकर : हम निश्चय ही इस बात को बहुत गम्भीर मानेंगे। 1964 के ग्रधिनियम में कारावास की ग्रवधि 6 महीने तक बढ़ा दी गई थी ?

श्री ग्रमृत नाहाटा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिलावट से नृशंस ग्रौर घृणित ग्रपराध कोई ग्रौर नहीं हो सकता ग्रौर साथ ही यह भी देखते हुए कि इससे देश में बड़े पैमाने पर रोष उत्पन्न हुग्रा है, क्या सरकार इस बात का ग्राश्वासन देगी कि मिलावट करने वालों को मौत से कम सज़ा नहीं दी जाएगी ?

श्री ग्रार० के० खाडिलकर : दण्ड की ग्रवधि बढ़ाने के लिए सुझाव दिया गया है ग्रौर जब हम इस पर विचार करेंगे तो माननीय सदस्य के सुझाव पर भी गौर करेंगे।

अनाज के अधिकतम उत्पादन के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण

+
*112. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री एस० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यूनतम सम्भव समय में अनाज के अधिकतम उत्पादन के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण, अपनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अधिक उत्पादनशील किस्मों और बहुफसली कार्यक्रमों के अलावा, जिन्हें सिंचित तथा सुनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है, अधिक फसलें उगाने और उनकी उत्पादिता बढ़ाने की दृष्टि से कमांड क्षेत्र विकास को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार का विचार जमकर प्रयास करने हेतु प्रत्येक राज्य के कुछ क्षेत्रों को चुनने तथा अनुसंधान कर के एवं उन क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त कर के उनके आस-पास के क्षेत्रों में कार्यवाही करने का है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यही बात मैंने अपने उत्तर में कही थी। वस्तुतः नहरों के कमांड क्षेत्रों तथा निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में कार्य शुरू किया जा चुका है। पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ क्षेत्रों में संगठित कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। हम अखिल भारतीय आधार पर क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं। यह कार्य एक उद्योग की भांति है जहां क्षमता तो है परन्तु हम उसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। आने वाले समय में हमारा विचार इन पर ध्यान देने का है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार ने, बारानी खेती तथा इस समय असिंचित और वर्षा पर आधारित रहने वाले क्षेत्रों, जिन्हें थोड़े से और प्रयत्न करके अधिक फसलें उगाने के योग्य बनाया जा सकता है के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने में प्रगति की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बारानी खेती कार्यक्रम अलग हैं। वे चौथी योजना में शुरू किए गए हैं। परन्तु बारानी खेती की समस्याएं कठिन और जटिल हैं। इस दिशा में और अधिक अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है। प्रश्न फसल के ढांचे में परिवर्तन करने और भूमि में ऐसी शक्ति पैदा करने आदि का है जिससे नमी ज्यादा देर बनी रहे और हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसका असर होने में कुछ समय लगेगा।

Shri N. N. Pandey : Inspite of the fact that water and fertilisers are necessary for agricultural production, due attention has not been paid towards various emergency programmes and the requirement of fifth five year plan regarding irrigation facilities,electricity and drainage., Has the Government under contemplation any such scheme for providing such facilities in the wheat producing areas so as to meet their requirements ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक जल संसाधनों के उपयोग का प्रश्न है, भूमिगत जल तथा अतिरिक्त बहाव वाले जल के उपयोग के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न किए जाते हैं। माननीय सदस्य द्वारा संसाधनों को अपर्याप्त कहना एक अलग विषय है। वह यह सुझाव दे सकते हैं कि संसाधनों में वृद्धि की जाए और हम इसका स्वागत करेंगे।

जहां तक अन्य भाग का प्रश्न है, यह दृष्टिकोण देश व्यापी आधार पर है।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, यदि उर्वरकों के उत्पादन-पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता तो आने वाले वर्षों में कठिनाई हो सकती है। उर्वरकों का मामला पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सम्बन्धित है और मेरे मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर है।

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

+

*114. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री समर गुह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, जमाखोरी और कमी को देखते हुए सरकार का चावल, गेहूं, दालों, मिट्टी का तेल तथा वनस्पति आदि जैसी आधारभूत वस्तुओं को केवल सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से वितरित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) देश भर में उचित मूल्य की दुकानों के बिछे जाल के माध्यम से चावल, मोटे अनाज और गेहूं तथा गेहूं से बने पदार्थ पहले से ही निर्धारित मूल्यों पर वितरित किये जा रहे हैं। इसके अलावा दालों, मिट्टी के तेल और वनस्पति की भी सीमित मात्रा भी उचित मूल्य की दुकानों और सहकारी भंडारों के माध्यम से कुछ स्थानों पर वितरित की जा रही है। क्योंकि वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है इसलिए उन्हें समय-समय पर कहा गया है कि वे विशेषकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में उचित मूल्यों की दुकानों के कार्यचालन में सुधार करें।

श्री आर० के० सिन्हा : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में धनी कृषकों द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की जा रही है जिसके फलस्वरूप निर्धन कृषकों, भूमिहीन कृषकों, हरिजनों अथवा उन लोगों को जिनके पास साधन नहीं हैं जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नहीं हो रही हैं और सरकार उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में इसी उद्देश्य से लिया है। पर इसके लिए हमें देश में आवश्यक वातावरण उत्पन्न करना होगा। सरकार भी जमाखोरी का विरोध करने वाले लोगों के साथ है और उनके आन्दोलनों को प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि लोग अपनी आवश्यक्ता से अधिक वस्तुएं अपने पास जमा न करें, परंतु वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाईयां स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है।

श्री आर० के० सिन्हा : सरकार को जमाखोरों के विरुद्ध, जोकि समुदाय को फिरौती पर रख रहे हैं, कार्यवाही करनी चाहिए तथा उन्हें इसके लिए दण्ड देना चाहिए। देश में खाद्यान्नों का केवल सीमांत अभाव हैं और देश के कुछ विशेष वर्ग खाद्यान्नों की थोक वसूली में अड़चन डाल रहे हैं। अतः देश भर की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए—यहाँ तक कि दिल्ली में भी लोगों को राशन की दुकानों से एक चीज़ एक दिन मिल जाती है तो दूसरी नहीं मिलती—और इस बात को भी देखते हुए कि देश में बनावटी अभाव पैदा किया जा रहा है और राशन व्यवस्था होने के बावजूद कदाचार व्याप्त है, क्या सरकार इसके लिए कठोर कार्यवाही करेगी और लोगों की समिति बनाएगी तथा समुदाय को फिरौती पर रखने वाले लोगों के लिए दण्ड की उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे जमाखोरी को रोकने के लिए उपाय करें तथा खाद्य अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें। उन्हें इस सम्बन्ध में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन भी कार्यवाही करने का अधिकार है। हमें आशा है कि राजनीतिक दलों के सहयोग से इसे सफल बनाना संभव होगा ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि आवश्यक पदार्थों के थोक मूल्यों के सूचकांक बाजार में प्रचलित परचून कीमतों की तुलना में काफी भ्रामक प्रतीत होते हैं, क्योंकि परचून की कीमतें थोक कीमतों के हिसाब से कहीं ज्यादा हैं और क्या यह भी सच है कि पिछले 6 महीनों में प्रायः सभी आवश्यक पदार्थों तथा खाने में उपयोग किए जाने वाले तेलों, जैसे सरसों का तेल इत्यादि की कीमतों में 50 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है ? यदि यह सही है तो क्या सरकार देश की जनता को आवश्यक पदार्थ उचित दाम पर दिलाने की व्यवस्था करेगी और यदि सरकार समग्र जनता को इन्हें दिलाने में असमर्थ है तो वह कम-से-कम ग्रामीण व शहरी लोगों के निर्धन व दलित वर्ग को अत्यावश्यक वस्तुएं उचित कीमतों की दुकानों से दिलवाने के लिए उपाय करगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार का भी यही दृष्टिकोण है कि समाज के दलितवर्ग को अधिक-से-अधिक आवश्यक पदार्थ उचित दामों की दुकानों से दिलाए जाएं। पर इस कार्य में कुछ कठिनाईयां हैं। उदाहरण के लिए, माननीय सदस्य ने खाने में उपयोग किए जाने वाले तेलों के बारे में कहा है। पिछले वर्ष गुजरात और महाराष्ट्र में, जहां कि दो तिहाई मूंगफली का उत्पादन होता है, बहुत कम उत्पादन हुआ और इस कारण तेल की कमी हुई। इस से कई समाज विरोधी तत्वों ने लाभ उठाया। जहां तक दीर्घावधि उपायों का सम्बन्ध है, सरकार इस दिशा में कार्य करने पर विचार कर रही है।

श्री समर गुह : सरकार कितने प्रतिशत लोगों को अत्यावश्यक पदार्थ उचित दामों पर उपलब्ध करा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न को लम्बा मत कीजिए ।

श्री समर गुह : सरकार तो ऐसी धारणा उत्पन्न कर रही है जैसे कि वे सारी जनता के लिए मुहैया कर रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस सीमा तक इसकी व्यवस्था की जा रही है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मोटे रूप से हम उचित कीमतों वाली दुकानों को 10 लाख टन खाद्यान्नों का वितरण करते हैं। दूसरे आवश्यक पदार्थों का अभी बड़ी मात्रा में वितरण नहीं किया जा रहा, पर हम इस दिशा में कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Nawal Kishore Sharma : iThe reply given by the hon. Minister is not satisfactory. The question is how to provide essential commodities easily and at cheaper rates. If the Government is not able to provide such commodities to all the citizens, will the Government, in such a situation, consider a plan whereby the poor are able to get essential commodities at cheaper rates and the well-to-do class may be left to purchase such commodities from the open market ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या देश में दो मार्किटें और दो मूल्य होने चाहिए । वितरण और उपलब्धता का उत्पादन, वसूली तथा उत्पादन कार्यक्रमों से घनिष्ठ संबंध है। वितरण और उत्पादन को सामूहिक रूप में देखना चाहिए ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली के कालेजों में दाखिला

***102. श्री एम० कतामुतु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कोलेजों में स्थानों की अनुपलब्धता के कारण विद्यार्थियों को दाखिला लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने दाखिले के लिये आवेदन-पत्र दिये और कुल कितने स्थानों को भरा गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) दल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है । कुछ कालेजों में तो अभी भी स्थान खाली हैं । प्रवेश के लिये कितने विद्यार्थियों ने आवेदन दिये और वास्तव में कितनों को दाखिला मिला, इस संबंध में विश्वविद्यालय अपने कालेजों से अभी तक के आंकड़े एकत्र कर रहा है और तत्संबंधित विवरण यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

गुजरात के लिए वर्ष 1973–74 के लिए गेहूं की सप्लाई

***104. श्री अरविंद एम० पटेल :**

श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के लिए गुजरात राज्य की गेहूं की कुल मांग कितनी हैं ;

(ख) कुल कितनी मात्र प्राप्त की जा चुकी हैं; और

(ग) गुजरात राज्य को और अधिक गेहूं सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) मासिक आधार पर मांग की जाती है । अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए, लगभग 5.75 लाख मीटरी टन की मांग की गई थी ।

(ख) तीन मीटरी टन ।

(ग) आन्तरिक अधिप्राप्ति और आयात दोनों से केन्द्रीय पूल के पास गेहूं की कुल उपलब्धता और अन्य कमी वाले तथा सूखा ग्रस्त राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य की उपयुक्त आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए गुजरात को यथासम्भव अधिक–से–अधिक गेहूं दिया जा रहा है। इस वर्ष अगेती अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप, गेहूं की उपलब्धता में सुधार होने से मई, 1973 से तेजी से गेहूं सप्लाई किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मछली का उत्पादन

***105. श्री डी० के० पण्डा :**

डा० रानेन सेन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल समुद्री मछली के उत्पादन में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का भाग 3 प्रतिशत से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो समुद्री मछली के उत्पादन में इन राज्यों का इतना कम योगदान होने के क्या कारण है; और

(ग) समुद्री मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिये इन राज्यों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में गत 5 वर्षों के दौरान समुद्री मछली का उत्पादन देश की कुल समुद्री मछली के उत्पादन के 1.5 और 3.3 प्रतिशत के बीच रहा है ।

(ख) इन राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रयत्न अंतर्देशस्य मत्स्य उत्पादन पर केन्द्रित रहे हैं। इन राज्यों में अंतर्देशस्य जल की मछलियों की बड़ी भारी मांग है । राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना में मात्स्य की विकास पर किए गए कुल परिव्यय की तुलना में समुद्री मछली के विकास पर परिव्यय का का अनुमान पश्चिम बंगाल में 2 प्रतिशत तथा उड़ीसा में 17 प्रतिशत रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार मछली पकड़ने के बन्दरगाहों और मात्स्यकी संसाधनों के बारे में सूचना देने के रूप में मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके समुद्री मात्स्यकी विकास में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है । कलकत्ता में एक गहन सुमुद्र सर्वेक्षण यूनिट स्थापित किया गया है । पारादीप में भी एक सर्वेक्षण यूनिट स्थापित किया जा रहा है । पश्चिम बंगाल में रायचौक और नामखाना में तथा उड़ीसा में चंदीरपुर में मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाहों की स्वीकृति दे दी गई है । पारादीप और धामरा में मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाह बनाने के प्रस्तावों पर पी विचार किया जा रहा है ।

गत तीन महीनों में केरल को सप्लाई किया गया चावल

***109. श्री ए० के० गोपालन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में केरल को केन्द्रीय पूल से कुल कितना चावल सप्लाई किया गया;

(ख) क्या सरकार को उन कठिनाइयों का पता है जिनका सामना केरल को चावल की कमी के कारण करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार केरल को केन्द्रीय पूल से प्रति मास एक लाख टन चावल सप्लाई करने के बारे में विचार करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) पिछले तीन महीनों में केन्द्रीय पूल से केरल को कुल लगभग 176 हजार मीटरी टन चावल सप्लाई किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) केन्द्रीय पूल के पास चावल की कुल उपलब्धता और अन्य कमी वाले तथा सूखा ग्रस्त राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य की चावल से सम्बन्धित उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। केन्द्रीय पूल से सप्लाई के अतिरिक्त केरल सरकार को राज्य को किए गए कन्द्रीय आवंटनों में वृद्धि करने हेतु राज्य से राज्य के आधार पर आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पांडिचेरी से कुछ चावल खरीदने की भी अनुमति दी गई है ।

शिक्षा के विकास के लिए पांचवीं योजना में किये गये नियतन की अनुपूर्ति के लिए धन जुटाने के लिए भू-राजस्व अथवा भवनों पर उप-कर लगाना

*110. **श्रीमान सिंह भौरा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने शिक्षा के विकास के लिये 2200 करोड़ रुपये के पांचवी योजना के नियतन की अनुपूर्ति हेतु धन जुटाने के लिये भू-राजस्व अथवा भवनों पर उप-कर लगाने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई के लिये राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ।

कोचीन में सुपर टेंकर बर्थ का निर्माण

*113. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन में सुपर टेंकर बर्थ के निर्माण की नवीनतम स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : कोचीन पत्तन न्यास के परामर्शी, मैसर्स इंजीनियरस इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को वस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा जा रहा है । रिपोर्ट की लगभग छः महीने में तैयार हो जाने की सम्भावना है । पत्तन के मुख्य इंजीनियर साथ ही साथ पत्तन न्यास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया गया है कि सर्वेक्षण भूमि जांच आदि जैसे परियोजना पूर्व कार्य तुरंत शुरू किया जाये ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के परियोजना संयोजकों तथा निदेशकों की बैठक

*115. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के परियोजना संयोजको तथा निदेशकों की हाल ही में राजधानी में हुई बैठक में के क्या परिणाम निकले : और

(ख) पांचवी योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन के लिये दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों के परियोजना समन्वयकों तथा निदेशकों की 25 से 30 जून, 1973 तक हुई बैठक में किये गये विचार-विमर्शों के आधार पर कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा मानव शक्ति योजनाओं के पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) ये प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन हैं ।

Expert Committee on Agricultural Labourers

*116. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to appoint an Expert Committee to solve the problems of the agricultural labourers;

(b) if so, the outlines of the formation of the Committee; and

(c) the criteria and the method of selecting the members of the Committee?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) (a) to (c) The Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation have decided to constitute an Expert Cell to study the problems of agricultural labourers in the country. That Ministry would furnish further details.

गेहूं तथा दालों, कपास और तिलहनों के उत्पादन के तुलनात्मक आकड़े

*117. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 से 1972–73 तक के वर्षों में एक ओर गेहूं तथा दूसरी ओर दालों, कपास एवं तिलहनों के राज्यवार वार्षिक उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) दालों, कपास और तिलहनों जैसे कृषि उत्पादों के उत्पादन में गतिरोध के क्या कारण हैं; और

(ग) इन की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 5232/73]

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

*118. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले, और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : सरकार भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन पर निरन्तर निगरानी रखती रही है। अधिकारियों की एक समिति यह पता लगाने के लिए गठित की गई है कि क्या प्रासंगिक खर्चों में कुछ कमी की जा सकती है।

Import of Edible oil in view of shortage of Vanaspati

***119. Shri Chandulal Chandrakar :**

Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether in view of the shortage of vansapati ghee in the country, the Government propose to import edible oil from foreign countries;

(b) if so, by what time; and

(c) the broad outline thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) A Statement showing the imports so far effected during the current year, and those programmed during the rest of the year, is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

Programme of Import of edible oils/oilseed during 1973-74

(Tonnes)

Name of oil/oilseed	Imported upto the end of July	Expected by the end of October	Expected by the end of March, 1974	Total
Soybean oil .	9,000	12,000	—	21,000
Palm oil .	26,112	2,550	42,672	71,334
Rapeseed oil . .	—	38,900	—	38,900
Further imports planned .	—	—	60,000	60,000
Total : .	35,112	53,450	102,672	191,234
Rapeseed .	12,777	—	80,000 (or equivalent in oil)	92,777

ताप्ती में जहाज़ निर्माण कारखाना बनाने के बारे में गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई अध्ययन रिपोर्ट

*120. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने देश का पांचवां जहाज निर्माण कारखाना ताप्ती में बनाये जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को अध्ययन रिपोर्ट भेजी है, और

(ख) उक्त रिपोर्ट पर विचार करने और उस पर शीघ्र निर्णय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न अन्य समुद्री राज्य सरकारों ने भी अपने राज्यों में नये शिपयार्ड की स्थापना के लिये प्रस्ताव भेजे हैं। एक तकनीकी-आर्थिक दल का गठन किया गया है ताकि वे राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थानों का मूल्यांकन कर सकें जिसमें गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थान भी शामिल है।

नये शिपयार्डों की स्थापना के प्रस्ताव योजना आयोग को भी भेजे गये हैं और इस समय विचाराधीन हैं। नये शिपयार्डों की स्थापना के बारे में अंतिम निर्णय पांचवीं योजना की विषय वस्तु और तकनीकी-आर्थिक दल की सिफारिशों के आधार पर निश्चित किये गये उनके स्थानों को मालूम होने के बाद किया जायेगा।

कन्नूर (केरल) के निकट बलियापट्टम नदी पर पुल का निर्माण

1001. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कन्नूर के निकट बलियापट्टम नदी पर पुल का निर्माण लगभग किस तारीख तक पूरा हो जाएगा, और

(ख) उक्त निर्माण-कार्य इस समय किस स्थिति में है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) पुल के निर्माण की नवम्बर 1974 के अंत तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ख) पुल के निर्माण के लिये आवश्यक सभी बल्लियां ढाली जा चुकी हैं और 26% गाड़ी जा चुकी हैं। शेष बल्लियों के गाड़ने का कार्य प्रगति पर है। अधिसंरचना के डिज़ायन की जांच की जा रही है।

Request for Central Assistance for setting up Collective farms in Madhya Pradesh.

1002. **Shri G.C. Dixit**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Government of Mdahya Pradesh have sought assistance from the Centre for setting up collective farms in some Districts of that State; and

(b) if so, the broad outline thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) & (b) The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

Emergent food production programme of Madhya Pradesh

1003. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have chalked out any emergent food production programme and have asked for the central assistance to make it successful; and

(b) if so, the salient features thereof and the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) The information has been called for from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Reclamation of land devoid of under ground water in Madhya Pradesh

1004. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the area of land in Madhya Pradesh where even underground water is not available for irrigation purpose; and

(b) whether Government propose to take certain steps to reclaim that land by making arrangements for water?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher singh) : (a) & (b) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Recovery of Arrears of land revenue and taccavi loans in Uttar Pradesh

1005. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether huge amounts of arrears of land revenue and taccavi loans given in drought and flood affected areas and also to the public through co-operative Institutions are outstanding in Uttar Pradesh;

(b) if so, the approximate amount thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government to recover these amounts ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) Land revenue........................Rs. 7 Crores,
(ii) Taccavi loans.......................Rs. 8 crores.
(iii) Co-operative dues Rs. 40 crores.

(c) The State Government has launched a special drive for realising these arrears in districts not affected by drought.

खाद्यान्नों के आयात के लिए लाइसेंसों को जारी करना

1006. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों का आयात करने के लिए सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी पार्टियों को आयात लाइसेंस देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क): जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में परिवार नियोजन संस्थान् में उपनिदेशक का पद

1007. **श्री वयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार नियोजन संस्थान, दिल्ली में उप-निदेशक के पद के लिए जुलाई, 1972 में ज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हताएं क्या थीं और पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार का ब्यौरा और अर्हताएं क्या थीं; और

(ग) क्या उक्त पद के लिये साक्षातकार अभी तक नहीं किया गया है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) विज्ञापन का एक उद्धरण संलग्न है जिसमें पद की अर्हताएं दी गई हैं। चूंकी पद के लिए अभी चुनाव नहीं किया गया है इसलिए इसके उम्मीदवार की अर्हताओं का व्यौरा बताना जनहित में नहीं होगा क्योंकि इससे जब कभी भी चुनाव होगा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) जी हां, अभी साक्षातकार नहीं हुआ है क्योंकि अभी इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या किफायत की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए यह पद भरा जाए या नहीं।

विवरण

विज्ञापन से उद्धरण

राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान्

एक उप निदेशक (प्रशिक्षण) वेतन 1,300–60–1,600 रुपये **अर्हताएं** : अनिवार्य : (1) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली और दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची के भाग-2 (लाइसेंशियट अर्हताओं के अलावा) में दी गई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग-2 में दी गई शैक्षणिक अर्हता के धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 के खण्ड 13 (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए। (2) स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अर्थात् एम०पी०एच०, डी०पी०एच०, डी०सी०एच०, डी०जी०ओ०, एम०डी०/डी०एम०सी०डब्ल्यू० (3) व्यवसाय में 12 वर्ष का अनुभव तथा किसी वरिष्ठ पद पर परिवार नियोजन अथवा स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव (4) आयोजना, परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम में कार्य कर रहे अथवा उससे सम्बद्ध कार्मिकों के लिए चिकित्सा अनुसन्धान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और आयोजित करने का अनुभव (नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इससे छूट दी जा सकती है)।

वांछनीय (1) किसी क्षेत्रीय परिवार नियोजन अनुसन्धान केन्द्र/मेडिकल कालेज/अनुसन्धान संस्थान में शिक्षण/प्रशिक्षण का अनुभव। (2) परिवार नियोजन और/या स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में उच्च स्तर के अनुसन्धान प्रकाशन/चिकित्सा अर्हताओं वाले उम्मीदवार संस्थान के नियमों के अन्तर्गत प्रैक्टिस न करने के लिए स्वीकार्य भत्ते के हकदार होंगे।

केरल में काजू की खेती का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता देना

1008. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में काजू की खेती का विकास करने के लिए केरल काजू विकास निगम द्वारा प्रस्तुत योजना की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल में काजू की खेती का विकास करने के लिए केरल काजू विकास निगम से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता?

Targets for production of hen eggs

1009. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the total production of the hen eggs in the country during the year 1971; and

(b) the target fixed by Government in this regard during the Fourth Five Year Plan?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture. (Prop. Sher Singh); (a) 5813 Million eggs in 1971-72.

(b) 6927 million eggs.

Allotment of shops in Delhi for sale of vanaspati ghee at Control Prices

1010. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to State:

(a) the number of shops or centres opened in Delhi for the sale of Vanaspati ghee at the controlled prices;

(b) whether Government have received some applications for the allotment of these shops;

(c) the criteria adopted for the allotment thereof; and

(d) the measures adopted to ensure that no irregularity is committed in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) There are presently 174 wholesalers and 3600 retailers licensed under the provisions of the Delhi Hydrogenated Vegetable Oils Dealers Licensing Order, 1966 for the sale of vanaspati in Delhi.

(b) The Delhi Administration has so far received 1590 applications during 1973.

(c) A licence is granted only after verification of the antecedents of the applicant and of the legal possession of the premises by him.

(d) Provision exists in the Licensing Order for any aggrieved person (i) to appeal to the State Government against an order of the licensing authority refusing to grant or renew a licence or cancelling or suspending a licence or forfeiting the security deposited by the licencee under the provisions of the said Order and (ii) to be given a reasonable opportunity for stating his case before any such appeal is disposed of.

Licence Holder for sale of wheat in Delhi

1011. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have fixed the retail price of wheat as Rs. 83.00 per quintal in Delhi;

(b) the number of licence-holders in Delhi who have been extended facilities for sale of wheat;

(c) the number of licence-holders who asked for these facilities; and

(d) the reasons why some persons were not given this facility?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) The Delhi Administration has fixed the maximum retail prices of superior (farm) wheat and wheat of other varieties at Rs. 89.00 and Rs. 83.00 per quintal respectively.

(b) 8492 as on 17th July, 1973.

(c) 10,902 upto 30th April, 1973.

(d) Some cases are under consideration. Some applications have been rejected because the applicants were either fair price shop holders or did not have legal possession of the premises or the applications were received after the due date, namely, 30th April, 1973.

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्यों से धन एकत्र करना

1012. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री 26 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4576 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति लि० के कार्यों में कुछ गम्भीर अनियमितताएं, समिति के अनेक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन द्वारा सरकार की जानकारी में लाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या समिति के कार्यकलापों की जांच के जारी रहते हुए भी कुछ अनधिकृत व्यक्ति, सदस्यों से भूमि के विकास के नाम पर भारी राशि एकत्र करते हैं और इस प्रकार वे अनुचित रूप से भोले सदस्यों को ठगते हैं और समिति को भारी वित्तीय हानि पहुंचाते हैं, और

(घ) इन व्यक्तियों की कार्यवाहियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कुछेक पदधारियों तथा पदधारी होने का दावा करने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा गैर-कानूनी चुनाव कराने, सदस्यों का गलत नामांकन करने, विकास कार्य में विलम्ब किये जाने, सोसायटी की निधियों का दुरुपयोग तथा गबन जैसी अनियमितताएं किये जाने की शिकायतें दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आई हैं।

(ग) सोसायटी के कुछेक सदस्यों ने दिल्ली प्रशासन के ध्यान में यह बात लायी है कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मांग नोटिस मिले हैं जो अपने को सोसायटी का स्थानापन्न सचिव बताता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा आदेशित जांच जब पूरी होगी तब उसकी रिपोर्ट से ही सही स्थिति का पता चल सकता है।

(घ) मार्च, 1972 में सोसायटी के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति की जांच के आदेश दिये जाने के तुरन्त बाद जांच अधिकारी ने जांच आदेश की बात तथा उसके कारण सोसायटी के अधिकांश सदस्यों, जिनके पते उपलब्ध थे, को सूचित किये थे। कुछ समाचार पत्रों ने भी जांच से संबंधित समाचार प्रकाशित किया था। अब यह सदस्यों पर है कि वे सावधान रहें और ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों को कोई भुगतान न करें जो सोसायटी के पदधारी होने का दावा कर रहे हैं।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड के सदस्यता संबंधी रिकार्ड में गड़बड़ करना

1013. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री 26 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति दिल्ली के रिकार्ड में समिति के तथाकथित पदाधिकारियों द्वारा इस हद तक फेर-बदल किया जाता है कि भारी

संख्या में वैध सदस्यों को भूमि के प्लाट लेने से वंचित किया जा रहा है क्योंकि उनके नाम या तो सदस्य के रोस्टर में विद्यमान नहीं हैं अथवा उन्हें बदल कर रोस्टर के अन्त में लिख दिया गया है, और रोस्टर को उल्टा-सीधा बना दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के रिकार्ड में कथित फेर-बदल और उसके गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित अनियमितताएं किये जाने की शिकायतें दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आई हैं;

(ख) ये शिकायतें दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त किये गये जांच अधिकारी को जांच के लिये भेजी गई हैं। जांच अधिकारी के निष्कर्ष प्राप्त होने पर दिल्ली प्रशासन द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अफगानिस्तान का भारत से प्रोफेसर भेजने का अनुरोध

1014. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान सरकार ने भारत से विश्वविद्यालय स्तर के कुछ प्रोफेसर भेजने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में शर्तें क्या होंगी?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) शर्तें, अफगानिस्तान को प्रतिनियुक्त किये गये भारतीय विशेषज्ञों के लिए निर्धारित मान-दण्डों के अनुसार होंगी।

Hardship due to Interruption in supply of Water in Delhi

1015. Shri M.S. Purty: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the people of Delhi had to face great hardship on account of interruption in water supply in Delhi during the second week of June; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Water supply in West Delhi was affected in the month of June, 1973 from 9th to 12th.

(b) The main reason was the leakage of 1100 mm dia. PSC Main line near the crossing of Qutab Garh Road and Ring Road.

कलकत्ता के बाजार में मूंगफली के तेल का मूल्य

1016. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि गुजरात में उचित दर की दुकानों में मूंगफली का तेल 6 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है, क्या इसका मूल्य कलकत्ता के बाजार में 11 रुपये प्रति किलोग्राम है?

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता के बाजार में मूंगफली के तेल का अत्यधिक ऊंचा मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जबकि विभिन्न कारणों से मूंगफली के शोधित तेल का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है; और

(ग) मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है कि कलकत्ता के बाजार में गुजरात तथा ऐसा तेल पैदा करने वाले अन्य राज्यों से मूंगफली के शोधित तेल की नियमित सप्लाई हो सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) कलकत्ता में मूंगफली के तेल के मूल्यों में निःसन्देह वृद्धि का रुख रहा है। 13 जुलाई, 1973 को उपलब्ध मूल्य 8.70 रुपये प्रति किलोग्राम था। परन्तु मूंगफली के तेल के मूल्य में यह वृद्धि कलकत्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में मूंगफली के उत्पादन में अधिक कमी होने के कारण यह स्थिति देश भर में मौजूद है। वर्ष 1971–72 में मूंगफली का उत्पादन 61.81 लाख मीटरी टन था जो 1972–73 में घट कर 39.24 लाख मीटरी टन रह गया। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन वर्ष 1971–72 में 15.41 लाख मीटरी टन था जो घट कर 1972–73 में 3.50 लाख मीटरी टन रह गया। इसके परिणाम-स्वरूप 20 जुलाई, 1973 को अहमदाबाद में मूंगफली का बाजार मूल्य 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम था। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है देश में वनस्पति तिलहनों और तेलों की उपलब्धि में सुधार करने के लिए इसने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें तिलहनों, तेलों और चिकनाई के आयात द्वारा पूर्ति में यथासम्भव वृद्धि करना, बिनौलों और चावल की भूसी की अधिकाधिक पेराई को प्रोत्साहन देना तथा उनके तेलों का प्रयोग, वृक्ष-मूलक गौण तिलहनों के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देना, मूंगफली के तेल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना, वनस्पति घी के निर्माण में दूसरे तेलों के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देना और पारस्परिक तथा सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज आदि अपारम्परिक तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना शामिल है। इस समय मूंगफली/तेल के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

त्रिपुरा में राशन की सप्लाई

1017. **श्री दशरथ देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा में राशन की सप्लाई पूर्ण रूप से अनियमित हो जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा भेजने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) यदि नही, तो सरकार की इस असफलता के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): गत वर्ष सूखे की स्थिति पैदा होने और इस वर्ष बाढ़ आने के कारण त्रिपुरा को काफी तेजी से खाद्यानों की सप्लाई की जा रही है। जनवरी से जून, 1973 की अवधि के दौरान राज्य को कुल 39.4 हजार मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3.4 हजार मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे। भारतीय खाद्य निगम के त्रिपुरा में स्थित डिबों में खाद्यान्नों का भण्डार करने के प्रबन्ध भी किए गए हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता को एक स्थान पर लगाने संबंधी नियम

1018. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण में अधिशासी अभियन्ता को एक स्थान पर लगाने सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): सिवाय नेपाल तथा अन्दमान और अरुणांचल प्रदेश जैसे कठिन क्षेत्रों के, जहां सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष है, प्रत्येक स्थान पर एक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) का सामान्य कार्यकाल 4 वर्ष है। कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत्) का दिल्ली में सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष है तथा अन्य स्थानों पर यह 3 वर्ष है। कार्यकाल की यह अवधि लोक सेवा की आवश्यकता पर निर्भर करती है तथा इसे ऐसे कारणों से कम किया जा सकता है अथवा बढ़ाया जा सकता है।

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में क्वार्टरों के घटिया निर्माण के विरुद्ध जांच

1019. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डी' सैक्टर, डी० आई० जेड० नई दिल्ली क्षेत्र में क्वार्टरों के घटिया निर्माण के बारे में कई शिकायतें की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) घटिया निर्माण के बारे में शिकायतें प्राप्त होने से भी पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सामान्य निरीक्षण के दौरान, जबकि कार्य अभी चालू था, कुछ कमियां नोटिस में आयीं । जहां तक संभव था इन्हें विधिवत दूर किया गया। जहां कमियां दूर नहीं की जा सकीं, उन मामलों में ठेकेदार पर जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त, इस बात का पता लगाने के लिये जांच की जा रही है कि क्या किसी अधिकारी विशेष को इस के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

Irregularity in Department of Social Welfare Delhi

1020. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Hindi 'Nav Bharat Times' dated the 31st May, 1973 to the effect that irregularities are being committed in the name of social welfare; and

(b) if so, the action taken and proposed to be taken in future by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) Upon verification, the allegations contained in the news items were found to be incorrect and baseless. Attention is invited to news item published in Nav Bharat times dated 4-6-73 in which the Delhi Administration issued a rejoinder contradicting the report.

17 LSS/73—4.

अरलम स्टेट फार्म, केरल में श्रमिक प्रबंधक संबंध

1021. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अरलम स्टेट फार्म केरल में श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्ध तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं;

(ख) क्या छोटे-छोटे आधारों पर फार्म के कुछ मजदूर और कर्मचारियों की छटनी की गई है;

(ग) क्या फार्म प्राधिकारियों ने छटनी किये गये मजदूरों में से कुछ के विरूद्ध पुलिस केस दायर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) भारतीय राज्य फार्म निगम की स्थापना होने से केन्द्रीय राज्य अरालम (केरल) सहित समस्त केन्द्रीय राज्य फार्मों के प्रशासकीय नियंत्रण की जिम्मेदारी अब निगम की है। पहली अप्रैल, 1973 को फार्म प्रबन्ध को 16 कृषि श्रमिकों की नौकरियां समाप्त करनी पड़ी क्योंकि पिछले एक वर्ष से फार्म में उनके विरुद्ध कदाचार और अन्य विनाशकारी गतिविधियों में भाग लेने की शिकायतें थीं। सूचना के अनुसार इन 16 में से 8 व्यक्तियों ने 7 फरवरी 1973 को फार्म के निदेशक पर आक्रमण किया और उनके विरुद्ध अदालत में मामला चल रहा है। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कार्यालय भवन के दरवाजे तोड़ कर हिंसात्मक ढंग से कार्यालय की सीढ़ियों पर चढ़कर निदेशक पर आक्रमण किया था। सूचना के अनुसार शेष 7 व्यक्ति चोरी, फार्म उत्पाद को नष्ट करने आदि फार्म को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों में लगे हुए थे। सूचना के अनुसार वे किसी भी हड़ताल के समय हिंसा का प्रयोग करते थे और अन्य स्वामिभक्त श्रमिकों को हड़ताल करने के लिये उकसाते थे। उन्हें जब भी फार्म का कोई कार्य सौंपा जाता वे अपने से बड़े कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता से पेश आते। फार्म में उनकी उपस्थिति स्टाफ के अन्य सदस्यों के जीवन के लिये भी खतरानक थी। प्रायः इन सभी अपराधी व्यक्तियों को अवांछित व्यक्ति समझा गया।

अतः इन व्यक्तियों को निगम की सेवा से हटा दिया गया।

दिल्ली के रैन बसेरों में भिखारियों से जबरन मजूरी करवाया जाना

1022. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली के रैन बसेरों में रहने वाले भिखारियों से परियोजनाओं में जबरन मजूरी करवाई जाती है;

(ख) क्या इन भिखारियों से अधिकारियों के घरों में भी बिना मजूरी दिये साधारण कामकाज करवाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस शोषण को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों के दीर्घावधि पट्टे की बिक्री किये जाने के विरुद्ध शिकायतें

1023. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों और कब्रिस्तानों के दीर्घावधि पट्टों की बिक्री किये जाने के बारे में सरकार को पंजाब और हरियाणा के मुसलमानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

(ख) क्या मुसलमानों के अतिरिक्त, करनाल (हरियाणा) के स्वामी केवलन और गिरी तथा सुनाम (जिला संगरुर, पंजाब) के गैर-मुसलमान निवासियों ने पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा इन क्षेत्रों की दो मस्जिदों को पट्टे पर दे दिए जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है;

(ग) क्या सरकार इन मस्जिदों के पट्टे समाप्त करने के लिए कार्यवाही करना चाहती है; और

(घ) क्या हरियाणा और पंजाब के मुसलमानों से कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बोर्ड द्वारा कब्रिस्तानों के पट्टे पर दे दिये जाने के कारण दफनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, यदि हां, तो क्या ऐसी शिकायतों की प्रतियां सदन के सभा-पटल पर रखी जाएंगी ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। इस संबंध में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जहां तक सुनाम (जिला संगरुर) की मस्जिद का संबंध है, सरकार ने पंजाब वक्फ बोर्ड से कहा है कि आबंटन को रद्द किया जाए तथा भूमि का पुनग्रहण किया जाए। पंजाब वक्फ बोर्ड तदनुसार कार्यवाही कर रहा है। जहां तक करनाल की मस्जिद का संबंध है, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी हां। इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सरकार की नीति यह है कि जहां दफनाने के लिए कब्रिस्तानों की आवश्यकता हो वहां कब्रिस्तानों की भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए पट्टे पर न दिया जाये। सरकार ने समय-समय पर पंजाब वक्फ बोर्ड को उपयुक्त अनुदेश जारी किये हैं। इस प्रकार की शिकायतें भिन्न-भिन्न अवसर पर प्राप्त हो रही हैं। इन सबको सदन के सभा पटल पर रखना संभव नहीं हैं।

वर्तमान पंजाब वक्फ बोर्ड की सामान्य अवधि

1024. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पंजाब वक्फ बोर्ड की पांच वर्ष की सामान्य अवधि 30 सितम्बर, 1970 को समाप्त हो गई थी और यह बोर्ड अपनी सामान्य अवधि के बाद भी गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों से काम कर रहा है; और

(ख) इस बोर्ड के विरुद्ध शिकायतों और इसकी अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद 19 अगस्त, 1972 के संकल्प की अवहेलना करते हुए नये वक्फ बोर्ड के गठन के काम को स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि सभी संबंधित राज्यों से परामर्श किया जाना था, अतः इस मामले को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगा। अब सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं, और बोर्ड का पुनःगठन करने के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है।

सरकारी स्कूल शिक्षक संघ की मांगें

1025. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्कूल शिक्षक संघ, दिल्ली, के एक प्रतिनिधि मंडल ने 15 जून, 1973 को मुख्य कार्यकारी पार्षद से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) 1. सहायक अध्यापकों, शिल्प अध्यापकों और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के बारे में विभागीय पदोन्नति में दोषों को दूर करना ।

2. अध्यापकों को प्रवरण (सेलेक्शन) ग्रेड देने में असंगतियों को दूर करना ।

3. अध्यापकों की वरिष्ठता सूची और उनके स्थाईकरण को अन्तिम रूप देना ।

4. संस्था के लिए कार्यालय स्थान की व्यवस्था ।

(ग) मांग संख्या 1 और 2 दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

मांग संख्या 3 के बारे में दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि 1-5-1970 तक कार्य करने वाले स्नातकोत्तर अध्यापकों और 1-7-1969 तक कार्य करने वाले सभी अन्य श्रेणियों के अध्यापकों की प्रवरण सूची जारी की गई है और प्रवरण सूची को भी अद्यतन करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के अधीन अध्यापकों के 6857 स्थाई पदों के स्थान पर, विभिन्न श्रेणियों के 6706 अध्यापकों को पहले ही स्थाई कर दिया गया है । शेष 151 अध्यापकों को स्थाई करने के मामले विभाग में पहले ही से विचाराधीन हैं । शेष अस्थाई पदों को स्थाई करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

मांग संख्या 4 के बारे में कार्यालय स्थान की कमी के कारण सरकारी स्कूल अध्यापक संघ को अब तक मुख्यालय में कोई कमरा नहीं दिया गया है, यद्यपि इस समस्या की जांच की जा रही है और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

'रिटेल सेंटर्स आफ एजुकेशन'

1026. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मई, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (सिटी संस्करण) के पृष्ठ तीन पर 'रिटेल सेंटर्स आफ एजुकेशन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा में दुकानदारी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी शिक्षा संस्थाएं तथा राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करती हैं। दिल्ली में प्राइवेट शिक्षण (कोचिंग) के विनियमन तथा नियंत्रण हेतु कानून बनाने का भी प्रस्ताव है।

बिजली की कमी के कारण कृषि उत्पादन में हानि का अनुमान

1027. **श्री पी० वेंकटासुब्बैया :**

श्री सरजू पांडे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में बिजली की कमी के कारण कृषि उत्पादन में हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : किसी विशेष वर्ष की अवधि में कृषि उत्पादन का स्तर कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें मौसमी परिस्थितियां, सिंचाई के जल की सप्लाई, उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण आदानों का प्रयोग आदि शामिल हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाये तो इनके प्रभावों से बचना बड़ा कठिन है। यह सत्य है कि वर्ष 1972-73 के दौरान बिजली की कमी का कृषि उत्पादन पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है।

उर्वरकों का प्रति एकड़ औसत उपयोग

1028. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में रासायनिक उर्वरकों का प्रति एकड़ कितना औसत उपयोग होता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : 1972-73 में एन+पीओ+के ओ की देश भर में औसत खपत 16.86 किलोग्राम प्रति हैक्टार थी।

उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के चीनी मिलों के क्षेत्रों में सिंचित भूमि

1029. **श्री चन्द्र भाल मनी तिवारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चीनी मिलों के क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों के क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता से कम है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1971-72 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चीनी मिलों के क्षेत्र में क्रमशः 77 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत सिंचित भूमि थी।

(ख) जी, हां।

बाजार में प्रचलित बुराईयों को दूर करने और अधिनियम को समान रूप से लागू करने के लिए औषध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

1030. **श्री बसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाजार में प्रचलित बुराइयों को दूर करने और अधिनियम को समान रूप से लागू करने की दृष्टि से औषध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्थिति में हैं;

(ग) अधिनियम को समान रूप से और सख्ती से लागू करने के लिए अन्य कौन से उपाय करने का विचार है; और

(घ) अधिनियम को प्रभावकारी रूप में लागू करना सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण नियंत्रण और अभियोजन की वर्तमान पद्धति का किस सीमा तक पुनर्गठन करने और उसको सुदृढ़ बनाने का विचार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) वर्तमान औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में औषधियों की बाजार में बिक्री संबंधी सभी प्रकार की बुराइयों और त्रुटियों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) औषधियों को मानकों के अनुसार रखने के लिए किए जाने वाले उपायों का क्या प्रभाव होगा इसका तीन समितियों ने पहले ही अध्ययन कर लिया है और इस संबंध में अपने सुझाव भी दिए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने, जिसके सदस्य केन्द्रीय और राज्य मंत्री हैं, इन सिफारिशों पर विचार किया है और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को सभी राज्यों में समान रूप और कड़ाई से लागू करने के लिए कुछेक उपाय बरतने का सुझाव भी दिया है । राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कह दिया गया है।

(घ) राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों के काम में क्षेत्रीय कार्यालयों के केन्द्रीय औषधि निरीक्षक हाथ बटाते है और वे परस्पर मिलकर यदि कोई त्रुटियां हों तो उन्हें रोकने के लिए देश भर की दवा निर्माता फर्मों का निरीक्षण करते हैं। इन संयुक्त निरीक्षणों का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है और देश में मानक के अनुकूल दवायें बनाने में सहायता मिली है । अन्तर्राज्य व्यापार में प्रचलित अनिवार्य और जीवन रक्षक दवाओं के नमूने लेने के लिए केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगटन ने देश भर में एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया है। यह संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला कर राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त औषधि निरीक्षकों की तकनीकी सामर्थ्य को विशेषत: अभियोग चलाने की उनकी कार्य प्रणाली और तरीकों सम्बन्धी ज्ञान को अद्यतन बनाये रखता है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रयोगशालाओं में औषधि परीक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। खराब रिपोर्टों के मामलों में राज्य सरकारों को उचित कार्यवाही करते रहने के लिए कहा जाता है। दवा निर्माता फर्मों पर तथा अस्पतालों द्वारा दवाएं खरीदने, स्टाक करने तथा उनके वितरण पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है ।

बाढ़ों और नदियों के किनारों पर रेत जमने को कम करने के उद्देश्य से वनरोपण

1032. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटे हुए तटों पर वनरोपण की अखिल भारतीय योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्थान मिला है;

(ख) क्या उक्त योजना की क्रियान्विति से बाढ़ों तथा नदियों के तलों में रेत जमने में कमी आयेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) पांचवीं योजना में देश के कटाव वाले जलग्रह क्षेत्रों में वनरोपण के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। वनरोपण 14 राज्यों में फैली हुई 21 नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रह क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत मृदा संरक्षण के समेकित कार्यक्रम का एक भाग है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में समेकित मृदा तथा जल संरक्षण उपायों के लिए 9 और परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है और इस कार्यक्रम को देश भर में 30 मुख्य परियोजनाओं के जलग्रहों में चालू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनरोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को सुधारने की व्यवस्था की जाएंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के जमाव से बचाना है।

गुजरात में भावनगर के गांवों में पानी का अकाल

1033. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भावनगर के 27 गांवों में पानी के अकाल से जनता प्रभावित हुई है तथा कई लोग प्यास के कारण मर गए हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने भावनगर जल योजना के लिए 2.5 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है परन्तु इसे धन की कमी के कारण क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना की क्रियान्विति में राज्य सरकार की सहायता करेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) पलिताना के शैटरुंजी डैम से पाइप द्वारा भावनगर शहर को पानी उपलब्ध करने के लिए भावनगर नगरपालिका से गुजरात सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो गुजरात सरकार के विचाराधीन है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए इस समय इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर को अनाज की सप्लाई

1034. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनाज की शीघ्र सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) मैसूर सरकार को आवंटित खाद्यान्नों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी पग उठाए जा रहे हैं।

Supply of Water to Farmers at Cheap Rates

1035. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide water to the farmers at cheap rates and make it easily accessible to them so as to bring down the cost of production of wheat and thus encourage them to produce more;

(b) the rates which the farmers have to pay for getting water through different sources of irrigation at present in each State; and

(c) whether any scheme to reduce these rates is under consideration of Government and if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) Providing water to the farmers and fixation of water rates for State irrigation schemes under major, medium and minor irrigation projects come under the purview of the State Governments.

(b) A statement showing the present water rates under canal system in the principal wheat growing States is given in Annexure.

(c) No such scheme is under consideration.

STATEMENT

S. No.	Name of State	Water Rate (Rs. per acre)
1.	Bihar	7.00 to 12.00
2.	Haryana	2.75 to 5.84
3.	Madhya Pradesh	4.00 to 10.00
4.	Maharashtra	9.00
5.	Punjab	2.75 to 5.90
6.	Rajasthan	8.00 to 10.00
7.	Uttar Pradesh	3.75 to 12.00

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी का कृषि कार्यों पर प्रभाव

1036. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली की वर्तमान कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश के कृषि कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर के गुलबर्गा जिले में खाने के तेलों की मांग

1037. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसूर में गुलबर्गा जिले के सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में खाने के तेलों की बड़ी मांग हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) गुलबर्गा जिले की स्थिति के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि देश भर में खाद्य तेलों की सप्लाई कम है क्योंकि तिलहनों का उत्पादन कम हुआ है।

प्रधान मंत्री के निवास के निकट अंधे छात्रों का धरना

1038. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक श्रेणी के अन्धे छात्रों ने प्रधान मंत्री के निवास के निकट धरन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थी; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां। नेत्रहीन विद्यार्थियों के एक दल ने 21 मई, 1973 को प्रधानमंत्री की कोठी के बाहर धरना दिया था।

(ख) मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पास करने वाले नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रावासों में रखे जाने की व्यवस्था की जाए;

(2) रोज़गार में लगे नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए दिल्ली में एक छात्रावास स्थापित किया जाए;

(3) एक ऐसा अधिनियम पास किया जाए, जिसमें ऐसे प्रत्येक कार्यालय के लिए, जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति लगे हों, एक नेत्रहीन कर्मचारी को रखा जाना अनिवार्य किया जाए;

(4) दिल्ली प्रशासन को नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कुछ पदों की रचना करनी चाहिए;

(5) नेत्रहीनों के स्कूलों को कुछ टाइपराइटर प्रदान किए जाने चाहिएं।

(ग) नेत्रहीन विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध कालेजों के छात्रावासों में रखा जा रहा है। कुछ स्वयंसेवी संगठन भी आवास के मामले में नेत्रहीन कालेज विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं। अन्य मांगें दिल्ली प्रशासन को सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने के लिए भेज दी गई है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

1039. **श्री जगन्नाथ मिश्र**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970, 1971 और 1972 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं; और

(ग) सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी नहीं। बल्कि इसके प्रतिकूल राजधानी में ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या घट रही है।

(ख) सभी प्रकार की गाड़ियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि के बावजूद 1970, 1971 और 1972 वर्षों के दौरान क्रमशः 7912, 6893 और 5143 दुर्घटनाएं हुई। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(1) सुप्रवाही यातायात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सड़क और सड़क अंतर्भागों में धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। 1972 वर्ष के दौरान 32 अंतर्भागों पर यातायात और सात स्थानों पर जलने-बुझने वाली बत्तियां लगाई गईं। समस्त रूप से 31-12-1972 तक दिल्ली में अंतर्भागों पर एक सौ यातायात सिगनलों और 123 स्थानों पर जलने-बुझने वाली बत्तियां लगाई गई हैं।

(2) हाल ही में स्वीकृत की गई चार अतिरिक्त जीपों के अतिरिक्त यातायात पुलिस की गतिशीलता को बढ़ाने हेतु उस के लिए बाईस और मोटर साइकलों की व्यवस्था कर दी गई है।

(3) विशेषकर जिन सड़कों पर अधिक दुर्घटनायें होती हैं, यातायात पुलिस द्वारा उन पर नियमित रूप से काफी तेजी से जांच की जाती है और निर्धारित सीमाओं से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाने वाले अपराधी चालकों को दण्ड दिया जाता है। सिगनलों के अनुसार गाड़ी न चलाना गलत तरफ से आगे बढ़ना, उचित सिगनल दिये बिना मुड़ना आदि जैसे गलत चालन के मामलों का भी पता लगाया जाता है और अपराधियों का चालान किया जाता है।

(4), दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए सड़क प्रयोक्ताओं को विभिन्न वर्गों को सड़क सुरक्षा हिदायतें देने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भाषणों और प्रदर्शनों द्वारा स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा हिदायतें दी जाती हैं। हाल ही में दिल्ली यातायात पुलिस ने बहुत से स्कूलों में एक स्कूल सड़क सुरक्षा दल का संगठन किया है जिसमें केडेटों को प्रारंभिक यातायात नियंत्रण और विभिन्न सड़क सुरक्षा नियमों के पालनार्थ प्रशिक्षित किया गया है सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचारार्थ विद्यार्थियों, अध्यापकों, व्यापारी गाड़ियों के चालकों और अन्य सड़क उपयोगिताओं को यातायात अधिकारी भाषण देते हैं। सड़क सुरक्षा संबंधी हिदायतें जारी करने के लिए सामूहिक माध्यमों का भी विस्तारपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कर्मचारी संघ की मांग

1040. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कर्मचारी संघ नई दिल्ली से मांगों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के स्थानापन्न अध्यक्ष और निदेशक ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार न कर के कार्यालय को बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो यूनियन के साथ बातचीत करके कर्मचारियों की मांगों का हल निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ). राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कर्मचारी संघ के मांग-पत्र की एक प्रति सरकार को उपलब्ध की गई है ।

संघ की मांगें, उनके व्यवसाय संघ को मान्यता देने, मकान-किराया भत्ता बढ़ाने, न्याय संगठन में गैर-न्यास कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को रोकने, भर्ती नियम बनाने, प्रोन्नतियों, एक वर्ष की सेवा के बाद स्थायी करने, कार्य के काडर-वार वितरण, छुट्टी और यात्रा रियायत तथा छुट्टी के बदले में नकद रुपये देने इत्यादि के संबंध में है ।

न्यास के अध्यक्ष और अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिले हैं और उनको सूचित किया है कि न्यास, न तो व्यवसाय और न उद्योग होने से, उनके व्यवसाय संघ को मान्यता नहीं दे सकता । उन्होंने कर्मचारियों को यह भी सूचित किया है कि यदि वे (कर्मचारी) अपना एक ऐसा कर्मचारी संघ बना ले, जिसमें बाहर का कोई पदाधिकारी न हो, तो वे उनकी सेवा की शर्तों तथा अन्य मांगों से संबंधित मामलों पर उनसे बात-चीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं ।

इसके बाद न्यासियों की बैठक हुई थी और कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विचार किया तथा न्यास ने अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मकान-किराया भत्ता देने की सिफारिश की है, जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है। न्यास ने भर्ती नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया है तथा उन्हें स्टाफ के सदस्यों को टिप्पणियों के लिए भेज दिया है । न्यास ने कुछ ऐसे पद भी शिनाख्त कर लिये हैं, जिनको स्थायी घोषित किया जा सकता है और जिनके विरुद्ध पात्र कर्मचारियों को स्थायी किया जा सकता है।

न्यास के अहाते में कुछ संघ के सदस्यों के अनियमित प्रदर्शन तथा अनुशासनहीन व्यवहार के कारण किसी अनुचित घटना को रोकने की दृष्टि से न्यास के कार्यालय को बन्द करना पड़ा था।

न्यास एक स्वायत्त संगठन है, अतः सरकार के लिए न्यास और इसके कर्मचारियों के बीच के झगड़ों में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है । तथापि, शिक्षा मंत्री ने अपनी सेवाएं पेश की हैं और हाल में कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधियों तथा व्यवसाय संघ के कुछ नेताओं से मिले और उनसे सेवा संबंधी कुछ मामलों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने उनको बताया कि वे यह मामला न्यास के अध्यक्ष से उठाने के लिए तैयार हैं किन्तु न्यास की ओर से वे कोई आश्वासन नहीं दे सकते । उन्होंने उनको यह भी बताया कि वे व्यवसाय संघ के रूप में संघ को पंजीकरण करने से संबंधित कानूनी स्थिति की, विधि मंत्रालय और श्रम तथा रोज़गार मंत्रालय के परामर्श से पुनः जांच कराने के लिए तैयार हैं। सरकार यह महसूस करती है कि यदि कर्मचारी, न्यास से बातचीत करना चाहेंगे तो वे उनको पूरा-पूरा सहयोग देंगे और कुछ शिकायतों का तत्काल निपटारा करना संभव हो सकेगा।

निर्धनता और सूखे के कारण बच्चों के बेचे जाने के बारे में उड़ीसा के एक भूतपूर्व मंत्री का उड़ीसा के राज्यपाल को पत्र

1041. **श्री आर० एन० वर्मन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के एक भूतपूर्व मंत्री ने राज्य में निर्धनता और सूखे की स्थिति के कारण माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को बेचे जाने के बारे में उड़ीसा के राज्यपाल को पत्र लिखा था;

(ख) क्या कुछ व्यक्तियों ने अपने परिवार के सदस्यों को भोजन उपलब्ध न करने की अपनी असमर्थता के कारण आत्म-हत्या कर ली थी;

(ग) यदि हां, तो इस पत्र में क्या बताया गया है और सरकार ने क्या तथ्य सुनिश्चित किये हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे): (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे आरोप लगाए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार ने इन आरोपों से इन्कार किया है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत कारणों से आत्म-हत्या की थी। इसका कम उपलब्धता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में बंगला भाषा का पढ़ाया जाना

1042. **श्री आर० एन० वर्मन :**

श्री बी० के० दास चौधरी

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में बंगला भोषी जनता की संख्या सबसे अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वहां के सभी शिक्षण संस्थाओं विशेषकर पोर्ट ब्लेयर में बंगाली भाषा पढ़ायी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) आबादी में से लगभग 24 प्रतिशत बंगला भाषी लोग हैं।

(ख) और (ग). उन क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में बंगला भाषा बढ़ाने के लिये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जहां बंगाली जनता अधिक है। पोर्ट ब्लेयर में कक्षा I से कक्षा XI तक के लिये एक बंगाली माध्यम का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है।

उर्दू के संवर्धन के लिए समिति का प्रतिवेदन

1043. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उर्दू के संवर्धन के लिये उर्दू समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन दिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समिति अभी कुछ और समय लेगी।

बहराइच (उत्तर प्रदेश) में कृषि के लिए मार्गदर्शी परियोजना

1044. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बहराइच ज़िले (उत्तर प्रदेश) में कृषि अथवा सीमांत किसानों के लिये मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश से पड़ौसी राज्यों को मोटे अनाज का चोरी-छिपे माल भेजा जाना

1045. **श्री पी० वेंकटासुब्बैया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के कुछ भागों से पड़ौसी राज्यों को ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज को बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाजों की आन्ध्र प्रदेश के किसी भी भाग से बड़े पैमाने पर ऐसी कोई तस्करी नहीं हो रही है जिसे रोका न गया हो। राज्य सरकार ने मोटे अनाजों की आवा-जाही रोकने के लिये अन्तर्राज्यीय पड़ताल चौकियां स्थापित की हैं। ज्वार को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भेजने पर लगे प्रतिबन्धों के अलावा, आन्ध्र प्रदेश से मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। राज्य सरकार का सतर्कता सैल इस संचलन को रोकने के लिये छापे मारा करता है।

'आवास' को संविधान की अनुवर्ती सूची में शामिल करना

1046. **श्री सरजू पांडे :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास सम्बन्धी संसदीय सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि 'आवास' को संविधान की अनुवर्ती सूची में शामिल किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). जून, 1973 में त्रिवेन्द्रम में हुई सलाहकार समिति की बैठक में इस विषय पर विचार किया गया था तथा सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया था।

तथापि, 1972-73 वर्ष के दौरान प्राक्कलन समिति द्वारा 'आवास' के प्राक्कलनों की जांच करते समय इस प्रश्न पर विचार किया गया था। निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा यह मत प्रकट किया गया था कि देश के लिये अब तक आवास संबंधी कोई कानून बनाना सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में से किसी में भी 'आवास' का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है तथा यह कि समवर्ती सूची में यदि इस विषय को शामिल किया जाता है, तो एक केन्द्रीय आवास कानून सम्भव हो सकेगा। श्रीनगर में 5 से 7 जुलाई, 1973 को हुए आवास मंत्रियों आदि के सम्मेलन के दौरान इस विषय पर विचार किया गया था। सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि फिलहाल संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है तथा यह कि केन्द्रीय सरकार को पहले राष्ट्रीय आवास-नीति घोषित करनी चाहिये।

कलकत्ता में एक राष्ट्रीय थियेटर की स्थापना

1047. **श्री रानेन सेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से एक राष्ट्रीय थियेटर की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों और औषधियों में मिलावट के विरुद्ध देश-व्यापी अभियान

1048. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री रानेन सेन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री श्री गुलज़ारी लाल नन्दा ने कहा है कि खाद्यान्नों और औषधियों में मिलावट करने के विरुद्ध व्यापक देश-व्यापी अभियान चलाने की योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय नागरिक परिषद् ने, जिसके उपाध्यक्ष श्री गुलज़ारी लाल नन्दा हैं, जो योजना बनाई है, उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(I) **खाद्यान्नों में मिलावट** :

(1) मुख्य इलाकों में तथा उन क्षेत्रों में, जहां खाने वाले पदार्थों में मिलावट के बारे में बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, वहां पूर्णकालिक खाद्य-निरीक्षकों को नियुक्त किया जाए।

(2) पर्यवेक्षण की व्यवस्था को कड़ा किया जाए ।

(3) जब कभी भी ऐसा करने के लिये खाद्य-निरीक्षक उन्हें कहें, प्रशासनिक आदेशों द्वारा स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को गवाहों के रूप में कार्य करने के लिये निदेश दिये जाएं ।

(4) अधिक जन विश्लेषकों की नियुक्ति की जाए ।

(5) खुदरा व्यापारियों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे निर्माताओं और वितरकों से किसी भी खाद्यान्न को उनके द्वारा बेचने के लिये एक वारण्टी प्राप्त कर लें ।

(6) उत्पादक, निर्माता और वितरक के विरुद्ध मिलावट वास्तविक स्रोत के विरुद्ध कार्यवाही करने पर बल दिया जाए ।

(7) जांच करने और जांच रिपोर्टें भेजने की कार्यवाही करने में, उनकी ट्रायल में प्रत्येक स्तर पर विलम्ब न होने दिया जाए ।

(8) खाद्यान्नों में मिलावट सम्बन्धी अपराधों के लिये संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) लागू करने की सम्भावना पर विचार किया जाए ।

(9) अधिनियम में दी गई कम-से-कम सज़ा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालयों से कठोर दण्ड देने के लिये कहा जाए ।

(10) उन खास-खास पुलिस अधिकारियों को, जो थानेदार के स्तर से नीचे के न हों, इस कार्य में प्रशिक्षण दिया जाए और इसके बाद उन्हें खाद्य निरीक्षकों की भांति खाद्य अपमिश्रण-निवारण अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाए । सुरक्षा के तौर पर प्रशासनिक रूप से यह निर्धारित कर दिया जाए कि उन्हें उपभोक्ताओं और खरीददारों से प्राप्त केवल लिखित शिकायतों के आधार पर ही कार्यवाही करनी चाहिये ।

(11) राज्य सी० आई० डी० में विशेष एकक स्थापित किये जाएं ताकि वे खाद्यान्नों में मिलावट के उन मामलों पर विचार कर सकें जो गंभीर और महत्वपूर्ण हैं या जो ज़िलाव्यापी या राज्यव्यापी हों । संभवतः खाद्य निरीक्षकों को ऐसे एककों के साथ स्थायी रूप से सम्बद्ध किया जा सकता है । या फिर इसका दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि कुछ ऐसे खाद्य निरीक्षकों को नियुक्त किया जाए जिनकी सेवाओं का आवश्यकता पड़ने पर ये विशेष एकक उपयोग कर सकें ।

(12) पुलिस तथा इस कार्य को कर रहे राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच समुचित सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित करने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(13) ग्राम क्षेत्रों में पंचायतों को इस काम पर लगाने अथवा उन्हें इस क्षेत्र में कुछ ज़िम्मेदारी सौंपने की संभावना पर विचार किया जा सकता है ।

(14) इस कार्य में राज्य अधिकारियों की सहायता करने के लिये और लोगों का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ली जाए ।

II औषधियों में मिलावट :

(1) जिन क्षेत्रों से दवाइयों में मिलावट करने के बारे में निरन्तर शिकायतें आती हों खासकर उन इलाकों में निरीक्षकों और सरकारी विश्लेषकों की संख्या में वृद्धि की जाए।

(2) निगरानी कार्य को और तेज़ किया जाए।

(3) एक सुयोग्य लोक अभियोजक (पब्लिक प्रोसेक्यूटर) नियुक्त किया जाए जिससे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गए निरीक्षक जांच-पड़ताल के स्तर पर मिलावट के मामलों के कानूनी पहलुओं के संबंध में परामर्श कर सकें।

(4) मिलावट के गंभीर और पेचीदा मामलों की जांच-पड़ताल करने के संबंध में निरीक्षकों की सहायता और मार्ग-दर्शन करने के लिये सी० आई० डी० के सक्षम जांच अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध की जाएं।

(5) राज्य में केन्द्रीय जांच विभाग अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में खास-खास पुलिस अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन शक्तियां देने की संभावनाओं पर विचार किया जाए ताकि वे अन्तर ज़िला तथा अन्तर्राज्य महत्व के मामलों पर कार्यवाही कर सकें। इन मामलों के तकनीकी पहलुओं के संबंध में इन पुलिस अधिकारियों की मदद करने के लिये इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गए निरीक्षकों की सेवाएं उपलब्ध की जाएं।

(6) नकली दवाइयों के उत्पादक, निर्माता और वितरक तथा उन स्थलों पर जहां वस्तुतः दवाइयों पर गलत छाप अथवा मिलावट की जाती है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में ज़ोर दिया जाना चाहिये।

(7) कार्यवाही प्रारंभ करने, परीक्षण करने और जांच रिपोर्ट भेजने, जांच कार्य को पूरा करने और मुकदमे चलाने—हर स्तर पर विलम्ब को रोका जाए।

(8) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन अपराधों पर संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है जिसका दूसरा विकल्प यह भी है कि मामलों को जल्दी निबटाने के लिये ऐसे अपराधों वाले मामलों के ट्रायल्स को अन्य साधारण मामलों से अग्रता दी जा सकती है।

(9) प्राप्त किये गए अनुभव के आधार पर इस बारे में विचार किया जाए कि क्या आयातित औषधियों अथवा आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियों के अपराधों के लिये इस नियम में दण्ड बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं।

(10) न्यायालयों से अनुरोध किया जाए कि इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित न्यूनतम सज़ा को ध्यान में रखते हुए वे कड़ी सज़ाएं दें।

(11) केन्द्रीय और राज्य अधिकारियों की मदद के लिये तथा लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ली जाए।

(12) खरीददारों को गलत छाप की अथवा मिलावटी औषधियों के बारे में रिपोर्ट करने की सुविधाएं दी जाएं। इन्स्पेक्टरों को ऐसी रिपोर्टों के बारे में सतर्क होना चाहिये और उन पर कार्यवाही करनी चाहिये।

(13) महत्वपूर्ण केन्द्रों में सहकारी समितियों अथवा सुपर बाजारों द्वारा दवाइयों की दुकानें खोली जा सकती हैं जहां पर अच्छी किस्म की दवाइयां उचित मूल्यों पर उपलब्ध हों।

मैं० कोर्स इंडिया लि० द्वारा सप्लाई की गई स्टेशनरी के बारे में शिकायतें

1049. डा० लक्ष्मीनारायण पांडे : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा सरकारी कार्यालयों में घटिया किस्म की लेखन सामग्री सप्लाई की जाती है;

(ख) क्या कई छोटे सरकारी कार्यालयों ने उक्त फर्म द्वारा घटिया किस्म की लेखन सामग्री सप्लाई किये जाने के बारे में अनेक बार शिकायतें की हैं परंतु सरकार ने अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) क्या सरकार उक्त फर्म का नाम काली सूची में रखने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). चूंकि भारत सरकार लेखन-सामग्री कार्यालय कलकत्ता को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंगलौर स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान में नियुक्तियां

1050. **श्री बी० वी० नायक : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान ने हाल ही में, संकाय के 33 सदस्यों की, जो विशेष वर्ग से संबंधित हैं नियुक्ति की है; यदि हां, तो उस वर्ग विशेष का नाम क्या है;

(ख) क्या संबंधित अधिकारियों ने इन नियुक्तियों की पुष्टि की है, यदि हां, तो कब की है; और

(ग) क्या इससे पूर्व संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसी पुष्टि की घोषणा रोकी गयी थी अथवा इसमें विलम्ब किया गया था, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) जी, नहीं । संस्थान के शासी निकाय द्वारा नियुक्त की गई एक प्रवरण समिति ने अपने संकाय में 32 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है । यह उम्मीदवार किसी भी एक साम्प्रदायिक वर्ग से नहीं है ।

(ख) संस्थान स्वायत्त निकाय है और इसका शासी निकाय संकाय सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए सक्षम है । इन नियुक्तियों को सरकार के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Category-wise number of Employees in Modern Bakery, Hyderabad

1051. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the category-wise number of employees in Modern Bakery, Hyderabad;

(b) the category-wise number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them;

(c) whether Government propose to increase the ratio of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees there; and

(d) if so, the plan in this regard?

17 LSS/73—5.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The category-wise number of employees at the Hyderabad Unit as on 30-6-1973 were as follows:

Category I	2
Category II	9
Category III	43
Category IV	60
	114

(b) The category-wise number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them were as follows:

Category (class)	Scheduled Caste	Scheduled Tribe
I	—	—
II	1	—
III	1	—
IV	16	—
	18	NIL

(c) & (d) The company is adhering to the provisions of the Government Directive on representation of Scheduled Castes/Tribes in their service. Where the Scheduled Caste/Tribes candidates are not available through the local Employment Exchange & local institutions of Scheduled Castes/Tribes, the Central Employment Exchange, all India institutions of the Scheduled Castes/Tribes are approached to sponsor suitable candidates for the reserved vacancies. Reserved vacancies in Category I and II are also advertised on all India basis.

खाद्यान्न राज-सहायता

1052. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न के लिए राज सहायता के आंकड़े 300 करोड़ रुपये तक पहुंचने की सम्भावना जबकि इसके लिए केवल 130 करोड़ रुपये की राज सहायता का अनुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस राशि को घटाकर 100 करोड़ रुपये करने की योजना पर विचार रही है; और

(ग) राशि कम न करने के क्या कारण थे और क्या इस राशि को अब भी कम करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यान्न संबंधी राज-सहायता की राशि, 130 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की अपेक्षाकृत बहुत अधिक होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) निर्गम मूल्यों में समायोजन कर राज-सहायता के भार को कम करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

खाद्य तेलों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा

1054. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों के आयात के लिये कुछ अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की मंज़री दी है; यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई है; और

(ख) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने किन देशों के साथ दीर्घकालीन आधार पर समझौता किया हुआ है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । 1973-74 के दौरान अब तक 35 करोड़ रुपये ।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में अस्थिरता की मौजूदा स्थिति में न तो किसी देश के साथ दीर्घकालीन व्यवस्था करना सम्भव हुआ है और न ही यह उपयुक्त ही होता । तथापि, उचित समय पर इस दिशा में प्रयत्न किये जाएंगे । उपर्युक्त अनुदान में से कुल 21.09 रुपये की राशि से मुख्यतः मलेशिया, यूरोप और कनाडा से ताड़ तेल, सोयाबीन तेल और तोरिया का तेल खरीदने के लिये विशिष्ट ठेके किये जा चुके हैं ।

Prices of Essen tial Foodgrains during May and June, 1973 in Delhi.

1055. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Bishwanath Jhunjhunwala:

Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) the prices of essential foodgrains prevailing in Delhi during May, 1973;

(b) the extent of inc rease registered in prices of foodgrains during June, 1973;

(c) the reasons therefor; and

(d) the action taken by Government to check the increase in prices and the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) A statement giving the required information is attached.

(c) The main reasons for rise in the prices of foodgrains in Delhi during June, 1973 were (i) decline in the production of Kharif cereals on account of damage caused by drought in many areas ; (ii) reduced market arrivals during the current marketing season; (iii) speculative hoarding in kharif cereals and wheat ; and (iv) increase in the money supply with the public.

(d) In order to check the rise in prices, a massive Emergency Agricultural Production Programme was launched for increasing the output of rabi and summar crops. Further steps taken include (i) strengthening of public distribution system and channelisation of all Government stocks through fair price shops; (ii) introduction of control on wholesale and retail prices of wheat products and regulation of distribution thereof through fair price shops; (iii) effective implementation of regulatory laws currently in force; (iv) curb on consumption of foodgrains by enforcement of the Guest Control order; (v) intensification of procurement of foodgrains; (vi) import of foodgrains from abroad; (vii) tightening of control over bank advances against foodgrains; (viii) take-over of wholesale trade in wheat from the current rabi season ;and (ix) intensifying action against hoarding and black mar'-eting etc.

STATEMENT

Wholesale prices of foodgrains in Delhi

(Rs. per quintal)

Commodity	Whole sale Price May, 1973 (26-5-73)	Whole sale Price June, 1973 (30-6-73)	Actual rise (+) fall(—) in prices in June over May
Rice	150.00	192.00	(+) 42.00
Wheat	*83.00	*83.00	—
Bajra	164.00	170.00	(+) 6.00
Gram	146.00	162.00	(+) 16.00

*Maximum retail price fixed by the Government since takeover of wholesale trade.

Scheme to arrest further increase in price of Foodgrains

1056. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) whether the prices of foodgrains have registered 2½ times increase during the last 10 years;

(b) if so, the broad outlines thereof;

(c) whether Government are formulating any scheme to arrest further increase in the prices; and

(d) whether Government had anticipated this increase in prices?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) & (b) The index numbers of wholesale prices of foodgrains for June, 1973, was 278.0 as against 110.7 in June, 1963.

(c) & (d) With the shortfall in production on account of wide-spread drought and crop failure, coupled with increasing inflationery pressures in the national economy, some rise in the prices of foodgrains was expected. Since the prices can be held in check by increasing the availability at reasonable prices, steps have been taken to intensify production of foodgrains through a massive agricultural production programme. Certain regulatory measures have also been introduced to ensure larger availability through procurement and controlled distribution of foodgrains besides supplementing the stocks by the required quantity of imports.

बंगला देश से मछली के आयात को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

1057. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया है कि बंगला देश से मछली के आयात को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बंगला देश से मछली के आयात को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केन्द्रीय मात्स्यकी निगम को या व्यापार करने के लिये प्राधिकृत और सुसज्जित किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधीन शिक्षा संस्थानों में प्रवेश

1058. श्री बी० के० दास चौधरी :
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधीन शिक्षा संस्थानों में देश के सभी छात्रों के लिये, किसी भी प्रकार के प्रतिबन्धों तथा सीमाओं के बिना प्रवेश खुला है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में लगे अनुमति प्रतिबंधों के कारण देश में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में गलत फहमियां पैदा हो रही हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सूचना केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से एकत्र की जा रही है और उसका विवरण यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

कलकत्ता पत्तन और मद्रास या विशाखापत्तनम से बंगला देश तक माल-भाड़ा दर

1959. श्री बी० के० दास चौधरी :
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास या विशाखापत्तनम से बंगला देश तक की माल भाड़ा दर कलकत्ता पत्तन से बंगला देश तक की दर के बराबर है जबकि कलकत्ता पत्तन से बंगला देश तक का फासला अपेक्षाकृत कहीं कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) मद्रास से बंगला देश पत्तनों की भाड़ा दरें कलकत्ता से बंगला देश पत्तनों की भाड़ा दरों से अधिक हैं। कोरी मण्डल रेंज (जिसमें विजाग भी शामिल है) से तथा कलकत्ता से बंगला देश पत्तनों तथा भाड़ा दरें एक-समान ही हैं। यद्यपि कलकत्ता से बंगला देश पत्तनों तक की दूरी विजाग से बंगला देश तक की दूरी से कम है, कलकत्ता में नौभरण लागतें विजाग के नौभरण लागतों से भी अधिक हैं। जिसके कारण विजाग की तुलना में कलकत्ता से बंगला देश तक भाड़ा दर अधिक है।

कलकत्ता पत्तन पर डिलीवरी की जाने वाली अथवा वहां से निर्यात की जानें वाली वस्तुओं का अन्य पत्तनों पर भेजा जाना

1060. श्री बी० के० दास चौधरी :
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर डिलीवरी की जाने वाली अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली बहुत-सी वस्तुओं को अब देश के अन्य पत्तनों को भेजा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस प्रकार कलकत्ता पत्तन से किन-किन मदों अथवा वस्तुओं को देश के अन्य पत्तनों को भेजा गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन से अन्य पत्तनों को माल के आयात अथवा निर्यात में बड़े पैमाने पर कोई विशाखनन नहीं हुआ है। जहां तक आयात का संबंध है, 1969-70 में सल्फर का यातायात का कलकत्ता में विशाखापत्तनम को विशाखनन करना शुरू किया था क्योंकि विशाखापत्तनम पत्तन ने खुले माल को उतारने की सुविधाएं प्रदान की थीं, जबकि कलकत्ता पत्तन, कुछ श्रम कठिनाइयों के कारण ऐसा करने की स्थिति में नहीं था। गोदी मज़दूर बोर्ड अब खुले सल्फर की धरा-उठाई करने के लिये सहमत हो गया है तथा 1971-72 से कलकत्ता पत्तन से आयात सल्फर उठाना फिर शुरू कर दिया है। 1968-69 तक इस पत्तन से सल्फर की वार्षिक औसतन आयात लगभग 65000 टन थी। वर्ष 1969-70 से 1972-73 तक के आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

1969-70	27000 टन लगभग
1970-71	3000 टन लगभग
1971-72	20000 टन लगभग
1972-73	33600 टन लगभग

जहां तक निर्यात का संबंध है, खुले मालवाही पोतों की व्यवस्था करने के लिये कलकत्ता पत्तन की असमर्थता के कारण खनिज लौह के यातायात का पारादीप पत्तन को विशाखनन किया गया है जिससे अब ढुलाई लागतों में कमी करने के लिये खनिज लौह ढोया जा रहा है। विशाखनन 1967-68 में शुरू हुआ था। 1966-67 से कलकत्ता पत्तन द्वारा निर्यात किये गए लौह अयस्क की मात्रा नीचे दी गई है :—

1966-67	9,11,000 टन लगभग
1967-68	6,83,000 टन लगभग
1968-69	4,57,000 टन लगभग
1969-70	3,80,000 टन लगभग
1970-71	4,30,000 टन लगभग
1971-72	2,36,000 टन लगभग
1972-73	2,67,000 टन लगभग

अस्थिचूर्ण तथा खली जैसी अन्य निर्यात वस्तुओं का मामूली-सा विशाखनन बम्बई पत्तन को किया गया है क्योंकि इन वस्तुओं का यातायात देहातों से होता है तथा बम्बई से पोत लदान की समस्त लागत कम पड़ती है। इन वस्तुओं में विशाखनन की मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

कलकत्ता पत्तन पर माल यातायात

1061. **श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर निर्यात तथा आयात दोनों के माल यातायात में गत कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता पत्तन पर प्रमुख मदों के बारे में कितनी मात्रा में निर्यात तथा आयात हेतु माल का यातायात किया गया;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं और उक्त पत्तन पर माल यातायात में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई उपाय नहीं किये गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1964-65 के बाद कलकत्ता पत्तन की यातायात में कमी होने लगी। हाल ही में उसमें कुछ सुधार हुआ है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कलकत्ता में यातायात में गिरावट के कारण हैं :

खाद्य-पदार्थों, भारी मशीन औज़ारों और संयंत्रों के आयात तथा कोयले के निर्यात में कमी और किसी हद तक उस परिवर्तन के संदर्भ में पत्तन में प्रवेश करने वाले पोतों के डुबाव और लम्बाई पर प्रतिबंध है, जो कि खुले माल वाहकों, ओ बी ओ वाहको आदि जैसे बड़े आकार के पोतों के इस्तेमाल वाले समुद्र गामी पोतों के प्रकार और स्वरूप में हुआ है।

1974 में हल्दिया में नई गोदी पद्धति के चालू होने के बाद, कलकत्ता अधिक बड़े जहाज़ों के लिये और खुले माल के तेज़ी से चढ़ाने और उतारने संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा। इसके और फरक्का परियोजना के चालू होने तथा नए तेल-शोधक कारखाने के तैयार हो जाने तथा क्षेत्र के अन्य उद्योगों के विकास से आशा की जाती है कि हल्दिया गोदियों सहित कलकत्ता पत्तन पद्धति की यातायात में काफी वृद्धि हो जाएगी। फरक्का जल छोड़े जाने से हुगली नदी में काफी गहराई बनाए रखने के लिये किये जाने के लिये नदी साध्य कार्य भी नावों की बारम्बारता और नदी की नौगम्यता में सुधार लाने में सहायक होंगे। पांचवीं योजना में कोयला यातायात में भी वृद्धि होने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कलकत्ता पत्तन में वहन की गई आयात और निर्यात यातायात

आयात

(लाख टनों में आंकड़े)

वस्तु का नाम	1970-71	1971-72	1972-73
पी० ओ० एल० . .	13.75	18.57	19.66
खाद्य-पदार्थ . .	8.52	10.84	1.57
नमक .	1.51	3.00	3.62
उर्वरक .	1.11	1.66	3.43
अन्य माल .	7.58	13.43	13.20
कुल	32 47	47.50	41.48

निर्यात			
वस्तु का नाम	1970–71	1971–72	1972–73
कोयला	6.60	7.86	7.97
अयस्क	4.30	2.36	2.67
गत्ती	6.54	8.08	6.74
चाय	1.24	1.25	1.36
अन्य माल . .	8.99	6.54	6.57
कुल . .	27.67	26.09	25.31
कुल समुद्री यातायात . . .	60.14	73.59	66.79

भारतीय किसान संघ द्वारा सरकार को अनाज न बेचने का आन्दोलन चलाना

1062. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री पी० गंगा देव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसान संघ ने दक्षिण भारत के राज्यों में सरकार को अनाज न बेचने का आन्दोलन छेड़ने की धमकी दी है यदि केन्द्रीय सरकार वर्ष 1972-73 की खरीफ की फसल का वसूली मूल्य समुचित सीमा तक नहीं बढ़ाती; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने 1973-74 मौसम के लिए धान और खरीफ के मोटे अनाजों के अधिक साहाय्य मूल्य घोषित किए हैं। अधिप्राप्ति मौसम के प्रारम्भ होने पर अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किए जाएंगे।

सिओल में एशियाई खेल-कूद और उलान बटोर में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा भाग लिया जाना

1063. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमेच्यौर एथलैटिक्स फेड्रेशन आफ इण्डिया के अध्यक्ष ने उन कारणों की जांच कराने की मांग की है जिनके फलस्वरूप भारत सिओल में होने वाली एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता तथा उलान बटोर (मंगोलिया) में आयोजित होने वाली प्रथम एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले तथा इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 5233/73]

उत्तर प्रदेश में एक से पांच वर्ष के आयु-समूह के बच्चों में अंधेपन को रोकने सम्बन्धी पांच लाख रुपये की योजना

1064. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक से पांच वर्ष के आयु-समूह के 6.25 लाख बच्चों में अंधेपन को रोकने के लिये पांच लाख रुपये की लागत से एक योजना प्रारम्भ की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य में इस आयु-समूह के बच्चों की सही संख्या का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत इस आयु-समूह का प्रत्येक बच्चा आ जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के चुने हुए ज़िलों आज़मगढ़, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर तथा वाराणसी में विटामिन 'ए' की कमी के कारण अन्धेपन की रोकथाम के लिये 4.20 लाख रुपये की वार्षिक व्यवस्था से 1—5 वर्ष की आयु-समूह के 14 लाख बच्चों के लिये एक योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) इन ज़िलों में 1—4 वर्ष के आयु-समूह के बच्चों की संख्या अनुमानतः 23.57 लाख है।

(ग) जी नहीं।

अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन आयोग को अधिकार देना और कर छूट लागू करना

1065. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) सरकार को पता है कि क्षेत्रीय समझौतों और राज्यों के मध्य पारस्परिक समझौते होने के बावजूद भी अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन के सुधार के मार्ग में अनेक रुकावटें हैं ;

(ख) क्या सड़क मार्ग पर पड़ने वाले राज्य आते-जाते वाहनों से बहुत अधिक कर लेते हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है तो क्या इन रुकावटों को दूर करने के लिये सरकार अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को सीधे अन्तर्राज्यीय परमिट जारी करने का अधिकार देने और 30 दिन की कर छूट, जो चौथे दशक से पूर्व प्रचलित था, लागू करने को तैयार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां। करों का बाहुल्य, दरों में एकरूपता का अभाव तथा करों का वसूल करने का ढंग और चुंगी तथा चैक पोस्टों की मौजूदगी अन्तर्राज्यीय यातायात के अबाध प्रवाह में मुख्य रुकावटें हैं।

(ख) जी, हां। जहां दो राज्यों के बीच पारस्पर्य है, वहां पर भी छूट प्राय: केवल मोटर गाड़ी करों के सम्बन्ध में उपलब्ध है न कि माल/यात्री करों के सम्बन्ध में।

(ग) मोटर गाड़ियों पर विभिन्न करों के लगाने तथा उनकी वसूली इन करों की वसूली के लिये एजेंसियों की बहुलता का परिहार तथा आम तौर पर प्रचलित कर ढांचे के युक्त युक्तिकरण की कार्य-विधियों के सरलीकरण के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक कार्यदल की स्थापना की है। इस दल ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है।

अनेक विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये चुंगी को समाप्त करने और एक ही चैक पोस्ट संगठन बनाने के प्रश्न पर राज्यों से बातचीत की जा रही है। अन्तर्राज्यीय राज्य मार्गों पर परि-वहन गाड़ियों के परिचालनार्थ परमिट देने, रद्द करने, निलम्बित करने अथवा प्रतिहस्ताक्षर के लिये मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 63 ए (2)(डी०) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को शक्तियां प्रत्योजित करने के प्रश्न पर सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की है। परन्तु कुछ राज्यों ने इन शक्तियों को आयोग को देने पर आपत्ति उठाई है। चूंकि अन्तर्राज्यीय यातायात के विनियमन करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी, अतः यह आवश्यक है कि अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग तथा राज्य/क्षेत्रीय परिवहन अधिकरणों के कार्यों के बीच अतिच्छादन को रोका जाये। अतः आयोग के लिये राज्यों के सहयोग के बिना अन्तर्राज्यीय परमिट देने पर कार्यवाही करना कठिन होगा।

गाजियाबाद सुधार मंडल की राजनगर बस्ती

1066. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में नई विकसित एक बस्ती राजनगर में, जहां वर्ष 1965 तथा 1966 में गाजियाबाद सुधार मंडल द्वारा लोगों को प्लाट बेचे गये थे, गलियों में बिजली के खम्भें तथा आधुनिक जल निकास व्यवस्था की सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्लाटधारी द्वारा पूर्ण विकसित प्लाट का प्रीमियम अदा किये जाने के बाद भी समूची बस्ती में बिजली के खम्भों तथा त्रुटिहीन जल निकास व्यवस्था की सुविधायें न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्लाटधारियों को अपने मकान बनाने के लिये बाध्य करने का क्या औचित्य है जबकि वहां बिजली के खम्भों तथा त्रुटिहीन जल निकास की सुविधा देकर यह क्षेत्र पूरी तरह विकसित नहीं किया गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) राज नगर कालोनी गाजियाबाद में सुधार न्यास ने प्लाटों का विक्रय इस शर्त पर किया था कि मकानों का निर्माण छ: वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। क्योंकि निर्माण की गति धीमी थी, अतः इस अवधि को दो वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया था।

सभी सड़कों पर बिजली लगाने की व्यवस्था है तथा सीवर लाइनें भी बिछा दी गई हैं। सीवर लाइनों को दोष रहित रखने के लिय सुधार न्यास द्वारा सभी प्रयास किये जाते हैं।

तारों आदि के चोरी हो जाने के डर से सारी कालोनी में पहले से सड़कों की रोशनी का प्रबन्ध नहीं किया गया था। तथापि, सड़कों की रोशनी की पूर्ण व्यवस्था पहले से विद्यमान है तथा मकानों का निर्माण हो जाने पर रोशनी का कार्य पूर्ण किया जायेगा।

उड़ीसा के किसानों को अपना गेहूं सरकारी एजेंसी को बेचने के लिए प्रोत्साहन देना

1067. **श्री पी० गंगा देव**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के किसानों को अपना जमा स्टाक सरकारी एजेंसियों को बेचने हेतु उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये विशेष प्रयास किये गये हैं; और

(ख) क्या उड़ीया खरीफ फसल के दौरान 3 लाख टन चावल का लक्ष्य पूरा करने में सफल नहीं होगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) सम्भवतया प्रश्न धान/चावल की अधिप्राप्ति से संबंधित है। उड़ीसा सरकार ने कलक्टरों, उप मण्डलीय अधिकारियों और अन्य फील्ड अधिकारियों को अनुदेश दिये हैं कि बड़े किसानों की बैठक बुलाएं और उन्हें स्वेच्छा से अपना धान का स्टाक निकालने के लिये राजी करें। उड़ीसा चावल और धान (नियन्त्रण) आदेश में एक नया उपबन्ध लागू किया गया है जिससे सरकार उत्पादकों से 75 क्विंटल से अधिक स्टाक को अभिग्रहण कर सकती है।

चावल के 3 लाख मीटरी टन के लक्ष्य के प्रति जुलाई, 1973 के मध्य तक 178.2 हजार मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति हो गई है। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस खरीफ वर्ष में उप-र्युक्त लक्ष्य के प्रति 2 लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति हो जायेगी।

माडल स्कूलों की योजना में सुधार

1068. **श्री पी० गंगा देव:**

श्री के० लकप्पा:

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं योजना में शामिल करने के लिये केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित माडल स्कूलों की योजना में परिवर्तन किया जायेगा, और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या परिवर्तन करने का विचार हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) योजना पर सरकार विचार कर रही है। पांचवीं योजना में खोले जाने वाले माडल स्कूलों की संख्या और उनके स्वरूप के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

कुरुचि (केरल) में होम्यो अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना

1069. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय औषधि तथा होम्योपैथी में अनुसन्धान की केन्द्रीय परिषद के अन्तर्गत केरल में कुरुचि स्थान पर एक होम्यो अनुसन्धान संस्थान की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केरल सरकार ने उक्त संस्थान की स्थापना के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) केरल में कुरुची नामक स्थान पर एक क्षेत्रीय अनुसन्धान संस्थान (होम्योपैथी) खोलने का एक प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् के विचाराधीन है।

(ख) इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) केरल सरकार ने 50 पलंगों के लिये किसी इमारत का एक भाग और 5 एकड़ खेती योग्य भूमि उपलब्ध करने की पेशकश की है।

केरल सरकार को अपने 'एक लाख मकान' कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता

1070. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कमी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने 'एक लाख मकान' कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) अब तक कितनी राशि स्वीकार की गई है; और

(घ) यदि केरल सरकार की मांग के अनुरूप पूरी राशि स्वीकार नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : **(क) तथा (ख)** जी, हां। केरल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अधीन 96,000 वास स्थलों की व्यवस्था के लिये अपेक्षित भमि अर्जन करने हेतु लगभग 6.00 करोड़ रुपये तथा इन आवास स्थलों के विकास के लिये 2.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की थी।

(ग) तथा (घ) इस योजना के अधीन भूमि अर्जन की समस्त लागत, जहां यह अत्यधिक न हो, तथा विकास की लागत, जो 150 रुपये प्रति आवास-स्थल से अधिक न हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरका ों को सहायक-अनुदान के रूप में दी जाती है। केरल में भूमि अर्जन की औसत लागत अपेक्षाकृत अधिक होने से तथा इस बात को देखते हुये कि केरल सरकार ने योजना के अधीन निर्धारित आवास स्थलों से अपेक्षाकृत बड़े आवास-स्थल देने का प्रस्ताव किया है, राज्य सरकार की सहमति से यह निर्णय किया गया कि केरल परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि के विकास की लागत की राज्य सरकार तथा केन्द्र 50 : 50 के अनुपात में वहन करेंगे। तदनुसार, राज्य सरकार की परियोजना के लिये अप्रैल, 1972 में लगभग 6.78 करोड़ रुपये (6.06 करोड़ भूमि अर्जन के लिये तथा 0.72 करोड़ भमि के विकास के लिये) की मंजूरी दी गई। तत्पश्चात् राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को पहले मंजूर किये गये 75 रुपये प्रति वासस्थल के विपरीत 150 रुपये के हिसाब से केन्द्रीय सहायता की मंजूरी के लिये कहा। इस अधिक केन्द्रीय सहायता के राज्य सरकार के अनुरोध पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

कोचीन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के छात्रों को छात्रवृत्तियां देना

1071. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन विश्वविद्यालय छात्रसंघ से हिन्दी विभाग के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) "अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को हिन्दी में उत्तर—मैट्रिक अध्ययन के लिये छात्र-वृत्ति" देने की योजना के अधीन वर्ष 1972-73 में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिये कोचीन विश्व-विद्यालय के हिन्दी विभाग के कुछ छात्रों ने अपने आवेदन पत्र देर से भेजे थे। उन्होंने छात्रवृत्ति देने हेतु अपने मामलों पर विचार करने के लिये अभ्यावेदन दिया था। वर्ष 1972-73 की छात्रवृत्तियों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। तथापि, 1972-73 में दी गई छात्रवृत्तियों में से कुछ के रद्द होने के परिणाम-स्वरूप उपलब्ध होने वाली छात्रवृत्तियों तथा 1973-74 की छात्रवृत्तियों के कोटे में से कुछ छात्रवृत्तियों के लिये उनकी मांग पर विचार किया जा रहा है। बशर्ते कि वे इसके लिये पात्र हों।

26 मई, 1973 के पैट्रियट में 'व्हीट स्मगलर गोज स्कोट-फ्री; इन्फल्यएन्स पेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1072. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मई, 1973 के पैट्रियट में "व्हीट स्मगरल गोज स्कोट फ्री; इन्फल्यूएन्स पेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या प्रतिवेदन में लगाये इस आरोप में कोई सच्चाई है कि गेहूं की तस्करी करने वाले दुकानदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, हालांकि पुलिस ने उसकी दुकान और गोदाम से तस्करी की गेहूं की कई बोरियां बरामद की थीं ; और

(ग) यदि हां, तो दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार पैट्रियट में 26 मई, 1973 को "व्हीट स्मगलर गोज स्कोट फ्री; इन्फल्यूएन्स पेज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार से अवगत है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस के नोटिस में ऐसी कोई भी घटना नहीं आई थी।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के मिस किये जाने वाले ट्रिपों की दैनिक संख्या

1073. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा प्रतिदिन लगाये जाने वाले 18,000 ट्रिपों में से लगभग 6,000 ट्रिप मिस हो जाते हैं, जो कि कुल ट्रिपों का एक तिहाई है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्न्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार कितनी धनराशि की हानि होती है और स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपचारी उपाय किये जाने हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम, प्रतिदिन औसतन लगभग 5,000 फेरे लुप्त करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि निगम को एक ऐसा बस बेड़ा प्राप्त हुआ जिनमें बहुत से पुरानी बसें थीं जिनसे किसी न किसी तरह सेवाओं को चलाना पड़ा और उनको बनाये रखना पड़ा और साथ ही साथ राजधानी की तेजी से बढ़ती हुई आबादी से अतिरिक्त सेवाओं और फेरों की बढ़ती हुई हर मांग जिसमें विद्यार्थी समुदाय की अतियाची परन्तु समझने योग्य आवश्यकता भी शामिल है की पूर्ति करनी पड़ी। स्पष्टतया, ऐसे बेड़े में टूटफूट हो जाना स्वाभाविक ही है और फिर भी जहां तक संभव हो सका, सेवाओं को जारी रखना पड़ा और फिर, टायरों और आवश्यक फालतू पुर्जों की देश-व्यापी कमी के कारण, इन पुरानी बसों का अनुरक्षण करना भी एक बड़ी समस्या हो गई है। लाईन पर, उक्त बेड़े के खराब हो जाने के अलावा, फेरे लुप्त हो जाने के कुछ अन्य कारण ये हैं:—सड़कों पर यातायात का अवरुद्ध होना जिसके फलस्वरूप बसों का देर से चलना, विद्यार्थियों द्वारा बसों का अपहरण किया जाना तथा दैनिक यात्रियों द्वारा समय-समय पर बसों को रोक लेना आदि-आदि। यद्यपि लुप्त फेरों से यात्रियों को काफी असुविधा हो जाती है, दिल्ली परिवहन निगम, बहुत से मामलों में, छूटे हुये यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने के लिये विशेष बसों की व्यवस्था करने का प्रयत्न करती है। यात्री समानान्तर मार्गों पर चलने वाली बसों से भी लाभ उठाते हैं।

(ग) निगम को इन लुप्त फेरों से हुये सही वित्तीय घाटे का अनुमान लगाना कठिन है, परन्तु इसकी काफी अधिक होने की संभावना है। आवश्यक फालतू पुर्जे तथा टायरों की प्राप्ति के लिये सभी प्रयत्न करते हुये स्थिति से निपटने हेतु कड़े कदम उठाये जा रहे हैं ताकि निगम को इस योग्य बनाया जा सके कि वह अधिकाधिक संख्या में बसों को चालू हालत में रख सके। इसके अतिरिक्त, बहुत-सी नई बसें प्राप्त की जा रही हैं। लुप्त फेरों में कमी करने हेतु निम्नलिखित अन्य उपचारी उपाय किये गये हैं:—

(1) ड्राइवरों को, इनकी निश्चित ड्यूटी/किलोमीटर दूरी को पूरा करने और दुर्घटनायें न करने के लिये प्रेरित करके बसों के प्रयोग में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहनात्मक पुरस्कार,

(2) रिकवरी ट्रक, जिनमें वायरलेस उपस्कर लगे होते हैं द्वारा खराब गाड़ियों को शीघ्रता से पता लगाना।

(3) परिचालनात्मक क्षेत्र के मुख्य स्थानों पर अनुरक्षण स्थानों की स्थापना,

(4) गाड़ी को गेरेज में लाये बिना सड़क पर कार्मिकों की बदली और इस प्रकार नियमित सेवा बनाये रखना।

(5) मरम्मत तथा अनुरक्षण सुविधाओं में वृद्धि के लिये नये डिपुओं का निर्माण तथा मौजूदा डिपुओं का सुधार करना।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरती और पदोन्नति

1074. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री राम भगत पासवान :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से ऐसा कोई निर्णय लिया है कि अब भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में भरती और पदोन्नतियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जायेगी; और

(ख) क्या उपरोक्त निर्णय भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के कार्यकरण की जांच करने के लिये नियुक्त की गई गजेन्द्र गडकर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की जांच समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर निर्णय लिये जाने तक भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के वेतनमानों में वर्तमान लगभग 1200 पद और भविष्य में होने वाले ऐसे पद संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार किये जाने वाले आपात भर्ती नियमों के माध्यम से भरे जायें। यह भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार ही किया गया है। इस समिति में सुझाव किदा है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के पदों की भर्ती पांच वर्ष की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाये।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान-अनुदानों में कटौती करना

1075. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने बहुत-से अनुसन्धान अनुदानों में कटौती कर दी है और उन्हें मंसूख कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) जी हां। वित्तीय कठिनाइयों के कारण 1973-74 में स्वास्थ्य विभाग के बजट में काफी कटौती कर दी गई है और तदनुरूप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का बजट भी घटाकर 160 लाख रुपये कर दिया गया है। यह सुझाया गया है कि यह परिषद् 1973-74 में 160 लाख रुपये के स्वीकृत बजट में से ही अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाये।

पिछड़े क्षेत्रों में नये मैडिकल कालेज

1076. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री पी० रंगनाथ शिनांय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आने वाले वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों तथा महानगरों में नये मेडिकल कालेज खोलने सम्बन्धी सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नये मेडिकल कालेज को फैजाबाद डिवीजन में किसी स्थान पर खोलने का विचार है; और यदि हां, तो किस स्थान पर; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) भारत सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। नये मेडिकल कालेजों को स्थापित करने की योजना राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनका विचार दो मेडिकल कालेज, एक देहरादून में ऋषिकेश में और दूसरा बरेली में खोलने का है।

(ग) राज्य सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

दिल्ली में उन मकानों पर किराया-नियन्त्रण लागू करना जिनका लागत मूल्य मकान मालिक पहलें ही वसूल कर चुके हैं

1077. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में ऐसे मकानों पर किराया नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव है जिनका लागत मूल्य मकान मालिक किराये के रूप में पहले ही वसूल कर चुके हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में किराये के नियंत्रण की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी किरायेदार अपने परिसर के लिये किराया नियंत्रक द्वारा मानक किराया निर्धारित करवा सकता है।

Shortage OF Marine Engineers

1078. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether shortage of Marine Engineers is being felt in the country;

(b) if so, whether there is any scheme under which efforts are being made to meet this shortage; and

(c) if so, the success achieved in the efforts made so far in this regard?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): (a) Yes, Sir.

(b) The Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Rules, 1963, have been amended with a view to liberalising the entry of graduate engineers and diploma holders into the marine engineering profession. It is also proposed to reorient the pattern of training in the Directorate of Marine Engineering Training whereby the period of training in the workshop will be reduced from 3 to 2 years and about 100 berths in the marine workshops will be released for giving training to the graduate engineers before they join the ships.

(c) After the aforesaid liberalisation, about 400 graduate engineers and diploma holders have been employed by the various shipping companies.

Scheme to extend Dredging operations

1079. **Shri Shrikrishna Agrawal:**
Shri M. S. Sanjeevi Rao:

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any new scheme in order to extend "dredging operations" in the near future;

(b) if so, the outlines thereof;

(c) whether there is any proposal to bring "dredging service" under a Corporation; and

(d) if so, the outlines thereof and the date by which the Corporation would be set up?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b) Steps are being taken to strengthen the existing fleet of dredgers with the Central Dredging Organisation, to meet the requirements of dredging in our ports.

(c) and (d) The dredgers of the Central Dredging Organisation are already being operated by the Shipping Corporation of India. The Dredger Utilisation Committee has recommended that an independent organisation may be set up for operation and maintenance of the dredgers and equipment but has given no details of such an organisation.

Master plans for Production of wheat

1080. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any new 'Master Plans' are under consideration of Government for increasing the production of wheat in the country;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the time by which the scheme is likely to be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir. However, the production of foodgrains for Rabi 1973-74 is planned for 48 million tonnes. Out of which wheat is to contribute 30 million tonnes.

(b) & (c) Do not arise.

लोक सभा में दिए गये आश्वासनों को पूरा करना

1081. **श्री मधु लिमये** : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक सभा में दिये गये आश्वासनों को पूरा न करने सम्बन्धी आक्षेपों की ओर दिलाया गया है जो सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ने अपने प्रथम और पांचवें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह मामला अपने आश्वासन पूरे न करने वाले मंत्रालयों के साथ उठाया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य को बेहतर बनाने के बारे में वह सभा को पुनः आश्वासन दे सकेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की पहली और पांचवीं रिपोर्ट की टिप्पणियां नोट कर ली गई है।

(ख) संबंधित मंत्रालयों से पुराने बाकी आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिये विशेष प्रयत्न करने को कहा गया है।

(ग) आशा की जाती है कि आरम्भ किये विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप आश्वासनों की क्रियान्वित में सराहनीय सुधार होगा।

17 LSS/73—6.

गेहूं तथा मोटे अनाज का उत्पादन और मूल्य

1082. **श्री मधु लिमये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं तथा मक्का, बाजरा, ज्वार और जौ जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन सम्बन्धी राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1973 के प्रथम छः महीनों में प्रमुख नगरीय तथा ग्रामीण केन्द्रों पर मोटे अनाजों के थोक तथा खुदरा मूल्य क्या रहे ;

(ग) क्या गेहूं के वसूली मूल्यों का मोटे अनाजों के मूल्यों से परस्पर कोई संबन्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के मध्य न्यायोचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) 1972-73 के गेहूं और मोटे अनाजों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। 1971-72 के दौरान इन फसलों के उत्पादन के राज्यवार अनुमान बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (विवरण-1) [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5234/73]

(ख) जनवरी से जून, 1973 तक प्रमुख और गौण मंडियों में थोक और खुदरा मूल्यों की घट-बढ़ बताने वाला विवरण-2 संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 5234/73]

(ग) गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य मोटे अनाजों की अपेक्षाकृत अधिक निर्धारित किये जाते हैं। ये मूल्य आवश्यक रूप से खुले बाजार के मूल्य के समान नहीं हो सकते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

1972-73 के दौरान मूंगफली का उत्पादन और उसके अन्तर्गत क्षेत्र

1083. **श्री मधु लिमये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 में राज्यवार मूंगफली का कितना उत्पादन आ ;

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित मूंगफली योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने क्षेत्र में मूंगफली की खेती होगी और कितने उत्पादन की संभावना है;

(ग) क्या सरकार सिंचाई की सहायता से ग्रीष्म मूंगफली की संभावनाओं की जांच कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में बनाये जा रहे प्रस्तावों का स्वरूप क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) वर्ष 1972-73 की अवधि में मूंगफली के उत्पादन से संबंधित राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध 1 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5235/73]

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान मूंगफली का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 26,33,000 हैक्टार क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि इससे 7,48,002 मीटरी टन अतिरिक्त उत्पादन होगा। इस योजना के अन्तर्गत बोये जाने वाले क्षेत्र के लक्ष्य और सामान्य उत्पादन के बारे में राज्यवार सूचना अनुबन्ध 2 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5235/73]

(ग) और (घ)] वर्ष 1973-74 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, मैसूर, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में 7 लाख हैक्टार क्षेत्र में ग्रीष्म कालीन मूंगफली की खेती करने का प्रस्ताव है। दक्षिणी राज्यों (और विशेषकर मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों जहां ग्रीष्म कालीन मूंगफली के विकास की अधिकतम स्म्भाव्यतायें हैं) से अनुरोध किया गया है कि वे रबी/ग्रीष्म मूंगफली के अन्तर्गत यथा सम्भव अधिक से अधिक क्षेत्र लाने के लिये उपयुक्त कदम उठायें।

सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं का कार्यकरण और उनका अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाना] ।

1084 **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री पी० रंगनाथ शिनाय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं के कार्यकरण से क्या अनुभव प्राप्त हुआ;

(ख) क्या इस परियोजना को पांचवीं योजना के दौरान अन्य क्षेत्रों में लागू किया जायेगा, और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) चौथी योजना की अवधि में सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिकों के 41 अभिकरण स्थापित किये गये थे उनमें से प्रत्येक अभिकरण के जिम्मे लगभग 20,000 सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों को अभिज्ञात करके उनकी समस्याओं का अध्ययन करना और उपयुक्त कार्यक्रम बनाकर उन्हें वर्तमान संस्थानों अथवा संगठनों आदि के माध्यम से क्रियान्वित करना था ।

31 मई, 1973 तक इन अभिकरणों द्वारा 8.81 लाख सीमान्त कृषक और 2.73 लाख कृषि श्रमिक अभिज्ञात किये जा चुके थे । लगभग 33 प्रतिशत अभिज्ञात व्यक्तियों को सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाया जा चुका है । अभिज्ञात भागीदारों को खुदाई के कुओं, पम्प सैटों, नलकूपों आदि की 14,500 सिंचाई यूनिटें, डैरी की 16,500 यूनिटें और कुओं की 2,500 यूनिटें स्थापित करने में सहायता प्रदान की है । अभिकरणों के ग्राम निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी रोजगार से लगभग 1 लाख भागीदारों ने लाभ उठाया । कुल मिलाकर लगभग 2.15 लाख भागीदारों की उन्नत कृषि कार्यकर्मों से और 1.5 लाख भागीदारों को अभिकरणों के अन्य समस्त कार्यक्रमों से लाभ हुआ है । विभिन्न अभिकरण चुने हुए अभिकरणों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर रहे हैं । आशा है कि पांचवीं योजना के दौरान निर्धन वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी और उन्हें एक या दूसरे रूप में जारी रखा जायेगा । कार्यक्रमों के ब्यूरो के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थिति

1085. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आन्दोलन के बारे में 9 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6591 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थिति सामान्य हो गई है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है जिससे विश्वविद्यालय के प्रस्तावित निकायों में विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां । विश्वविद्यालय शान्तिपूर्वक वातावरण में 2 जुलाई, 1973 को खुला था । विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नियत कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा रही हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं । किन्तु फिर भी, विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के गठन से सम्बन्धित कानूनों सहित विश्विविद्यालय के कानूनों के ऐसे संशोधनों पर उचित रूप से विचार करने के लिये सरकार तैयार होगी, जो विश्वविद्यालयों के शिक्षक समाज द्वारा सुझाए तथा कार्य-परिषद् द्वारा स्वीकार किये जायेंगे ।

Cancellation of ration shops in Delhi because of Irregularities Committed

1086. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether licence (permit) of some ration shops in Delhi were cancelled by the Administration because of the irregularities committed by them a few days back; and

(b) if so, the number thereof separately and the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) During the period 1-6-1973 to 24-7-1973, two fair price shops were cancelled and 25 fair price shops were placed under suspension.

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि

1087. **श्री बखशी नायक :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति के मूल्यों में गत छः मास के दौरान कई बार वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितनी बार इन मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी है, **और**

(ग) वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां

(ख) तीन बार ।

(ग) इस अवधि के दौरान वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि होने से जो कि अपेक्षाकृत सस्ते आयातित तेल देकर भी पूर्णतया पूरी नहीं की जा सकी वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था ।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "गवर्नमेंट हैल्थ सर्विस क्राइसिस इन द मेकिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1088. **श्री यमुना प्रसाद मंडल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स", दिनांक 15 जून, 1973 में "गवर्नमेंट हैल्थ सर्विस क्राइसिस इन दि मेकिंग" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही करते समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा अधिकारियों के विभिन्न वर्गों की मांगों पर विधिवत् विचार किया जायेगा ।

जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में स्थान की कमी का सम्बन्ध है, 62 एलोपैथिक औषधालयों में से 15 औषधालयों को स्वीकृत नमूने के अनुसार बने भवनों में, 18 औषधालयों को प्राइवेट किराये के भवनों में तथा 3 को खरीदे हुए मकान में खोला गया है । सरकारी रिहायशी मकानों में सुधार और परिवर्धन करने के बाद शेष 26 को ऐसे मकानों में चलाया जा रहा है । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिये समुचित भवन शीघ्र बनाने के सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

दिल्ली के अस्पतालों में कनिष्ठ डाक्टरों के नामतः इन्टर्नियों, हाउस सर्जनों तथा स्नातकोत्तर छात्रों के वजीफे की दरों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Shortage of Bullocks in Drought Affected areas

1089. **Shri Ishwar Chaudhry:**

Shri G.P. Yadav:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of bullocks in many parts of the country due to grave drought conditions;

(b) whether men are employed in place of bullocks for ploughing the land; and

(c) if so, the steps being taken by the Government to meet the shortage of bullocks in the affected areas?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) We have no specific reports from the State Governments on the points raised in the question, Bullock shortages can result, however, in situations of drought. We are, therefore, collecting information on the subject from the various States and Union Territories which will be laid on the Table of the Lok Sabha as soon as received.

During the current drought in some parts of Maharashtra and Gujarat States cattle were generally helped to migrate to adjoining States and areas. Cattle Relief Camps were set up and organised by Government and private organisations at convenient places where drinking water and scarcity fodder (wheat Bhusa, Forest Hay and Bagass etc.) were supplied at the level and scale needed for maintenance.

Special Bus Service from Central Secretariat to Dev Nagar

1090. Shri Ishwar Chaudhry: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether special buses are run on route No. 27 from the Central Secretariat to Nauroji Nagar, but no arrangment has been made to run any bus from the Central Secretariat to Dev Nagar on the same route;

(b) whether thousands of Central Government employees have to face difficulties as a result thereof; and

(c) if so, whether Government would take immediate steps in this direction?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana): (a) to (c) Dev Nagar and Nauroji Nagar are connected by direct services of Route No. 27 *via* Central Secretariat and Udyog Bhavan. No Special services on this route have been provided from Central Secretariat to Nauroji Nagar or Dev Nagar. However, for the convenience of those residing in these localities and working in the Central Secretariat Complex, 25 special trips are being operated from Central Secretariat to Nauroji Nagar/ Sarojini Nagar on route No. 37 and five special trips on route No. 7-B from Udyog Bhavan/ Central Secretariat to Arya Samaj Road/Dev Nagar during evening hours on the basis of volume of traffic emanating from Central Secretariat Complex to these Colonies. The number of special trips operated from Dev Nagar/Arya Samaj Road and Nauroji Nagar to Central Secretariat Complex in the morning hours is 24 and 17 respectively. The journey on these services takes a lesser time than that on route No. 27. Apart from the special service, regular services, with a high frequency, are also available on Routes No. 5, 5-X, 6, 6-X and 7-X, connecting Central Secretariat with Arya Samaj Road area, from where Dev Nagar is at a walking distance. Additional special trips are also provided, as and when necessary, by the traffic supervisory staff available at the Central Secretariat Complex. The present arrangements are considered satisfactory.

Demand for opening new Colleges in Trans-Jamuna Area

1091. Shri Ishwar Chaudhry:

Shri G.P. Yadav:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to State:

(a) whether the residents of trans-Jamuna areas have made a demand for opening two new colleges there; and

(b) if so, the view of Government in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) Some representations in this regard were received by Delhi Administration.

(b) The Administration did not consider it feasible to open a new college this year.

बंबई पत्तन के कर्मचारियों को शताब्दी बोनस की अदायगी के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्कार करना

1092 **श्री मधु दंडवते :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बम्बई पत्तन के कर्मचारियों को शताब्दी बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में पत्तन के न्यासियों के बहुमत निर्णय को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार ने न्यासियों के निर्णय का संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ) : बम्बई पत्तन न्यासियों ने निम्नलिखित प्रस्ताव किये :—

(i) विशेष वेतन, जिसका अभी उपयुक्त नाम रखा जाना है, और एक महीने के वेतन के समान दर पर उन सभी वर्गों के पत्तन न्यास कर्मचारियों को किया जाना चाहिये जोकि शताब्दी के अवसर पर सेवा में है । इस प्रयोजन के लिये वेतन उसी आधार पर लिया जा रहा है जैसा कि बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारियों को वार्षिक अनुग्रह पूर्वक भुगतानों की अदायगी के लिये है ।

(ii) व्यक्तिगत वेतन (जिसे शताब्दी वेतन कहा जायेगा) जोकि उस स्टेज़ पर वेतन वृद्धि की दर के समान होगा जिसपर वेतन तैयार किया जाता है (या, उन व्यक्तियों की हालत में जोकि अपनी अन्तिम वेतन वृद्धि की दर के समान दर पर अपने वेतनमान के अधिकतम पर हों) यथास्थिति स्थायी या स्थानापन्न तौर पर वेतनमान में, 1 जून, 1973 को कर्मचारी पर 1-6-73 से लागू होने के अनुसार, बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारियों के उन सभी वर्गों को अदा किया जाये, जोकि शताब्दी के अवसर पर सेवा में हों । भविष्य में होने वाले वेतनमान में सुधार, पदोन्नतियों/प्रतिनियुक्तियों आदि के कारण किन्हीं वेतन वृद्धि के अनुसार व्यक्तिगत वेतन समंजित नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि कर्मचारी के सेवा निवृत होने या नौकरी छोड़ देने तक पृथक अंश के रूप में संशोधित या उच्चतर वेतनमानों में आहृत किया जाता रहना चाहिये ।

चूंकि इन प्रस्तावों से केवल उन्हीं कर्मचारियों को ही लाभ होगा जोकि किसी विशेष दिन को सेवा में था और क्योंकि मौजूदा सामान्य आर्थिक स्थिति में अकस्मात् इतना अधिक खर्च करना वांछनीय नहीं था, अतएव सरकार ने निम्नलिखित वैकल्पिक परियोजना का सुझाव दिया था जिससे सामूहिक रूप से मौजूदा और भविष्य के सभी कर्मचारियों को स्थायी लाभ होगा :—

(क) अपने साधनों से बंबई पतन न्यास द्वारा 1 करोड़ रुपये से शताब्दी निधि का निर्माण। यह धन, लगभग 7–8 लाख रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिये उपयुक्त रूप से लगाया जायेगा । ब्याज की यह रकम शैक्षणिक, सामाजिक या डाक्टरी सहायता और कठिन परिस्थितियों में ग्रस्त कर्मचारियों की सहायता के लिये बी०पी०टी० द्वारा तैयार की जाने वाली परियोजनाओं के लिये उपयोग में लाया जा सकता है । यदि कर्मचारी एक महीने के वेतन के समान बोनस प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उनकी सेवा निवृत्ति वाले दिन, ब्याज से इसकी अदायगी की जा सकती है । इसके, 4 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ने की संभावना नहीं है । ब्याज की शेष रकम उपर्युक्त सामाजिक लाभों के लिये उपयोग में लाई जा सकती है ।

(ख) 26-6-73 को प्रत्येक कर्मचारी को 50 रुपये का अनुग्रहपूर्वक भुगतान । तथापि न्यासियों ने बहुसंख्या से अपने पहले प्रस्तावों को दोहराया था । अन्ततः इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये निम्नलिखित शर्तों पर नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच समझौता होगा :—

(1) न्यासियों के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए बम्बई पत्तन न्यास के सभी कर्मचारियों को एक विशेष वेतन दिया जायगा, बशर्ते कि किसी एक मामले में यह विशेष वेतन 750 रूपये से अधिक न हो । परन्तु नकद भुगतान किये जाने वाली वास्तविक रकम, संबंधित कर्मचारियों को

अधिकतम 250 रुपये तक सिमित होगी और शेष कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि लेखा में जमा कर दिया जायेगा। नगद भुगतान 1 अगस्त, 1973 को या इससे पहले किया जायेगा।

(ii) न्यासियों के प्रस्तावानुसार शताब्दी व्यक्तिगत वेतन का प्रश्न श्री बसन्तराव नायक; मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की मध्यस्थता द्वारा तीन महीनों की अवधि में निपटान के लिये अलग तौर पर उठाया जायेगा।

महाराष्ट्र में मालवन पत्तन की स्टीमर सेवा का बंद किया जाना

1693. **श्री मधु दण्डवते : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रोहिणी" स्टीमर के समुद्र में डूब जाने के बाद से महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में (मालवन) पत्तन पर यात्रियों के लिये स्टीमर सेवा बन्द रही है ;

(ख) यदि हां, क्या स्टीमर सेवा के बन्द हो जाने से यात्रियों को बड़ी ही असुविधा हुई है तथा उनमें असन्तोष फैला है, और

(ग) मालवन पत्तन से स्टीमर-सेवा को पुनः आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में सफर करने वाली जनता से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) मामला मैसर्स चौगुले स्टीमशिपस कंपनी लिमिटेड, जो यात्री सेवा चला रही है, और महाराष्ट्र सरकार के बीच विचार विमर्शाधीन है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र स्थित देवगढ़ पत्तन का नौ-सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव

1094. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में देवगढ़ पत्तन का नौसर्वेक्षण करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा था ,

(ख) यदि हां, तो उक्त नौसर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं, और

(ग) नौसर्वेक्षण के पश्चात् की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) देवगढ़ और पहुंचमार्गों का सर्वेक्षण मुख्य जल सर्वेक्षण द्वारा मार्च 1971 में पूरा किया गया, इसमें पहले के सर्वेक्षण से कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया।

(ग) कोई सिफारिश न तो मांगी गई और न की गई।

महाराष्ट्र के कोंकण तट पर पत्तनों का चालू रहना

1095. **श्री मधु दण्डवते : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित पत्तनों को वर्ष-भर चालू रखने का सुनिश्चय करने की कई योजनाएं हैं ताकि वर्ष-भर स्टीमर सेवा जारी रह सके, और

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं को चलाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) छोटे पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि कोंकण के तट पर सारे ही वर्ष भगवती बन्दर और डिगी पत्तनों के कार्य को सुनिश्चित करने की योजनाएं प्रगति पर है परन्तु समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह योजनाओं को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

जयन्ती शिपिंग कंपनी के भारतीय जहाजरानी निगम में विलयन पर कर्मचारियों को शिकायतें

1096. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयंती शिपिंग कंपनी लिमिटेड के भारतीय जहाजरानी निगम में विलयन के कारण कंपनी के कर्मचारियों को कुछ शिकायतें उत्पन्न हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

नौवहन और [परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जयन्ती शिपिंग कंपनी के शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के साथ विलय से कुछ कर्मचारियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। जहां तक भूतपूर्व जयन्ती शिपिंग कंपनी के तट कर्मचारियों का संबंध है, विलय के बारे में उनके जो भी भय थे उनकी शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने भूतपूर्व जयन्ती स्टाफ यूनियन के साथ चर्चा की और उन्हें तय किया। विलय के पश्चात् भूतपूर्व जयन्ती कंपनी के कर्मचारी शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया स्टाफ यूनियन में शामिल हो गए हैं और अब कोई अलग जयन्ती यूनियन नहीं है। जहां तक भूतपूर्व जयन्ती शिपिंग कंपनी के अस्थायी कर्मचारी वर्ग का प्रश्न है , कुल 415 अधिकारियों में से केवल 13 के अभ्यावेदन निगम को प्राप्त हुये हैं। इन अधिकारियों द्वारा उठाये गये विषयों का पूरी तरह से स्पष्टीकरण किया गया था। इन दो कंपनियों के विलय का कर्मचारियों ने आमतौर पर स्वागत किया है।

त्रिपुरा में वर्षा के कारण खेती को क्षति

1097. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की भारी वर्षा से त्रिपुरा की अऊश, इरी और बोरू फसलों को क्षति हुई है ;

(ख) क्या पौध फसलों के बीज भी खा लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां , तो त्रिपुरा के कृषकों को क्षतिपूर्ति के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) हमें अभी तक राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए राज्य सरकार को तार भेज कर अनुरोध किया गया है। त्रिपुरा सहित सारे देश में 20-7-73 तक की बाढ़ की स्थिति के विषय में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री द्वारा लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया था।

(ग) वर्षा या किसी प्राकृतिक आपत्ति से क्षति होने पर राहत की व्यवस्था करना मुख्यतः राज्यों का उत्तरदायित्व है। यदि राज्य सरकार के साधनों से राहत तथा पुनर्वास उपायों, आदि पर व्यय करना सम्भव न हो तो वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय

वित्त मंत्रालय से अनुरोध कर सकते हैं। बाढ़ राहत कार्यों पर व्यय करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 26-5-73 को राज्य सरकार को 1.00 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। कृषि मंत्रालय उर्वरक, बीज तथा कीटनाशी औषधि जैसे कृषि आदानों की खरीद तथा उनके वितरण के लिए राज्य सरकारों को तकावी तथा अल्पावधि ऋण के रूप में सहायता प्रदान करता रहता है। वर्ष 1973-74 के खरीफ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के लिए 3.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गई है, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार से कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है।

किसानों को खेती के काम आने वाली वस्तुओं की सप्लाई में सुधार करना

1098. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के उत्पादन लक्ष्यों को बिना देरी के प्राप्त करने के लिए किसानों को खेती के काम आने वाली वस्तुओं की सप्लाई को सुधारने का है : और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किये जाने हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने 1973-74 की खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए उर्वरक, बीज तथा कीटनाशी औषधियों जैसे महत्वपूर्ण फार्म आदानों की पूर्ति के लिए जरूरतों और उनकी व्यवस्था करने के संबंध में राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया है। समस्त उर्वरक वितरण पद्धति को नियमित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या राज्य सरकारों द्वारा निश्चित की गई प्राथमिक फसलों और क्षेत्रों में वितरित किए गए उपलब्ध उर्वरकों का अधिकतम उपयोग किया गया है या नहीं। चालू वर्ष के विभिन्न फसल मौसमों के लिए उर्वरकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आयातित तथा देशी उर्वरकों के वितरण के लिए एक युक्तिसंगत समन्वित पूर्ति योजना तैयार कर ली गई है। सरकार ने अनिवार्य जिंस अधिनियम (जिसके अनुसार प्रत्येक विनिर्माता को उल्लिखित राज्यों को उर्वरक की निर्दिष्ट मात्रा देनी होती है,) के अन्तर्गत दिए गए अधिकारों का उपयोग किया है।

भारत सरकार ने समस्त राज्यों की बीज की जरूरतों का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि खरीफ तथा रबी के मौसमों के लिए किसानों को ये चीजें उपलब्ध हो सकें, क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किये थे जिनमें राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। अधिकाधिक उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए संकर ज्वार तथा मूंगफली के संबंध में 1973 के ग्रीष्म ऋतु में बीज उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

1973-74 के खरीफ तथा रबी के लिए कीटनाशी औषधियों और वायुयानों की जरूरतों का मूल्यांकन करने और पर्याप्त पौध रक्षा उपाय अपनाने के लिए मई 1973 में राज्य सरकारों तथा कीटनाशी तथा कृषि विमानन उद्योग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान कोचीन के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

1999. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन स्थित समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों ने पदोन्नति सुविधाओं एवं सुधार वेतनमानों सहित अपनी पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में दी गई मुख्य बातें और इस दिशा में उठाए गए कदम निम्नलिखित है :—

1. संस्थान के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर, अच्छे वेतनमान और सेवा-शर्तें।

इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति की रिपोर्ट में सरकारी निर्णय और तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

2. तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कार्यघण्टे और समयोपरि भत्ता :—

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य–घण्टे निर्धारित किए गए हैं और कर्मचारी समयोपरि भत्ता ले सकते हैं।

3. अन्य छोटी-मोटी बातों पर परिषद् विचार कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ का ज्ञापन

1100. श्री वयालार रवि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने अपनी बहुत पुरानी कठिनाइयों तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति प्रबन्धकों की उदासीनता के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) : जी हां।

(ख) : मुख्य शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

मुख्य शिकायतों की सूची और उन पर की गई कार्यवाही

	की गई कार्यवाही
1. सहायक प्रबन्धकों और उनसे बड़े अधिकारियों के युक्ति युक्त स्थानान्तरण की कार्यान्विति।	प्रबन्ध द्वारा तैयार की गयी स्थानान्तरण नीति धीरे-धीरे कार्यान्वित की जा रही है।
2. खाद्य विभाग में यूनियन करारों से संबंधित सभी निलम्बित मामलों का निपटान।	यूनियन के प्रतिनिधि खाद्य सचिव से 5 मार्च, 1973 को मिले थे। उन्होंने उनसे मन्त्रालय में लम्बित कुछ मसलों पर चर्चा की और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि विभाग में लम्बित मसलों पर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी।
3. लगभग 1,000 कर्मचारियों की 31-7-73 को प्रस्तावित छटनी रद्द।	रबी की अधिप्राप्ति के लिए सृचित पदों को 31 अगस्त, 1973 तक बढ़ा दिया गया है और इसलिए 31-7-73 को कोई छटनी नहीं होगी।
4. मार्च-अप्रैल, 1973 के दौरान तदार्थ आधार पर दी गयी पदोन्नतियों का नियमानुकूलन।	रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता को देखते हुए चालू रबी मौसम में तदार्थ पदोन्नतियां करना जरूरी हो गया था। प्रबन्ध का अधिप्राप्ति मौसम की समाप्ति पर उन्हें नियमानुकूलित करने की स्थिति की समीक्षा करने का विचार है।

बड़े पत्तनों की स्थापना के कारण अन्य पत्तनों पर दवाब का कम होना

1101. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में दो और बड़े पत्तनों की स्थापना करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इन पत्तनों से बंबई, विशाखापत्तनम, मद्रास और कोचीन पत्तनों पर पड़ रहा दबाव कितना कम होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) : जी हां। मंगलौर और तूतीकोरिन में।

(ख) इन पत्तनों का उपयोग केवल अपने ही पश्य प्रदेशों के लिए होगा। बंबई, विशाखापत्तनम, मद्रास और कोचीन जैसे अन्य पत्तनों के लिए पृथक विकास योजनाएं हैं।

पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन

1102. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**

श्री डी० बी० चन्द्र गोडा

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा शास्त्रियों और छात्र नेताओं की समिति ने सिफारिश की है कि पाठ्य पुस्तिकों का निरन्तर मूल्यांकन होना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल सामग्री उनमें से निकाली जा सके,

(ख) यदि हां, तो समिति की अन्य सिफारिशें 'क्या हैं,

(ग) समिति की नई दिल्ली में 12 जून, 1973 को हुई बैठक में प्रतिनिधित्व किस ने किया, और

(घ) सरकार ने कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी हां।

(ख) विश्व विद्यालयों और समिति की अन्य प्रमुख सिफारिश जहां तक संभव हो, सम्बद्ध कालेजों में राष्ट्रीय एकता समितियों की स्थापना के माध्यम से विश्व विद्यालयों और कालेज परिसरों में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने की थी।

(ग) समिति ने उन सदस्यों की सूची, जिन्होंने 11 जून, (न कि 12 जून), 1973 की बैठक में भाग लिया था, संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई **देखिए** संख्या एल० टी० 5236/73]

(घ) शिक्षाविदों और छात्र नेताओं की समिति द्वारा की गई उन दो प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, जो उन्होंने जनवरी, 1970 और जुलाई, 1970 को आयोजित अपनी बैठकों में की थीं। समिति द्वारा नई दिल्ली में 11 जून, (न कि 12 जून), 1973 को आयोजित उसकी तीसरी बैठक में की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं।

उर्वरक का बोरियों की बजाय बड़े पैमाने पर आयात तथा विदेशी मुद्रा की बचत

1103. **श्री आर० वी स्वामीनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों का आयात बोरियों की बजाए बड़े पैमाने पर करने के लिए लग्न से कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सिद्ध हो चुका है कि बड़े पैमाने पर माल मंगाने से किफायत होती है तथा दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत होती है; और

(ग) इस परिवर्तन से कुल कितनी विदेशी मुद्रा तथा धनराशि की बचत हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) जी हां। भारत सरकार विभिन्न प्रकार के उर्वरकों को कट्टों के बजाय बड़े पैमाने पर खुले रूप में मंगाने की नीति को अपना रही है। डी०ए०पी०, अमोनियम सल्फेट, एम०ओ०पी०, एन०पी०के० का हाल ही के वर्षों में काफी मात्रा में आयात हुआ है, लेकिन यूरिया तथा ए० एन० पी० के सम्बन्ध में ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि ये नमी से शीघ्र खराब हो जाते हैं। हाल ही के परीक्षणों से पता लगा है कि अपेक्षित सतर्कता से यूरिया तथा ए०एन०पी० को बड़े पैमाने पर मंगाया जा सकता है। कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट तथा ट्रिपक सुपर फास्फेट जैसे कुछ और उर्वरकों को बड़े पैमाने पर मंगाने की सम्भावना का भी पता लगाया जाना है।

(ख) जी हां।

(ग) उर्वरकों को कट्टों तथा बड़े पैमाने पर खुले रूप में आयात करने के मौजूदा अन्तर के फलस्वरूप; गत 4 वर्षों के दौरान उर्वरकों का बड़े पैमाने के खुले रूप में आयात करने से 4.24 करोड़ अमरीकन डालर, अर्थात् लगभग 31.80 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि सेवा केन्द्रों के लिए सुलभ ऋण सुविधा

1104. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को देश भर में गठित किये जा रहे कृषि सेवा केन्द्रों को सुलभ ऋण सुविधाएं उपलब्ध करने को कह रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस सीमा तक संसाधन जुटा पाई है; और

(ग) राज्य कृषि उद्योग निगमों को प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापन के लिए कितनी सहायता दी जानी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 5237/73]

खाद्यान्न भंडारण के आधुनिक तरीकों को विख्यात बनाने सम्बन्धी योजना

1105. **श्री आर० वी स्वामीनाथन** :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न भंडारण के आधुनिक तरीकों को ग्रामीण एवं व्यापार स्तरों पर लोकप्रिय बनाने सम्बन्धी एक करोड़ रुपये की योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1973-74 के दौरान कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने किसान स्तर पर भण्डारण सुविधाओं में सुधार और खाद्यान्न भण्डारण तथा कीट नियन्त्रण के वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने की एक योजना शुरू की है जिस पर लगभग 90 लाख रुपये का परिव्यय होगा।

(ख) इस योजना के ये उद्देश्य हैं :-

1. सुधरे हुए भण्डारण गोदामों को लोकप्रिय बनाना।
2. अनुकूली अनुसंधान और एपेक्स स्तर का प्रशिक्षण; और
3. राज्य स्तर पर विस्तार और प्रशिक्षण।

केन्द्रीय खाद्य विभाग की भारतीय अनाज भण्डारण संस्था, हापुड़ (उत्तर प्रदेश) द्वारा विकसित डिजाइन के आधार पर सुधरे किस्म के तैयार किए गए भण्डारण भवनों को विशेषतया लेने के लिए तथा उन्हें सम्बन्धित राज्यों के किसानों को आस्थगित भुगतान, जोकि सूद मुक्त होगा, के आधार पर सप्लाई करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए 68 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

शेष 22 लाख रुपये में से विशेषतया खाद्यान्न भण्डारण की समस्याओं पर अनुकूली अनुसंधान करने और प्रशिक्षार्थियों के लिए एपेक्स स्तर के प्रशिक्षण, जो कि भारतीय अनाज भण्डारण संस्था द्वारा दिया जायेगा, के लिए 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। शेष धनराशि विस्तार और ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए रखी गई है। ये कार्य अनाज सुरक्षा अभियान क्षेत्रीय दलों द्वारा किए जाएंगे।

1970-71 क दौरान बम्बई और पटना में पहले से ही नियुक्त किए गए दलों के अलावा इस प्रयोजन हेतु गाजियाबाद, भोपाल, हैदराबाद और मद्रास में 4 और दल नियुक्त किए जाएंगे।

Foodgrains godowns where foodgrains found rotten or damaged at the end of 1972-73

1106. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of those foodgrains godowns in the country at the end of 1972-73 where foodgrains were found either rotten or damaged;

(b) the variety and quantity of foodgrains found damaged at each place; and

(c) the reasons for these foodgrains getting damaged ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annashaheb P. Shinde): (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Shabha on receipt.

Scheme to attract youth towards Indian culture

1107. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the steps taken to attract Indian Youth towards their culture through the University, College and School education during the last three years ;

(b) the scheme drawn up for the future to cultivate interest in Indian culture among the Indian youth ; and

(c) the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social welfare and in the department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) With a view to familiarising the students of colleges and schools with the variegated facets of cultural heritage of India and bringing home to them the inherent unity of Indian culture despite its apparent diversity, the Government of India have instituted a scheme known as "Propagation of Culture among College and School Students". Under the scheme, teachers drawn from secondary schools and colleges are given refresher courses on many aspects of Indian art and culture. The teachers in turn acquaint the students of their respective institutions with the country's cultural heritage.

Till now, three refersher courses for about 150 teachers of secondary schools and colleges from various parts of the country have been organised in Delhi through the University of Delhi. The scheme, which has been started as a pilot project in the Fourth Five Year Plan, is proposed to be continued during the Fifth Plan also.

2. The N. C. E. R. T. have also been trying to weave the main concepts of Indian culture in the syllabuses, text-books, teachers guides and other instructional materials developed in the Department. The other activities of N. C. E. R. T. in this direction are as follows :–

(i) Organising camps every year under the National Integration Project, in which hundreds of students from different parts of the country get together for 15 days. Exhibitions and cultural activities are included in the programmes to bring out the salient features of the composite Indian culture.

(ii) Using mass media such as films, Radio and Televisions to propagate cultural values among students through enrichment programmes.

(iii) Encouraging visits by students to museums, archaeological monuments etc.

3. Also under the scheme of Nehru Yuvak Kendras, youth centres are proposed to be established in all districts of the country. One of the limited activities of the Kendra is participation of youth in cultural activities through performing arts etc. Some of the activities in this field are proposed to be puppeteering, dramatics, ballad singing , development of the art of story telling and the establishment of science and cultural museums. Such activities will expose the youth in the rural areas to our cultural heritage and also give a fillip to these ancient forms of art. The museums proposed to be established at these centres will lay emphasis more on the participative aspect and the youth will be expected to build the museum themselves rather than be given a ready-made gallery of exhibits to admire.

छिपा कर रखे गए अनाज को निकालने के लिए दिल्ली में मारे गए छापे

1108. **श्री शशि भूषण :**

कुमारी कमला कुमारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिपा कर रखे गए अनाज को निकालने के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों में कुल कितने छापे मारे गये;

(ख) कितने-कितने बड़े और छोटे व्यापारियों को अलग अलग गिरफ्तार किया गया, दोष सिद्ध किया गया और दण्डित किया गया; और

(ग) केवल छोटे व्यापारी ही क्यों गिरफ्तार किये गए तथा दण्डित किए गए और इस बारे में सरकार की विशिष्ट नीति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) 1973 (30 जून, 1973 तक) के दौरान 92 छापे मारे गये थे।

(ख) 3 बड़े व्यापारियों को गिरफ्तार कर उनके चालान किए गए थे और उन पर मुकदमा चल रहा है। 77 छोटे व्यापारी गिरफ्तार किए गए थे जिनमें से 22 का चालान किया गया है और 21 पर न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। 50 व्यापारियों के मामले पुलिस के पास जांच के लिए लम्बित हैं। न्यायालय ने 5 व्यापारियों को छोड़ दिया है। दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा सप्लाई विभाग के संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध 18 मामलों में विभागीय कार्यवाही शुरू की है। उनमें से एक व्यापारी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि बड़े तथा छोटे व्यापारियों में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

खाद्यन्न की वसूली तथा वितरण के लिये नये निगम अथवा मंत्रालय की स्थापना

1109. **श्री शशिभूषण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं की वसूली के लिए समुचित निकाय न बनाये जाने के कारण इसकी वसूली संतोषजनक रूप में नहीं की जा सकी है, और

(ख) क्या सरकारीकरण योजना का निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न की वसूली तथा वितरण के लिए एक नया निगम अथवा एक नया मंत्रालय स्थापित करने का सरकार विचार कर रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि उचित तन्त्र के अभाव के कारण गेहूं की अधिप्राप्ति संतोषजनक ढंग से नहीं हो सकी है।

(ख) जी नहीं।

दक्षिण दिल्ली में रिंग रोड़ की मरम्मत

1110. **श्री शशि भूषण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि दक्षिण दिल्ली में रिंग रोड का अधिकतर भाग टूटा हुआ है और उपयोग के लिये सुरक्षित नहीं है, और

(ख) इसकी मरम्मत करने और इसे फिर से बनाने के लिये सरकार किन प्रस्तावों पर विचार कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० राना) : (क) टूट फूट के कारण दक्षिण दिल्ली में रिंग रोड कुछ जगहों पर चटक गई है परन्तु सड़क उपयोग के लिये असुरक्षित नहीं है।

(ख) विटमन मैकेडम कारपेन्ट बिछाकर सड़क को मजबूत बनाने का प्रस्ताव है इस कार्य के लिये दिल्ली नगर निगम ने रिंग रोड प्रथम चरण (आश्रम से सफदरजंग अस्पताल) और द्वितीय चरण (सफदर जंग अस्पताल से धौलाकुंआ) के लिये 1277500 रुपये और 1426800 रुपये के दो अनुमान तैयार किये हैं कार्य की एक वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

तम्बुओं में चल रहे दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूल

1111. **श्री शशि भूषण :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूल हैं जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से तम्बुओं में चल रहे हैं,

(ख) ये स्कूल कब से तम्बुओं में चल रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सभी स्कूलों को अपने निजी अथवा किराये के भवनों में चलाने हेतु कौन से विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं तथा इस कार्य में कितना समय लगने की संभावना है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क)

	वे स्कूल जो आंशिक रूप से तम्बुओं में चल रहे हैं।			वे स्कूल जो पूर्णतया तम्बुओं में चल रहे हैं।		
	उच्चतर माध्यमिक स्कूल	मिडिल स्कूल	प्राथमिक स्कूल	उच्चतर माध्यमिक स्कूल	मिडिल स्कूल	प्राथमिक स्कूल
1. दिल्ली प्रशासन	54	100	—	24	—	—
2. दिल्ली नगर निगम	—	—	107	—	—	25
3. नई दिल्ली नगर पालिका	—	—	—	—	—	2
4. दिल्ली केंट बोर्ड	—	—	4	—	—	—

(ख)

1. दिल्ली प्रशासन 4

20 स्कूल पांच वर्षों और बाकी 34 स्कूल तीन वर्षों से अधिक की अवधि से आंशिक रूप से तम्बुओं में चल रहे हैं ।

जहां तक पूर्णरूप से तम्बुओं में चल रहे स्कूलों का सम्बंध है, उनमें से 17 स्कूलों को पिछले 2-4 वर्षों से, चार स्कूलों को पिछले पांच वर्षों से और तीन स्कूलों को केवल इसी वर्ष तम्बुओं में खोला गया है ।

सभी एक सौ मिडिल स्कूल तम्बुओं में पिछले तीन वर्षों से चल रहे हैं ।

पूर्ण रूप से तम्बुओं में चल रहे कुछ स्कलों के लिये स्थानों की कमी और तम्बुओं में आंशिक रुप से चल रहे स्कूलों के विस्तार की व्यवस्था के लिये अपर्याप्त स्थान ही तम्बुओं के प्रयोग करने का मुख्य कारण हैं ।

17 LSS/73—7.

2. दिल्ली नगर निगम	बहुधा तम्बुओं में स्कूल पिछले 3-5 वर्षों से चल रहे हैं । कुछ स्कूल, जो झगड़े वाले स्थानों पर चल रहे हैं पिछले पांच वर्षों से तम्बुओं में चल रहे हैं ।
3. नई दिल्ली नगर पालिका	16 जुलाई, 1973 से ये स्कूल टेंटों में चल रहे हैं क्योंकि इनके लिए अपेक्षित इमारतें निर्माणाधीन हैं ।
4. दिल्ली छावनी बोर्ड	कुछ कक्षाएं गत पांच वर्षों से टेटों में लगाई जा रही हैं क्योंकि विभिन्न कक्षाओं के लिये पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग)

(1) दिल्ली प्रशासन	सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बारे में 1973-74 के दौरान निर्माण कार्यक्रम की क्रियान्विति के संबंध में स्थिति निम्न-प्रकार है :—	
	(क) नई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इमारत	22
	(ख) वर्तमान इमारतों में अधिक विस्तार	40
	(ग) अस्थाई कमरे	30

मिडिल स्कूलों के बारे में टेंटों के स्थान पर पक्के कमरे बनाने का कार्य आरंभ करना संभव नहीं है क्योंकि ये स्कूल दिल्ली नगर निगम की नगर निगम प्राथमिक विद्यालय की इमारतों में हैं तथा उस समय तक प्रशासन के अधीन हैं जब तक प्रशासन अपने वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करता है । इन विद्यालयों के लिए नए स्थल प्राप्त करने होंगे ।

जो स्कूल पूर्णतः टेंटों में हैं उनके लिए किराये पर इमारतें लेने से इन स्कूलों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी क्योंकि रिहायशी अथवा व्यापारिक किस्म की गैर-सरकारी इमारतों में उस प्रकार का स्थान नहीं होता जिसकी विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है ।

	वर्तमान स्कूलों में तम्बुओं को समाप्त करने की कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती क्योंकि निर्माण कार्य पूरे तौर पर स्थानों और धन की उपलब्धता पर आधारित है ।
2. दिल्ली नगर निगम	ज्यों ही स्थानों से संबंधित झगड़े समाप्त हो जाते हैं अथवा भू-खंड उपलब्ध हो जाते हैं, स्कूलों के लिये भवनों के निर्माण के प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी ।
3. नई दिल्ली नगर पालिका	दो स्कूलों को डेढ वर्ष की अवधि में भवनों में खोलने (स्थापित) करने की संभावना है ।
4. दिल्ली केंट बोर्ड	बोर्ड अतिरिक्त कमरों के निर्माण द्वारा तम्बुओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है ।

चुने हुए कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए समिति

1112. **श्री शशि भूषण :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में सुधार लाने के विचार से चुने हुए कालेजों को

स्वायत्तता प्रदान करने के लिए उपयोगी योजना तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की रचना क्या है और समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होगी ; और

(ग) यदि समिति की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त कालिजों के मानदंड, मार्गदर्शन तथा सहायता की पद्यति निर्धारित करने के प्रश्न की जांच के लिये एक समिति गठित की थी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति थे :–

(1) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(2) उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(3) प्रो० रईस अहमद } आयोग के सदस्य
(4) प्रो० बी० एम० उदगांवकर } आयोग के सदस्य
(5) प्रो० आर० एस० शर्मा } आयोग के सदस्य
(6) प्रो० एस० गोपाल

समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा शीघ्र ही विचार किए जाने की संभावना है।

बहु-फसली तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती सम्बन्धी कार्यक्रम

1113. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में सारे देश में बहु फसली तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों संबंधी खेती के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० पी शिन्दें) : (क) देश के सिंचित तथा सुनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में बहु-फसली तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों संवंधी कार्यक्रम पहले ही क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(ख) अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966-67 में तथा बहु-फसली कार्यक्रम 1967-68 में आरंभ किया गया था। ये कार्यक्रम 1973-74 में भी जारी रखे जायेंगे।

गत तीन महीनों में पश्चिम बंगाल को सप्लाई किये गये गेहूं तथा चावल की मात्रा

1114. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को गत तीन महीनों में अपेक्षित मात्रा में गेहूं तथा चावल की सप्लाई की गई थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और इसके फलस्वरूप राज्य की सांविधिक एवम् पुनरीक्षित राशन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और कमी तथा सूखे से प्रभावित अन्य राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की उपयुक्त मांगें पूरी की जा रही हैं। पिछले तीन महीनों के दौरान पश्चिमी बंगाल को केन्द्रीय पूल से लगभग 4.58 लाख मीटरी टन गेहूं और चावल दिया गया था। राज्य की चावल संबंधी जरुरत का कुछ भाग स्थानीय अधिप्राप्ति से पूरा किया जाता है। राज्य में चावल की अधिप्राप्ति में कमी के परिणामस्वरुप पश्चिमी बंगाल सरकार ने 9 जुलाई, 1973 से सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में चावल के राशन की मात्रा को 1000 ग्राम से कम कर 750 ग्राम प्रति वयस्क प्रति सप्ताह कर दी है।

हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि संबंधी पुस्तकों तथा सामयिक पत्रिकाओं के प्रकाशन सम्बन्धी समिति

1115. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि संबंधी पुस्तकों तथा सामयिक पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देने हेतु एक समिति बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, विस्तार निदेशालय, अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय और वन अनुसंधान संस्थान में कार्य करने वाली हिन्दी प्रकाशन संबंधी कर्णधार समितियों के अतिरिक्त हाल ही में इस मंत्रालय द्वारा व्यापक आधार पर एक समन्वय समिति गठित की गई है। यह समिति इस मंत्रालय और कृषि विश्व-विद्यालयों के विभिन्न विभागों के समस्त भारतीय भाषाई प्रकाशन कार्यक्रमों को समन्वित और गतिमान करेगी। इस समिति की एक बैठक शीघ्र ही होने वाली है।

वर्ष 1973-74 में गेहूं की कमी

1116. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री सार्तण्ड सिह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में देश में गेहूं की कुल कितनी कमी रहेगी ; और

(ख) गेहूं की कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री)श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं और अन्य अनाजों के बीच प्रतिस्थापितता को देखते हुए अकेले किसी खाद्यान्न की कमी अथवा आवश्यकता का अनुमान लगाना कठिन है। इसके अलावा, 1972-73 कृषि-वर्ष (जिसका विपणन 1973-74 में होना है) के लिए गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, 1972-73 में खाद्यान्नों की पैदावार में प्रत्याशित कमी को देखते हुए खाद्यान्नों का आयात किया जा रहा है।

पांचवीं योजना में निर्धारित शिक्षा नीति के प्रति निराशा

1117 **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय नई तालीम समिति के सभापति सहित अनेक विख्यात शिक्षाविदों ने पांचवीं योजना में क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति पर निराशा व्यक्त की है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी नहीं । जहां तक सरकार को जानकारी है, पांचवीं योजना में शिक्षा के विकास के प्रस्तावों को देश में सामान्य समर्थन मिला है । नई तालीम समिति द्वारा आयोजित किए गए सेवाग्राम सम्मेलन ने जो, संकल्प पारित किए हैं, उनसे पांचवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाए गए संकल्पों से बड़ी मात्रा में उनकी सहमति का पता चलता है ।

मैसूर में भूख से हुई मौतें

1118 **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आठ महीनों में मैसूर राज्य में भूख से कोई मौत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो जिलावार उस के आंकड़े क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पिछले 8 महीनों के दौरान मैसूर राज्य में भूख से कोई भी मौत नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Capacity of new Milk Plant in Delhi

1119. Shri G.P. Yadav:

Shri R.N. Barman:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2853 on the 12th March, 1973 regarding the progress in increasing milk supply by D.M.S. and state the extent of percentage to which the new milk plant will meet the shortage of milk in Delhi and the steps being taken by Government to meet the remaining demand?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): The Delhi Milk Scheme is at present distributing milk to the full extent, of its installed capacity, which is about 3 lakh litres daily. The distribution of milk can be increased only after the installed capacity of the Scheme is augmented. The D.M.S. is in the process of augmenting its installed capacity from the present level of 3 lakh litres of processed milk daily to 3.75 lakh litres daily. The expansion programme has now made very substantial progress, and it is expected that the expanded capacity would be available in about 4 months time.

According to a survey that was recently carried out, it has been estimated that the liquid milk requirements of Delhi are about 7 lakhs litres daily. Therefore, the D.M.S. is presently distributing milk to the extent of 43% of the estimated requirements and after the aforesaid expansion programme is completed, it will be capable of processing and distributing about 53.4% of the estimated requirements. In view of the fact that it would not be possible to expand the capacity of the present Central Dairy of the D.M.S. beyond

this limit, it has been decided to establish a second dairy in Delhi with the handling capacity of about 4 lakh litres of processed milk daily. Work on the second dairy project has also commenced and it is planned to complete it before the end of 1974. With the commissioning of the second dairy, it should be possible, more or less, to fully cater to the milk requirements of Delhi city.

Break-up of target of Emergency Rabi crop production programme during 1972-73

1120. Shri G.P. Yadav:

Shri Jyotirmoy Bosu:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state State-wise target of emergency rabi crop production programme in 1972-73 and the extent to which it was achieved?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): The Emergency Agricultural Production Programme, which was undertaken during 1972-73 to meet the situation created by drought during the kharif season of that year, was based principally on minor irrigation. Special allocations of financial assistance were made to State Governments to enable them to take up quick-maturing minor irrigation programmes which could be completed by the 31st March, 1973 or latest by the 31st May, 1973 so as to irrigate the rabi and summer crops. The schemes implemented under the programme included energisation of tubewells/pumpsets lift irrigation projects on rivers, tanks, canals, perennial streams etc., constructions of State-owned deep tubewells, shallow tubewells, supply of pumpsets to farmers, extension and improvement of canals and distributories in the command of major and medium irrigation projects, besides other types of works capable of yielding immediate benefits. Latest assessment has shown that the minor irrigation programmes taken up under the E.A.P.P. have been implemented successfully in almost all States. Statements showing State-wise targets and achievements are enclosed. [Placed in Library See No. L 5238/73]

दाखिले के समय प्राइवेट मेडिकल कालेजों में लिया जाने वाला प्रति व्यक्ति शुल्क

1121. **श्री रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक प्राइवेट मेडिकल कालेजों में दाखिले के समय लिए जाने वाला प्रति व्यक्ति शुल्क की प्रथा अब भी प्रचलित है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (प्रो० अमिय कुमार किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) लेने वाली संस्थाओं की वृद्धि के पक्ष में नहीं है तथा उसने प्रति व्यक्ति शुल्क लेने के आधार पर स्थापित होने वाले मेडिकल कालेजों को प्रोत्साहन न देने के लिए अनेक बार राज्य सरकारों से अनुरोध किया है । अब इन मेडिकल कालेजों के खुलने पर रोक लगाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक कानून बनाने का प्रस्ताव है ।

भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों (पेस बाऊलर्स और सीम बाऊलर्स) की कमी

1122 **श्री रानेन सेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भारत-इंगलैंड क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट में पाई गई कमियों में से कुछ को, जैसे तेज गेंदबाजी की कमी को दूर करने के उपाय किए गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) : यह मामला भारत में क्रिकेट सम्बन्धी नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जो भारत में क्रिकेट के खेल की उन्नति के लिए उत्तरदायी, राष्ट्रीय निकाय है। तेज तथा सीम गेंदबाजी के स्तर को सुधारने की आयोजनाएं उसके विचाराधीन हैं। 1972 के दौरान होनहार युवक तेज गेंदबाजों के लिए एक शिक्षण शिविर राष्ट्रीय नेता जी सुभाष खेलकूद संस्थान, पटियाला के सहयोग से आयोजित किया गया था। बोर्ड का यह प्रस्ताव है कि 4-5 उन युवक क्रिकेट खिलाड़ियों को जो भारतीय विद्यालय के लड़कों को क्रिकेट दल के सदस्य हैं तथा इस समय इंगलैंड के दौरे पर हैं, दौरा समाप्त हो जाने के पश्चात् इंगलेंड में प्रसिद्ध क्रिकेट शिक्षकों द्वारा तेज गेंदबाजों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 3-4 महीनों की अवधि के लिए फिर लन्दन भेजा जायेगा। ए०आई०सी० एस० की सलाह पर शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव के संबंध में कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत कर दिया है।

हल्दिया के विकास में प्रगति

1123. **श्री रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया का कलकत्ता के सहायक पत्तन के रूप में विकास करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पहले चार चरणों में आवश्यक भूमि के 5804 एकडों में से 5434.92 एकड़ अधिप्राप्त कर लिये गये हैं, जिनमें सरकारी भूमि भी शामिल है। पांचवीं चरण के अंतर्गत 3476 एकड़ भूमि की अधिप्राप्ति के बारे में, 852.82 एकड़ अधिगृहीत किये जा चुके हैं जिनमें सरकारी भूमि भी सम्मिलित है। गोदी और घुमाव थाले के लिये आवश्यक निकर्षण कार्य का 50 प्रतिशत पूरा हो गया है। हल्दिया परियोजना के भाग के रूप में तेल घाट अगस्त, 1968 में पूरा किया गया और अगस्त, 1968 में उसे चालू कर दिया गया। 80 प्रतिशत जलपाश निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। बोलार्ड फेंडरों आदि जैसी जुडतारों को छोड़कर अयस्क, कोयला और फास्फेट घाटों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। फिंगर जेटी का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। सामान्य माल की दीवारों और आधान घाटों और पारगमन शेड के ऊपरी ढांचे का निर्माण कार्य प्रगति में है। माइनिंग और एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर को जिन अयस्क और कोयला लदान संयत्रों का आर्डर दिया गया है उनकी दिसम्बर, 73–अप्रैल, 74 तक सुपुर्द और चालू किये जाने की आशा है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस को जिन सात इंजनों का आर्डर दिया गया था उनकी पहले ही सुपर्दगी की जा चुकी है, मुहाने और पहुंच जलमार्ग के निकर्षण के लिये आशयित दूसरा मुआना निकर्षक की सुपर्दगी 1975 में मैसर्स गार्डनरीच वर्कशाप्स लि०, कलकत्ता द्वारा की जानी है। हल्दिया में पोतों की धरा उठाई के लिये आशयित पांच कर्षनावों में से एक की सुपुर्दगी गार्डन रीच वर्कशाप्स लि० ने कर दी है और दूसरे की सुपुर्दगी की नवम्बर, 1973 में और शेष तीन की 1974 में सुपुर्द किये जाने की संभावना है। निर्माण के लिये अनुसूचित विभिन्न वर्गों के 1470 यूनिट क्वार्टरों में से 354 यूनिटों का निर्माण किया जा चुका है और 444 यूनिटों का निर्माण प्रगति में हैं। 527 यूनिटों के लिये निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ख) 30-6-73 तक परियोजना पर (लगभग) 58 करोड़ रुपये का कुल खर्च किया जा चुका है।

शाहदरा स्थित दिल्ली परिवहन निगम के डीपो में हाई स्पीड डीजल ग्रायल की कमी

1124. **श्री नवल किशोर सिंह :**

श्री सेझियान :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के शाहदरा स्थित डीपो में से 27000 लिटर डीजल ग्रायल गायब पाया गया है,

(ख) क्या इसके बाद दिल्ली परिवहन निगम के अन्य डीपों में भी डीजल ग्रायल के रजिस्टरों की जांच पड़ताल की गई है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है,

(ग) क्या इसमें दिल्ली परिवहन निगम के कुछ कर्मचारियों का भी हाथ है और यदि हां तो उनके नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । पाई गई भिन्नता विशेष महत्व की नहीं थी ।

(ग) शाहदरा डिपो के एक डिपो प्रबंधक, एक सहायक इंजीनियर और एक भंडारी जिन पर शंका थी तत्काल निलम्बित किये गये । उनकी विभागीय जांच की जा रही है दोषी व्यक्तियों पर जांच के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी । उसके अतिरिक्त पुलिस में भी मामले की जांच के लिये दर्ज करवा दिया गया है ।

(घ) भंडार की जांच अधिक शीघ्रता से करने का निर्णय किया गया है ।

दिल्ली में नर्सरी पाठ्यक्रम में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली अनधिकृत शिक्षा संस्थाएं

1125 **श्री नवल किशोर सिंह :**

श्री झारखण्डे राय :

क्या **शिक्षा** समाज **कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि राजधानी में नर्सरी पाठ्यक्रम में शिक्षकों के प्रशिक्षण का दावा करने वाली अनेक अनधिकृत शिक्षा संस्थाए हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों को दिल्ली प्रशासन मान्यता देता है; और

(ग) सरकार द्वारा इन संस्थाओं का पता लगाने और उनके द्वारा गरीब लोगों को धोखा देने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन को दिल्ली में अमान्यता प्राप्त नर्सरी अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान के होने की जानकारी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दिल्ली शिक्षा निदेशक ने ऐसे कुछ संस्थानों के बारे में समाचार पत्रों द्वारा जनता को सूचित किया है जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। इन संस्थानों के प्रबन्धकों को भी उन्होंने लिखित रूप से सूचित कर दिया है कि वे जनता को यह आश्वासन देकर धोखा न दें कि मान्यता मिल जायेगी।

ब्लिट्ज में "हास्पिटल्स मस्ट हैल्प एण्ड नर्स रनिंग रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1126. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 जून, 1973 के साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में 'हास्पिटल्स मस्ट हैल्प एण्ड नर्स रनिंग रैकेट' शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (प्रो० अमिय कुमार किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) यह महाराष्ट्र राज्य का मामला है, उस राज्य सरकार से सूचना मंगाई गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश और मैसूर में जनसंख्या संबंधी परियोजना

1127. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के छः जिलों और मैसूर के पांच जिलों में लागू की जाने वाली 'जनसंख्या' सम्बन्धी परियोजना में उन सामाजिक आर्थिक पहलुओं की खोज की जायेगी जिनसे प्रेरित होकर पति पत्नी परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाते हैं ; और

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, इसके लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है और इस अध्ययन से क्या लाभ होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की बातें इस प्रकार हैं :—

(1) भारत सरकार के वर्तमान पैटर्न के अनुसार परियोजना जिलों में आधारभूत ढांचे सुविधाओं और उपकरणों को पूरा करना,

(2) नगरीय और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में प्रसूति पर आधारित परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करना,

(3) उपर्युक्त कार्यक्रम के विकल्पों की संपूर्ति करने और उन की जांच के लिये विशेषकर अनुपूरक पौषणिक कार्यक्रम को बढ़ा कर प्रत्येक राज्य के दो जिलों में अतिरिक्त साधन प्रदान करना, और

(4) उन्नत किस्म की प्रबंध सूचना और मूल्यांकन सेवाओं का स्वरूप निर्धारित करने और परियोजना का निरन्तर मूल्यांकन करते रहने के लिये उत्तर प्रदेश और मैसूर में एक एक ऐसे जनसंख्या केन्द्र स्थापित करना जिन के कार्य के परिणाम भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम पर समग्र रूप से लागू किये जाएंगें। इन केन्द्रों को अपने कार्य में विशिष्ट प्रबंध संस्थानों द्वारा सहायता दी जाएगी।

इस परियोजना को पांच वर्ष की अवधि में 23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि प्राप्त होगी। इस राशि की प्राप्ति के लिए, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और स्वीडस अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ करार हुआ है।

इस अध्ययन से निम्नलिखित लाभ होने की आशा है।

परियोजना को क्रियान्वित किये जाने से गहन परिवार नियोजन प्रयत्नों और पौषणिक कार्यक्रम द्वारा जो स्पष्ट लाभ होंगे उन के अलावा विभिन्न विकल्पों की जांच और मूल्यांकन में सहायता मिलेगी जिससे शेष भारत में परिवार नियोजन के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिये शिक्षा प्राप्त होगी।

दिल्ली में स्कूलों के भवन निर्माण के लिए चौथी योजना में नियतन

1128. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम्** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने स्कूल भवनों के निर्माण के लिये धन मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना में कितनी राशि रखी गई थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) जी हां।

(ख) चौथी योजना अवधि में 752 लाख रुपये की धन राशि मूल रूप से निर्धारित की गई थी किन्तु उसे घटाकर अब 716.5 लाख रुपये कर दिया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए दस लाख रुपये की योजना

1129. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम्** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए दस लाख रुपये की योजना बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा संबंधी सरकार की पिछली योजना को योजना मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (प्रो० अमिय कुमार किस्कू) : (क) इस योजना को अभी अन्तिम रूप देना बाकी है।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने इस मूल योजना को पास नहीं किया था क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया कि व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए इसमें अनेक कमियां हैं। उन का यह भी विचार था कि इस योजना को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने से पहले प्रयोग के तौर पर एक मार्गदर्शी परियोजना चलायी जाये।

केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन द्वारा नदियों के दूषण का सर्वेक्षण

1130. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन ने घरेलू गंदी नालियों से बहने वाली गंदगी और कारखानों द्वारा बहाये जाने वाले फालतु द्रव्यों के कारण नदी-बेसिनों के दूषण की मात्रा का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जल के प्रदूषण को रोकने तथा उस के नियन्त्रण संबंधी एक विधेयक संसद में पेश है ।

मत्स्य पालन के विकास के लिए पोलैंड से वित्तीय और तकनीकी सहायता

1131. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड सरकार ने हाल ही में मछली पकड़ने की 50 नौकाओं सहित भारत में मतस्य पालन में आर्थिक तथा तकनीकी सहायता का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और नौका का मूल्य क्या है और

(ग) क्या सरकार ने उक्त सहायता स्वीकार कर ली है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत में मतस्य उद्योग के विकास के लिए पोलैंड ने आर्थिक सहायता की कोई पेशकश नहीं की है । परन्तु 6 अप्रैल, 1973 को पौलैंड सरकार के साथ करार तय पाया था जिसके अनुसार पौलैंड और भारत मत्स्य उद्योग के पारस्परिक रूप से निश्चित हुए क्षेत्रों में सहयोग देंगे । पौलैंड तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता भी देगा । निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश पर विचार किया जा रहा है :—

1. भारतीय मत्स्य उद्योग की जरूरतों के अनुसार पोलैंड द्वारा नौकाओं की सप्लाई,
2. देश में नौकाएं तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण तथा विशेषज्ञता और मछली पकड़ने की नौकाओं के लिए डिजायनों की सप्लाई,
3. गहरे समुद्र के संसाधनों का सर्वेक्षण करने और मछली पकड़ने के लिये संयुक्त रूप से प्रयास करना ।

भारत सरकार ने एक योजना अधिसूचित की है जिसके अनुसार 18 महीनों की अवधि के अन्दर सीमित संख्या में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली निर्दिष्ट आकार की नौकाओं को विदेशों से आयात करने की अनुमति दी गई है परन्तु अन्य बातों के साथ साथ एक शर्त यह है कि प्रत्येक आयातित नौका के मुकाबले में देश में एक नौका तैयार की जाए । इस योजना के अंतर्गत आयात की जाने वाली नौकाओं की संख्या 50 होगी । पौलैंड के अधिकारियों ने सूचित किया है कि वे 1974 से 1976 तक की अवधि

के दौरान 50 नौकाएं सप्लाई करेंगे। उन्होंने वर्ष 1972 में संकेत दिया था कि 19.73 मीटर और 23.25 मीटर की मछली पकड़ने वाली नौकाओं की कीमत क्रमश: 11.6 लाख रुपये और 20.74 लाख रुपये होगी। पोलैंड अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते समय बताया गया था कि 23.25 मीटर और 30.36 मीटर लम्बी मछली पकड़ने की नौकाओं के दो डिजाइन हमारी जरूरतों के लिए उपयुक्त होंगे। भारतीय परिस्थितियों के लिए अपेक्षित संशोधनों के बारे में पोलैंड के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है जिन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि वे संशोधनों के अनुसार डिजाइन बना कर भेज देंगे और मूल्य अदायगी की शर्तों तथा वितरण की तारीखों के बारे में भी सूचित कर दग। अधिसूचित योजना के ढांचे के अनुसार पोलैंड से नौकाओं की खरीद के प्रश्न पर ब्यौरा प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

Arrest of Manager of Government Store in a village of Jhansi (U.P.) on charge of Hoarding of Wheat

1132. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to State :

(a) Whether a manager of a Government store in a village of Jhansi (U. P.) has been arrested on the charge of hoarding of wheat and five thousand bags of wheat were recovered from him;

(b) the rules and regulations framed by Government to check possible corrupt practices; and

(c) if so, the broad outlines thereof and the action taken against the said manager ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The information has been sent for from the Uttar Pradesh Government; it will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

Adulteration in Rice, Grains, Oil, Ghee, Spices and Food Articles

1133. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the adulteration of small pieces of white stone in Basmati rice, and that of the seeds of Papaya in pepper;

(b) whether adulteration in grains, oil, ghee, spices and all types of food products is also going on in large scale besides the said products; and

(c) whether Government have formulated any scheme to take well thought out effective action in this regard; and if not, the reasons therefor ?

Deputy Minister of Health and Family Planning (Prof. A.K. Kisku) : (a) & (b) The Government is aware of the various types of adulterants found in different products and the extent of their adulteration.

(c) Steps have been taken from time to time for dealing with this problem. Schemes in this regard have also been formulated for implementation during the Fifth Plan period.

सरकार द्वारा नामजद (स्पानसर्ड) लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की किस्म और मूल्य संबंधी शिकायतों के बारे में जाँच

1134. **श्री एच० एस० पटेल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को विभिन्न प्रकार से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि स्कूलों और कालेजों में जो पाठ्य पुस्तकें प्रयोग की जाती हैं सरकार द्वारा नामजद लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा अत्यधिक मूल्य पर प्रकाशित की गई हैं और उनका लेखन तथा प्रकाशन त्रुटिपूर्ण हैं; और

(ख) क्या सरकार नें इन शिकायतों की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य राज्य सरकारों द्वारा गठित विभिन्न पाठ्य पुस्तक निर्माण बोर्डों/संगठनों द्वारा तैयार की गयी स्कूल स्तरीय और विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का हवाला दे रहे हैं स्कूल स्तरीय आदर्श पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गयी हैं और इन पुस्तकों की कोटि से सम्बन्धित कोई शिकायत नहीं है और इनका मूल्य भी मामूली है । राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्डों/संगठनों ने स्कूल स्तरीय पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं। इन पुस्तकों की कोटि के बारे में भी कोई आम शिकायत नहीं है तथा इन पुस्तकों के मूल्य भी मामूली है ।

विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण की केंन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सरकार ने प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण में भाग लेने वाले राज्यों के लिए एक करोड़ रुपये उपलब्ध किये हैं । अब कई पुस्तकें तैयार कर ली गयी हैं । तथा उनमें से अनेक पुस्तकों का मूल्य बहुत मामूली रखा गया है । जहां कहीं भी पुस्तकों के मूल्य को कुछ ज्यादा समझा जाता है, वहां विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के मूल्य को कम करने के लिए सरकार की एक सहायता योजना है । राज्य सरकारों का ध्यान इस योजना की ओर आकर्षित किया गया है

Setting of Taraqui-e-Urdu Board

1135. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have set up a Taraqui-e-Urdu Board for development of Urdu language;

(b) if so, the names of the persons appointed as members of the Board;

(c) the objectives and functions of the Board; and

(d) the amount proposed to be spent by Government annually thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) to (d) Government have set up theTaraqui-e-Urdu Board with the following functions and objectives :

(i) To make available under the Centrally sponsored scheme of production of literature in Indian languages, academic literature as well as other types of literature in Urdu including Science books for disseminating modern knowledge, childern's literature, reference books, encyclopaedias, basic texts, etc.;

(ii) To advise the Union Ministry of Education and Social Welfare on all matters pertaining to fulfilling the objectives stated above.

The Education Minister is the Chairman of the Board and Prof. M. Mujeeb, Vice-Chancellor, Jamia Millia Islamia, New Delhi, is its Vice-Chairman. The following are the other Members of the Board :

1. Chairman, University Grants Commission, New Delhi.
2. Director-General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
3. Prof. A. Aleem, Vice-Chancellor, Aligarh Muslim University, Aligarh.

4. Shri A.N. Mulla, Member of Parliament, New Delhi.
5. Dr. S. Abid Hussain, Secretary, Islam & Modern Age Society, Jamianagar, New Delhi.
6. Shri Habibur Rehman, Secretary, Anjuman Tarraqui-e-Urdu, Urdu Hall, Hyderabad.
7. Prof. A.A. Suroor, Head of the Department of Urdu, Aligarh Muslim University, Aligarh.
8. Prof. K. A. Farooqui, Head of the Department of Urdu Univeısity of Delhi, Delhi.
9. Shri S.S. Dasnavi, Director, Anjuman-i-Islam, Urdu Research Institute, Bombay.
10. Dr. Hukam Chand Nayyar, Department of Urdu, Banaras Hindu University, Varanasi.
11. Prof. Akhtar Ahmad Orainvi, Head of the Department of Urdu, Patna University, Patna.
12. Mrs. Habeebunissa Begum, Professor & Head of the Department of Post-Graduate Studies & Research in Urdu, Mysore University, Mysore.
13. Mrs. S.Z. Ahmed, Director of School Education (Girls), Government of Jammu & Kashmir, Srinagar,
14. Hakim S. Qamarul Hassan, Chief Editor, Daily 'Nadeem' Bhopal.
15. Shri M. Rehmani, Amir-e-Shariat, Bihar & Orrisa, Monghyr.
16. Vice-Chancellor, Punjabi University, Patiala (or his nominee).
17. Director, Central Hindi Directorate, New Delhi.
18. Joint Secretary (Languages), Ministry of Education & Social Welfare (Member-Secretary).

A Plan allocation of a sum of rupees one crore is available during the Fourth Five-Year Plan for enabling fulfilment of the functions and objectives of the Board. An amount of Rs. 15 lakhs out of this has been provided in the current financial year 1973-74.

Proposal relating to financing of this Programme during the Fifth Five Year Plan is still to be finalized. On finalization, year wise allocation will be determined. It is however hoped that work will not suffer on account of inadequacy of resources.

Shifting of Annesabad Central School to Kankarbagh, Patna.

1136. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to shift the Aneesabad Central School to Kankarbagh, Patna by constructing its own building there;

(b) if so, whether the construction work of the building has not so far been undertaken despite decision taken many years ago in this respect; and

(c) if so, the reasons for the delay and the time by which Government propose to complete the construction work of the building ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The final decision to accept the land at Kankarbagh was taken by the Kendriya Vidyalaya Sangathan only in 1972. The boundry wall is already under construction. The plans for the building to be put up at Kankargabh have been approved and the estimates for the construction are under preparation by the C.P.W.D. The construction will be taken up soon after the estimates are finalised.

Cultivation of Land Reclaimed from sea

1137 **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have any Scheme for the cultivation of land reclaimed from sea; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in he Ministry of Agriculture (Shri Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

छोटे किसानों के उत्थान के लिए राज्यों द्वारा धन का उपयोग न करना

1138. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसानों के उत्थान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग किन राज्य सरकारों ने नहीं किया है ;

(ख) किसी भी राज्य द्वारा अधिकतम कितनी प्रतिशत राशि का उपयोग इस प्रयोजनार्थ किया जा सका है;

(ग) उक्त राज्यों ने स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग न करने के क्या कारण बताए हैं ; और

(घ) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : प्रत्येक लघु कृषक विकास एजेंसी को परियोजना की अवधि के लिए 150 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है । इन 46 परियोजनाओं के लिए अनुदान भारत सरकार सीधे एजेंसियों को निर्मुक्त करती है, न कि राज्य सरकारों को । संलग्न विवरण में भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त की गई धन-राशि, एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाई गई राशि और इनके प्रारम्भ होने से लेकर 31 मार्च, 1973 तक प्रयोग में लाई गई राशि की प्रतिशतता दी गई है ।

(ग) तथा (घ) : प्रत्येक वर्ष निर्मुक्त की गई राशियां व्यय की प्रगति और अगले वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए पिछले वर्ष से आगे लाई गई आवश्यक राशि पर आधारित हैं । लघु कृषक विकास एजेंसियों ने आम तौर पर धन राशि का संतोषजनक ढंग से उपयोग किया है ।

विवरण

विभिन्न राज्यों को दी गई तथा लघु कृषक विकास एजेंसी द्वारा प्रयोग की गई राशि

राज्य	लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजनाओं की संख्या	आरम्भ से अब तक दी गई कुल राशि (लाख रु०)	आरम्भ से अब तक प्रयोग में लाई गई कुल राशि (लाख रु०)	दी गई राशि की तुलना में प्रयोग में लाई गई राशि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	3	90.50	73.99	81.8
2. असम	2	45.50	27.36	60.1

1	2	3	4	5
3. बिहार	3	113.97	70.43	61.8
4. गुजरात	3	138.98	137.20	98.8
5. हरियाणा	2	139:32	137.54	98.7
6. हिमाचल प्रदेश	1	51.00	46.95	92.1
7. जम्मू व कश्मीर	2	69.06	66.31	96.0
8. केरल	2	99.70	73.79	74.0
9. मध्य प्रदेश	3	92.17	60.95	66.1
10. महाराष्ट्र	3	67.41	42.30	62.8
11. मैसूर	3	123.08	92.62	75.3
12. नागालैंड†	1	45.00	28.73	63.8
13. उड़ीसा	3	134.35	144.05	107.3††
14. पंजाब	2	68.15	62.63	91.9
15. राजस्थान	3	88.87	67.45	75.9
16. तमिलनाडु .	3	101.89	100.93	99.1
17. उत्तर प्रदेश .	4	218.53	209.76	96.0
18. पश्चिम बंगाल	3	86.48	66.76	77.2

†निर्मुक्त की गई राशि तथा सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना का व्यय भी शामिल है ।

††ऐसे मामलों में जहां निर्मुक्त की गई राशि की तुलना में व्यय अधिक हो गया है एजेंसियों ने जमा राशि पर व्याज तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों आदि द्वारा दिये गये ऋण की वापसी आदि "अन्य प्राप्तियों" के अन्तर्गत प्राप्त हुई विधियों का उपयोग किया है ।

माडल स्कूलों का खोला जाना

1139. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में कितने माडल स्कूल खोले जायेगें ; और

(ख) इसके लिए कितना धन निर्धारित किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) इस संबंध में पांचवीं योजना के प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

वर्षा कराने के लिए कैर के वनों का लगाया जाना

1140. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कैर लकड़ी बादलों के बनने, बढ़ने और बरसने में सहायक हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सिंचाई सुविधा के अभाव वाले क्षेत्रों में वर्षा बढ़ाने में सहायता करने के लिए कैर बन बड़े पैमाने पर लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । भारतीय उष्ण कटिबंधीय संस्थान, पूना द्वारा कैर की हरी लकड़ी पर किये गये प्रारम्भिक परीक्षणों से पता चलता है कि हरी लकड़ी के जलाने से उत्पन्न राख में बादलों को बनाने के गुण हैं ।

(ख) कैर एक प्रकार की झाड़ी है, जो स्वाभाविक रूप से कई राज्यों के सूखे क्षेत्रों में उगती है । अतः इस झाड़ी की किस्मों को बड़े पैमाने पर उगाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 'फ्री बैड' रोगियों को दी जाने वाली खुराक

1141. **श्री रेणुपद दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में "फ्री बैड" रोगियों को कितनी तथा किस किस्म की खुराक दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उस अस्पताल के अधिकांश अन्तरंग रोगियों को डाक्टरों द्वारा निर्धारित खुराक नहीं मिल रही है ; और

(ग) क्या रोगियों को सप्लाई किये जाने वाली खुराक की मात्रा तथा किस्म की जांच के लिये कोई प्रबन्ध है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (प्रो० अमिय कुमार किस्कू) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अस्पताल में भर्ती रोगियों को खुराक डाक्टरों के नुस्खों के अनुसार दी जाती है और इसमें सरकार द्वारा मंजूर परिमाण को ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) जी हां ।

विवरण

व्यसकों के लिए परिमाप

खुराक की किस्म	**खुराक का परिमाप**
1. **शाकाहार**	
गेहूं या चावल .	400 ग्राम
आलू	115 ग्राम

17 LSS/73—8.

खुराक की किस्म	खुराक का परिमाप
दाल	85 ग्राम
सब्जियां (आलू को छोड़कर)	230 ग्राम
नमक	10 ग्राम
मसाले	10 ग्राम
घी	50 ग्राम
दही	115 ग्राम
दूध	340 मि० लि०
चीनी	55 ग्राम
चाय पत्ती	7 ग्राम
2. दूध आहार	
दूध	1.360 लिटर
चाय पत्ती	7 ग्राम
डबल रोटी	115 ग्राम
क्रीम या मक्खन	25 ग्राम
चीनी	55 ग्राम
3. हल्की खिचड़ी आहार	
चावल	225 ग्राम
दाल	85 ग्राम
नमक	10 ग्राम
घी	50 ग्राम
दूध	230 मि०लि०
दही	455 ग्राम
चीनी	55 ग्राम
चाय पत्ती	7 ग्राम
बच्चों के लिए परिमाण	
I. दूध 1 आहार	
दूध	450 मिली लिटर
चीनी	55 ग्राम
केला या सन्तरा	2 (दो)

खुराक की किस्म	खुराक का परिमाप
II. दूध आहार	
दूध . .	910 मि०लि०
चीनी . .	55 ग्राम
केला या सन्तरा .	1 (एक)
अंडा . .	1 (एक)
III. दूध आहार	
दूध .	910 मि०लि०
चीनी	55 ग्राम
डबल रोटी	115 ग्राम
मक्खन .	15 ग्राम
मौसमी फल .	225 ग्राम
I. शाकाहारी आहार	
आटा या चावल	225 ग्राम
दाल .	25 ग्राम
आलू . .	55 ग्राम
मौसमी हरी सब्जियां 4 औंस	115 ग्राम
दही . . .	55 ग्राम
दूध . . .	340 मि०लि०
चीनी . . .	55 ग्राम
घी	25 ग्राम
डबल रोटी . .	115 ग्राम
मसाले . .	8 ग्राम
चाय पत्ती .	15 ग्राम
हल्की खिचड़ी आहार	
चावल	110 ग्राम
दाल	25 ग्राम
घी	25 ग्राम
दूध	230 मि०लि०
दही	115 ग्राम
चीनी . . .	55 ग्राम
चाय पत्ती . . .	15 ग्राम
मौसमी फल	230 ग्राम
मसाले	10 ग्राम

Hijacking of a Ship From Konkan Coast to Malvan Port

1142. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a ship was hijacked from Konkan coast to Malvan port by some persons in the first half of May, 1973; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to check hijacking of ships ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) On the 4th May 1973, when the vessel "KONKAN SEVAK" was at the port of Vengurla, a group of persons boarded the vessel and after she left the port for the next port of call, compelled the Master under threat to take the vessel to Malvan Port. The Master took the vessel to Malvan anchorage. M/s. Chowgule Steamships Company, the owners of the vessel, reported the matter to the Government of Maharashtra on 5-5-73. The State Government provided a police party to travel on board the ship on 5-5-73. The police party travelled on the ship from Ratnagiri to Panaji and back. Since then there has been no recurrence of such incidents.

Employees Working in the Department of Transport

1143. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the present number of temporary and permanent employees working in the Department of Transport;

(b) the number of employees who are temporary even after working for more than the last five years; and

(c) the future policy of Government in regard to confirmation of the employees ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) The information pertaining to the Secretariat of the Ministry of Shipping and Transport is as under :

(a) Permanent 576
Temporary '405

(b) 250

(c) According to the existing policy, confirmations are made on the basis of number of the permanent vacancies available. The position regarding conversion of temporary posts into the permanent ones is however, reviewed periodically according to extant orders.

1972-73 के दौरान रबी की फसल की अवधि के लिए रखी गई धनराशि का अन्य प्रयोजनों के हेतु प्रयोग

1144. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 1972-73 में रबी की फसल अधिक उगाओं कार्यक्रम के लिये रखी गई धनराशि का कुछ भाग अनुत्पादी साधनों (चैनल) पर व्यय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में पीड़ित क्षेत्र और वहां के प्रभावित लोग

1145. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यधिक कमी, आवश्यक वस्तुओं के ऊंचे मूल्य होने, बढ़ती हुई बेकारी और गरीबी के कारण कौन-कौन से राज्यों और जिलों को पीड़ित क्षेत्र कहा जाना चाहिए ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति इससे प्रभावित हैं और उनका अनुपात कितना है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को परीक्षणात्मक राहत काम दिया गया है, और

(घ) क्या सरकार देश के कुछ भागों को "अकाल ग्रस्त क्षेत्र" घोषित करने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) तीन विवरण (1, 2 तथा 3) संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 5239/73]

(घ) हालांकि देश के कुछ भाग को "अकाल क्षेत्र" घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी विभिन्न राज्यों के 54 जिलों को सतत सूखा-उन्मुख जिले के रूप में माना गया है ।

भूमि वितरण से लाभान्वित परिवार

1146. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी बनाए गए हाल ही के विधान के परिणामस्वरूप भूमि वितरण से प्रत्येक राज्य में लाभान्वित होने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है : और

(ख) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) अधिकांश राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून हाल में संशोधित किये गये थे और अभी वितरित की गई फालतू भूमि अथवा इससे लाभान्वित परिवारों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है । तथापि, केरल में, जहां कुछ समय से अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित कानून लागू है यह सूचना मिली है कि 1336 परिवारों को 11.92 एकड़ फालतू भूमि वितरित की गई इनमें 573 परिवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं ।

अमरीकी प्रतिष्ठानों द्वारा भारत में शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान

1147. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका फोर्ड प्रतिष्ठान, राकफैलर प्रतिष्ठान तथा अन्य अमरीकी प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष-वार भारत में प्रत्येक शैक्षिक संस्थाओं को प्रयोजनवार, कितना अनुदान दिया गया;

(ख) उक्त अवधि में इन अनुदानों का निपटान किस प्रकार किया गया;

(ग) क्या अनुदान प्राप्त करने वाले कुछ संस्थाओं के शासी निकायों अथवा शैक्षिक परिषदों में प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इन संस्थाओं के कुछ निकायों में प्रतिष्ठानों की प्रतिनिधित्व किस रूप में प्राप्त है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में नकली दवाइयों का बढ़ता व्यापार

1148. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सामान्य रूप से देश भर में और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में नकली दवाइयों के बढ़ते व्यापार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में पश्चिम बंगाल से इस प्रकार के व्यापार के कितने मामलों की सूचना मिली है ।

(ग) इस अवधि में उनके मंत्रालय को किस प्रकार के मामलों की सूचना दी गई; और

(घ) ऐसे समाज विरोधी और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं या उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (प्रो० अमिय कुमार किस्कू) : (क) और (ख) जी हां, । विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) ये मामले मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार के हैं:—

(1) औषधियां, विशेषकर एण्टीबायोटिक, हारमोन वाली दवाइयां, एनालजेसिक शर्बत आदि, ऐन्टीसेपटिक पाउडर आदि जिनमें सक्रिय पदार्थों/तत्वों का होना बताया गया है ।

(2) कुछेक सल्फा दवाइयां जिनमें घटिया किस्म की सल्फा औषधियों का होना बताया गया है ।

(3) आम घरेलू उपचार की वस्तुओं की नकल ।

(घ) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में मिलावट शुदा दवाइयों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए दण्ड देने की व्यवस्था है । बिना लाइसेंस वाले औषधि निर्माताओं को, जो प्रायः नकली दवाइयों को बनाने और बेचने का धंधा करते हैं, खत्म करने के लिए लाइसेंस वाले औषधि निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची छाप ली गई है जो सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को नाम मात्र मूल्य पर सुलभ है । राज्यों को सलाह दी गई है कि वे नकली दवाइयों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखें और औषधि निरीक्षकों के कार्यालयों और परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करें । औषधि निर्माताओं और विक्रेताओं के संघों से सहायता और सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ताकि ये लोग निर्माण और बिक्री की अच्छी पद्धतियों के अधिक से अधिक अनुकूल चलें तथा नकली दवाइयों के विरुद्ध एक ठोस अभियान चलाया जा सके । इसके अलावा राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों के कार्यों में जोनल कार्यालयों के केन्द्रीय औषध निरीक्षक भी योग दे रहे हैं और राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रयोगशालाओं में औषधि परीक्षण की सुविधाएं भी दी जा रही हैं ।

अन्तर्राज्य व्यापार में प्रचलित अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधियों के नमूने लेने के लिए केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने देश भर में एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया है ।

वर्ष 1973-74 और पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पारादीप पत्तन में प्रस्तावित विकास कार्य

1149. श्री अर्जुन सेठी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 और पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पारादीप पत्तन में किन-किन विकास कार्यों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) 1973–74 तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में पत्तन में माल उतारने तथा चढ़ाने की कितनी क्षमता होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1973–74 के दौरान मुख्य कार्य जो निर्माणाधीन हैं के निम्नलिखित हैं :—

(1) सामान्य मालघाट ।

(2) समुद्री दीवार ।

(3) रेलवे साइडिंग ।

(4) नये कर्मचारी क्वार्टर ।

(5) मौजूदा पनकट दीवारों का सुधार ।

(6) प्रति वर्ष 40 लाख टन लौह अयस्क तक निर्यात करने के लिए मौजूदा अयस्क धरा उठाई संयंत्र की वृद्धि ।

पांचवीं योजना के बारे में, प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) लौह अयस्क धरा उठाई संयंत्र में सुधार से 40 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता बढ़ जायेगी परन्तु यह 1973-74 के अन्त तक पूरा नहीं हो पायेगा पांचवीं योजना के अन्त में धरा उठाई क्षमता बताई नहीं जा सकती क्योंकि प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

राष्ट्रीय राजपथ का सुधार करने के लिये ताल्चेर-रूरकेला-बोकारो मार्ग

1150. श्री अर्जुन सेठी :

श्री हरी सिंह :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ का सुधार करने के लिए चौथी योजना में ताल्चेर-रूरकेला-बोकारो मार्ग का निर्माण कार्य शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुधार कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) चास-बुकारा-रांची-रूरकेला-बारकोट-ताल्चेर मार्ग मार्च, 1972 में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल कर लिया गया है । इस नये राष्ट्रीय राजमार्ग में सुधार का कार्यक्रम राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है । कार्यक्रम को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इस के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की जायेगी ।

विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले को विनियमित करना

1151. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री हरी सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले को विनियमित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या है और इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) उच्च शिक्षा में दाखिले को नियमित करने की आवश्यकता की विशेषता पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रलेख दृष्टिकोण (एप्रोच) में बताई गई है । संबंधित पैरा नीचे उद्धृत किया गया है :

दीर्घकालीन सम्भावनाओं के अनुसार, नौकरी चाहने वालों की समस्या का निदान केवल माँग पक्ष से विचार कर नहीं किया जा सकता । जहां तक कुशल कर्मचारियों का संबंध है, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों में प्रवेश की संख्या घटानी पड़ रही है ताकि समस्या को सुलझाया जा सके । जहां तक आम लोगों का सम्बन्ध है इस बारे में और भी जोर से कार्यवाही करनी होगी ताकि समस्या पर काबू पाया जा सके । विश्वविद्यालय की शिक्षा को इस प्रकार विनियमित करना होगा जिससे उतनी ही संख्या में शिक्षा प्राप्त कर लोग विश्वविद्यालय से निकले जितने लोगों को रोजगार पर लगाया जा सके । इसके लिए न केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर रोक लगानी होगी बल्कि माध्यमिक शिक्षा को अधिक विविधता प्रदान कर उसे व्यावसायिक बनाना होगा ताकि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्रवेश की भीड़-भाड़ को घटाया जा सके । इसके अलावा वे सभी नियमित उपाय अन्यायपूर्ण हैं जो समान शिक्षा अवसर सुलभ करने से इनकार करते हैं । समतल गतिशीलता प्रदान करने में शिक्षा शक्तिशाली तत्व के रूप में काम कर सकती है । वर्तमान शिक्षा इस संबंध में कारगर न होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि ठोस निर्णय लेकर उचित रीति-नीतियां अपनाई जायें ।

उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन के ब्यौरों पर शिक्षा तथा योजना आयोग के विषय निर्वाचन दल में तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति में विचार विमर्श हुआ था तथा उसे मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया था । इन प्रस्तावों को तैयार करते समय विषय निर्वाचन दल तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड दोनों ने इसे सुनिश्चित किये जाने पर ध्यान रखने के लिए जोर दिया कि अनु-सूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा समाज के पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों में उच्च शिक्षा के लिए अधिक बढ़ी हुई एवं पर्याप्त अभिवृद्धि है । ये प्रस्ताव अब सरकार के विचाराधीन है । अंतिम रूप से स्वीकृत की गई नीति पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाएगी ।

समाज विज्ञान की शिक्षा तथा अनुसंधान संबंधी एशियाई सम्मेलन

1153. **श्री भोला मांझी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीला में हाल में हुए समाज विज्ञान की शिक्षा तथा अनुसंधान संबंधी एशियाई सम्मेलन में 'यूनेस्को' से जोरदार अनुरोध किया है कि एशियाई देशों के समाज सेवा कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाए ;

(ख) क्या 'यूनेस्को' ने यह अनुरोध मान लिया है ; और

(ग) 'यूनेस्को' द्वारा उक्त सम्मेलन की सिफारिशें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सिफारिशें यूनेस्को को भेज दी गई हैं । उसके निर्णय की प्रतिक्षा है ।

'केयर' का अंशदान स्वीकार करने संबंधी निर्णय

1154. श्री भोला मांझी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिशु पोषण कार्यक्रम के लिए 'केयर' तथा अन्य विशेष स्वयं सेवी संगठनों से आगे किसी भी अंशदान को स्वीकार न करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इससे शिशु पोषण के विशेष कार्यक्रम में 40 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में ही संसाधन जुटा कर इस कटौती को बहाल करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार की आत्म निर्भरता की नीति के भाग के रूप में इस समूचे प्रश्न पर पुर्नविलोकन किया जा रहा है । इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । वित्तीय दबावों के कारण विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम पर वर्ष 1973-74 के बजट में 40% की कटौती कर दी गई है । तो भी इस कार्यक्रम के विस्तार में कोई अनुरूप कमी नहीं की गई है और उसे 1972-73 के अंत में प्राप्त किए गए स्तर पर बनाए रखा जा रहा है । इस कार्यक्रम को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

Requirement of Buses for Transport in Delhi and the Buses out of order

1155. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the present total requirement of buses for transport in Delhi and their estimated requirement after three years;

(b) the average number of buses out of the total available buses which were out of order during last May and the reasons therefor; and

(c) the preventive measures taken to check the recurrence thereof ?

The Minister of State in the Ministry Of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) On a broad assessment, a minimum fleet of 1500 buses in operation is necessary to meet the present requirements of commuters in the Capital. This number will have to be increased to about 2600 by the end of the Fifth Five Year Plan.

(b) On an average, 134 buses of the Corporation remained off the road in May, 1973 mainly due to non-availability of essential spares including tyres.

(c) Special efforts are being made to procure essential spares parts and tyres to make the buses at present out of order roadworthy. New buses are also being inducted into the fleet. This will ensure maximum utilisation of the fleet.

देश में क्षयरोग के रोगी

1156. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में क्षय रोग के कितने रोगी हैं ;

(ख) 15 वर्ष पहले उनकी संख्या क्या थी ;

(ग) क्या क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात् इस स्थिति में कोई सुधार हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (प्रो० अमिय कुमार किस्कू) : (क) 1955—58 में किए गए राष्ट्रीय क्षय रोग विस्तार सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पांच या उस से अधिक आयु वाले लगभग 80 लाख लोगों के एक्सरे चित्रों में क्षय रोग के लक्षण मिलें हैं। इन में से लगभग 20 लाख लोगों में क्षय रोग के जीवाणुओं की पुष्टि हुई (उनका थूक पोजिटिव था)।

(ख) इन निष्कर्षों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि एक्सरे द्वारा जांच करने पर लगभग 60 लाख लोग क्षय रोग से पीड़ित होंगे और इन में से लगभग 10 लाख 50 हजार में क्षयरोग के जीवाणुओं की पुष्टि हुई है।

(ग) दिल्ली में तथा मदनापल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए क्षय रोग नमूना सर्वेक्षण से पता चला है कि पोजिटिव थूक वाले क्षय रोगियों की संख्या में काफी कमी हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना के दौरान पानी की सप्लाई के लिए व्यय की गई धनराशि तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में रखी गई धनराशि

1157. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जल सप्लाई पर कुल कितनी धनराशि व्यय की तथा पांचवी पंच-वर्षीय अवधि के दौरान पेय जल की सप्लाई के लिए कितनी धनराशि नियत की जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) चौथी योजना में ग्रामीण जल सप्लाई तथा नगरीय जल सप्लाई तथा स्वच्छता की योजनाओं पर 472.00 करोड़ रुपये का व्यय किये जाने की संभावना है। इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 34.10 करोड़ रुपये खर्च किए जाने वाला अनुमानित व्यय भी शामिल है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में "अपरोच आन दी फिफ्थ फाईव यियर प्लान" के मसौदे में ग्रामीण तथा नगरीय जल सप्लाई के लिए 800 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है—ग्रामीण जल सप्लाई के लिए 550 करोड़ रुपये तथा नगरीय जल सप्लाई, सीवरेज तथा स्वच्छता के लिए 250 करोड़ रुपये। तथापि, पांचवीं योजना के लिए उपलब्ध किया जाने वाला सही परिव्यय पांचवी योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही केवल मालूम हो सकेगा।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या बढ़ाना तथा उनकी कार्यक्षमता में सुधार करने का प्रस्ताव

1158. श्री इसहाक सम्भली :

श्री विक्रममहाजन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों का यह मत है कि यदि दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या नही बढ़ायी जाती तथा उनकी कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही नही की जायेगी तो राजधानी को शीघ्र ही परिवहन संकट का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने विविध प्रकार के वाहनों वाली परिवहन व्यवस्था आरम्भ करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क), (ख), (ग) तथा (घ) दिल्ली की भावी परिवहन आवश्यकताओं के बारे में केन्द्रीय सड़क परिवहन अनुसंधान द्वारा किये गये व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग द्वारा गठित महानगरीय परिवहन दल ने, दिल्ली में नियमित यात्रियों की भावी मांगों की पूर्ति हेतु एक द्रुत पारगमन परिवहन पद्धति के चयन के लिए तकनीकी-आर्थिक शक्यता अध्ययन की सिफारिश की है। यह अध्ययन प्रगति पर है परन्तु द्रुत परिवहन पद्धति की व्यवस्था करने में काफी समय लगने की संभावना है। तब तक, और उसके बाद भी, दिल्ली परिवहन निगम की जो कि राजधानी में इस समय जन परिवहन का एक मात्र साधन है, नागरिकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए, आवश्यकता होगी। मोटे मूल्यांकन पर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निगम को प्रतिदिन लगभग 20 लाख यात्री ले जाने पड़ेंगे । इस प्रयोजन के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि उस योजना अवधि के दौरान लगभग 2200 अतिरिक्त बसों को प्राप्त करना, आवश्यक होगा। दिल्ली परिवहन निगम के पांचवीं योजना के प्रस्ताव इस आधार पर बनाए गए हैं और इस समय योजना आयोग के विचाराधीन है।

श्रीनगर में आवास मंत्रियों का सम्मेलन

1159. श्री पी० ए० सामिनाथन :

श्री राम रतन शर्मा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5 और 6 जुलाई, 1973 को श्रीनगर में आवास मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय लिये गए ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां । सम्मेलन 5 से 7 जुलाई, 1973 तक हुआ था।

(ख) तथा (ग) : सम्मेलन की कार्यसूची की मदों तथा मुख्य सिफारिशों का एक विवरण संलग्न है। ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5240 [73]

दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु 3 करोड़ रुपये की योजना

1160. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री बसंत साठे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने 3 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) 3 करोड़ रुपये की योजना के पूरा होने के पश्चात् कुल कितना उत्पादन होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, चौथी योजना के दौरान 1.85 करोड़ रुपये की लागत से दालों की फसलों के उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू की है ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निम्न कार्यों के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है :—

1. विस्तार प्रदर्शनों की व्यवस्था करना,
2. न्यूक्लीयस बीज तथा मूल बीजों का वर्धन करना,
3. किसानों द्वारा पौध रक्षा उपाय अपनाने के लिये पौध रक्षा रसायनों की खरीद,
4. दालों तथा रिजेक्यिम की उन्नत तथा अल्पकालीन किस्मों के बीजों की पूर्ति, और
5. रिहीजोवियम खेती की उपज के लिए राज्य के कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों की सूक्षम जीव संबंधी प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करना ।

(ग) उपरोक्त लिखित प्रयासों के फलस्वरूप आशा है कि दालों का उत्पादन 1971-72 में 110.5 लाख मीटरी टन से बढ़ कर 1973-74 में 12 लाख मीटरी टन हो जाएगा।

शिक्षा योजना परिव्यय में कमी

1161. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के लिये शिक्षा परिव्यय में कमी की गई है और यदि हां, तो कमी करने के क्या कारण हैं ;

(ख) किन शीर्षकों के अन्तर्गत राशि कम की गई है ; और

(ग) इस कटौती से भारत में शिक्षा के विकास को किस हद तक हानि होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) . केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सितम्बर, 1972 में हुई अपनी बैठक में पांचवी योजना में शिक्षा और संस्कृति के लिए 3,320 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी थी। तथापि, तदुनुसार, विभिन्न सेक्टरों के साधनों और आवश्यकताओं की सभी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय विकास

परिषद् द्वारा स्वीकृत "पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रलेख में शिक्षा और संस्कृति के लिए 2,200 करोड़ रुपए की राशि का सुझाव दिया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा के कार्यक्रमों को दोबारा तैयार किया गया है तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा 2,200 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक परिशोधित योजना तैयार की गई है।

परीक्षा प्रणाली में सुधार कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये समिति का प्रतिवेदन

1162. **श्री पी० ए० सामिनाथन** :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा प्रणाली में किए जाने वाले सुधार लागू करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक पेश कर देगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो एस० नुरूल हसन) : (क) जी हां।

(ख) (1) प्रो० सतीश चन्द्र, कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(2) प्रो० रईस अहमद, प्रो० भौतिक विज्ञान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

(3) प्रो० एम० सान्तप्पा, प्रोफेसर, भौतिकी रसायन शास्त्र, मद्रास विश्वविद्यालय

(4) प्रो० एम० एम० धानी, कुलपति, कालीकट विश्वविद्यालय

(5) प्रो० आर० सी० महरोत्रा, प्रोफेसर, रसायन शास्त्र, राजस्थान विश्वविद्यालय

(6) प्रो० मूनिस रजा, प्रोफेसर, भूगोल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

(7) डा० ए० इडविन हारपार, जूनियर, शैक्षिक अनुसंधान व्यूरौ, इविंग क्रिस्चियन कालेज, इलाहाबाद।

(8) प्रो० एस० बी० रांगनेकर, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, पंजाब विश्वविद्यालय।

(ग) समिति ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है। "परीक्षा सुधार—एक कार्रवायी योजना" नामक पुस्तिका में इनकी रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है जो आयोग द्वारा हाल ही में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तिका की प्रतियां सभी विश्वविद्यालयों को भेजी जा रही हैं।

परीक्षा सुधार उपायों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालयों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने और इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए समिति की बैठक समय-समय पर होती रहेगी।

गेहूं की आवश्यकता पूरी करने के लिए अर्जेनटाइना को पेशकश

1163. श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जेनटाइना ने भारत की गेहूं की आवश्यकता पूरी करने की पेशकश की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश की यदि कोई शर्तें आदि हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत की गेहूं सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने के लिए अर्जेनटाइना की सरकार से कोई विशिष्ट पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार में बाघों (टाईगर) के लिए रक्षित क्षेत्र

1164. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में बिहार राज्य में बाघों (टाईगर) के लिए दो रक्षित क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं और इनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) बिहार का वन विभाग बिहार में बाघों (टाईगर) के दो रक्षित स्थलों का निर्माण करने पर विचार कर रहा है वे निम्नलिखित हैं :—

(1) गया जिले में भलुआ; और

(2) चम्पारण जिले में मदनपुर।

मदनपुर का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए बिहार सरकार को प्रस्तुत किया गया है और भलुआ का प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना है।

(ख) इन रक्षित स्थलों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई है।

नई दिल्ली पुनर्विकास परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें

1165. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 23 सदस्यीय नई दिल्ली पुनर्विकास परामर्शदात्री समिति ने सितम्बर, 1971 में दिये गए अपने प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की;

(ख) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

सितम्बर, 1972 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:—

(1) दिल्ली के महानगर केन्द्र (कनाट प्लेस और इसके आस पास क्षेत्र) को बृहत्त योजना में सिफारिश किए गए 4.00 अनुपात के बजाए 2.5 के फर्शी क्षेत्र के अनुपात से मुख्यता विकासित किया जाना है।

(2) कनाट सर्कस—कनाट प्लेस क्षेत्र में प्रस्तावित किसी भी भवन की ऊंचाई 48 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिएं। नगर केन्द्र के अन्य भागों में इमारतें 120 फुट की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए (नई दिल्ली नगरपालिका के प्लाट पर 200 फुट तक की अनुमति है, जो एक अपवाद है)।

(3) नगर-केन्द्र समूह में विकास का तरीका निम्नलिखित 3 तरीकों में से कोई भी एक हो सकता है:—

(क) व्यापक आधार पर क्षेत्र का विकास

(ख) एकीकृत आधार पर प्लाटों का विकास

(ग) प्लाटों का अलग-अलग विकास।

(4) कनाट प्लेस क्षेत्र का कम से कम 75% बाह्य यातायात उप-मार्गों द्वारा मोड़ा जाना चाहिए। नगर केन्द्र में वाहनों के आने-जाने का मुख्य रास्ता कनाट सर्कस रोड में से होगा।

(5) अन्तिम विकास होने तक नगर केन्द्र में लगभग 21,780 कारों के ठहराने के लिए स्थान की आवश्यकता है। इन सिफारिशों से वाहन ठहराने के सभी स्थानों को, चाहे वे पूलित हों, सड़क के दूर हों या प्लाटों के भीतर हों, नगरपालिका के अधीन लाना ही पड़ेगा।

आयातित गेहूं के मूल्य तथा गेहूं के वसूली मूल्य

1166. श्री हरि किशोर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयातित गेहूं के मूल्य प्रति क्विंटल 110 रुपये दुर्लभ मुद्रा में दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं के वसूली मूल्य देश में प्रति क्विंटल 76 रुपये रखने के क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जहां विदेशी ध्वज पोतों का इस्तेमाल किया जाता है वहां समुद्री भाड़ा सहित दुर्लभ मुद्रा में भुगतान लगभग 93.00 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है।

(ख) देशी गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य को विदेशों से आयातित गेहूं के मूल्य से नहीं जोड़ा जा सकता है। जहां आयातित गेहूं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में चल रहे मूल्यों द्वारा शासित होते है वहां देशी गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य कृषि मूल्य आयोग, जो कि उत्पादन लागत और अन्य संबंधित आर्थिक तत्वों को ध्यान में रखता है, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

पहलेजघाट-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में प्रगति

1167. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहलेजघाट-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नही है लेकिन राजसड़क है और जिसका निर्माण और रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का है। परन्तु यह बताया जाता है कि राज्य सरकार ने राज्य में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को पांचवी योजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं जिसमें पटना हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी सोनबरसा सड़क जो पहलेजघाट से होकर जायेगी को शामिल करने का प्रस्ताव है। पांचवी योजना में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी परियोजनाओं को अंतिम रूप देते समय इस प्रस्ताव पर अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा।

भूतपूर्व रियासतों के सदस्यों द्वारा यूरोप और अमरीका को निर्यात की गई कलाकृतियां

1168. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व रियासतों के सदस्यों द्वारा यूरोप और अमरीका को निर्यात की गई मूल्यवान कलाकृतियों की संख्या एवं किस्म के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) (क) और (ख) : ऐसा मूल्यांकन करना कठिन होगा। तथापि, भूतपूर्व देसी रियासतों के किसी भी सदस्य ने पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम 1947 के अन्तर्गत पुरावशेषों के निर्यात के लिए लाइसेंस की मंजूरी हेतु सरकार को कभी कोई आवेदन नहीं भेजा है।

दिल्ली में अस्पतालों में कर्मचारियों तथा रोगियों की संख्या

1169. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने अस्पताल हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक अस्पताल में, अस्पताल-वार कितने डाक्टर, नर्सें, चौथी श्रेणी के कर्मचारी तथा सफाई कर्मचारी हैं; और

(ग) गत दो वर्षों में, अस्पताल-वार, कितने अन्तरंग और कितने बाहरी रोगियों का उपचार किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (प्रो० श्रमिय कुमार किस्कू) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में 1-1-1973 को 100 और इस से अधिक पलंगों वाले अस्पतालों की संख्या 24 थी। एक विवरण जिसमें इन अस्पतालों के नाम दिये गये हैं संलग्न है। (परिशिष्ट—1) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—5241/73]

(ख) और (ग). अब तक एकत्र की गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (परिशिष्ट—2) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—5241/73]

शेष अस्पतालों के विषय में सूचना यथासमय भेज दी जायेगी।

दिल्ली में नेत्रहीन छात्रों के लिए आवास की व्यवस्था करना

1170. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कालेजों में अध्ययन कर रहे नेत्रहीन छात्रों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न कालेजों के नेत्रहीन छात्रों को आवास उपलब्ध करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री : (श्री डी० पी० यादव) (क) सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ नेत्रहीन विद्यार्थियों से आवास के बारे में उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) नेत्रहीन विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध कालेजों के छात्रावासों में रखा जाता है। कुछ स्वयं सेवी संगठन भी आवास के मामले में नेत्रहीन कालेज विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं।

'भूमिदास' प्रथा का विद्यमान होना

1171. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के कुछ भागों में 'भूमिदास' प्रथा अभी भी विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उन्मूलन के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार के पास प्राप्त सूचना के अनुसार देश के किसी भी भाग में इस प्रकार की प्रथा विद्यमान नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मई/जून, 1973 के दौरान डालडा के स्थान पर पानी भरे डालडा के सीलबन्द डिब्बों की दिल्ली में बिक्री

1172. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई/जून, 1973 में दिल्ली में उपभोक्ताओं को डालडा के सीलबन्द ऐसे डिब्बे बेचे गये थे जिनमें डालडा के स्थान पर पानी भरा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क). दिल्ली प्रशासन के अनुसार मई अथवा जून, 1973 में किसी ऐसे मामले की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Number of Doctors in the Country

1173. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the number of doctors in the country is on the increase at present; and

(b) the total number of youths who obtained degrees in medicine during the last three years ?

Deputy Minister of Health and Family Planning (Prof. A. K. Kisku) : (a) Yes.

(b) The total number of students who obtained degrees in medicine during 1969, 1970 and 1971 is as follows :

1969	.	9315
1970	.	9587
1971	.	9957.

Purpose for converting D.T.U. into a Corporation

1174. DR. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the purpose that lay behind the conversion of Delhi Transport Undertaking into a Corporation;

(b) whether even today the problem of transport in Delhi city continues to be acute; and

(c) if so, the benefits that have accrued to the people by this conversion ?

Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) to (c) . As the administrative and financial affairs of the City Transport Undertaking in Delhi were continuously deteriorating, there was demand from several quarters for the establishment of a statutory Corporation to run the transport services in the Capital. The setting up of a Road Transport Corporation was also recommended by some expert bodies which went into the working of the Delhi Transport Undertaking (*e.g.* Administrative Reforms Commission, Morarka Commission and Working Group on Metropolitan Services, on the ground that Corporations have greater autonomy in the management and oporation of commercial services, in the use of internal resources and in mobilising resources. The situation became serious by October, 1971, when there was an acute shortage of transport services, which led to law and order problems. It was, therefore, decided to set up a statutory Corporation under the Road Transport Corporations Act, 1950, to ensure the provision of an efficient transport service in the Capital.

Ever since its establishment in November, 1971 the Delhi Transport Corporation has been taking all possible steps to improve the services to meet the transport requirements of the citizen of Delhi. As a result, considerable improvement has been made in the services. However, due to the inadequacy of the fleet and other operational and administrative difficulties inherited from the Undertaking, it is possible that the frequency of bus services

on certain routes and during certain hours may not be adequate to meet the entire demand of the people served by those routes. By and large the service has considerably improved to the extent indicated below :

(1) More buses are being operated as compared to the number operated before the take over.

(2) The number of daily trips has been correspondingly increased.

(3) New areas have been provided with bus services.

(4) Additional buses have been provided on congested routes.

(5) The Corporation is operating 700 special trips for students between University/ Colleges and various localities in the City as against 408 in May, 1972, 515 in July, 1972 and 591 until recently. Steps have also been taken to increase Girls, Specials from 28 to 58. A reserve of 20 buses is also being kept to take care of the possible missing of trips, breakdowns, etc.

(6) Students have been provided the facility of monthly all-route pass at a Special Concession at the rate of Rs. 12.50 p.m.

New Warehouses constructed and Foodgrains Lying in Open

1175. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of places where new ware houses have been constructed or the old ones expanded with a view to save the foodgrains from being destroyed;

(b) whether there still exist certain places where foodgrains are lying without any shed or compound wall; and

(c) the names thereof and the quantity and value of foodgrains lying there ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) During the year 1972-73, the Food Corporation of India and the Central warehousing Corporation Constructed Capacity of 7.15 lakh tonnes and 2.43 lakh tonnes respectively in various parts of the country. These Corporations have plans to construct 10.7 lakh tonnes and 1.78 lakh tonnes capacity respectively during 1973-74.

(b) & (c). Some quantities of foodgrains at certain places in the country have been kept by F.C.I. under cover and plinth specially designed for the purpose without compound wall. Stocks kept in this manner are however, well preserved and well taken care of.

Difference in quantity of Wheat supplied Per Head in Villages and Municipal areas

1176. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the quantity of wheat supplied per head in the villages was not the same as supplied in the municipal areas after the wholesale trade take-over of wheat in the country and, if so, the reasons therefor; and

(b) whether in the country-side, labourers and villagers were supplied 1/10th of their requirements of foodgrains and if so, the arrangement made by Government for meeting the rest of their requirement ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b). Distribution of foodgrains is the responsibility of the State Governments. Available reports received from States so far indicate that there was no difference in the quantum of wheat supplied per head through fair price shops in the villages and municipal areas except in a few States after the whole-sale trade take-over of wheat in the country. The scale of supply of wheat to country-side labourers and villagers varies from State to State depending upon their requirements as in some places they receive wages in kind, stock position with Government, the availability of other grains in the markets etc.

Expenditure on Family Planning Programme

1177. Shri M. C. Daga : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) the total amount spent so far in the country on Family Planning and the amount ut of that spent on staff and other items separately;

(b) the total number of persons who have undergone operation so far and the number of males and females out of them separately; and

(c) the number of persons belonging to Muslim community who have undergone operations so far in this regard ?

Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) the total amount spent by Government on Family Planning since the First Five Year Plan upto 1972-73 was Rs. 320.67 crores (provisional). The amount spent on staff separately is not available.

(b) 13,960,686 sterilisation operations (provisional) have been done since the inception of the programme (1956) upto April, 1973. Sex-wise break-up of this figure is as follows :

Males	11,105,820
Females	2,854,866
Total	13,960,686

(c) The required information since inception of the Programme is not available. A statement showing the available information since 1968-69 is attached. **[Placed in Library. See No. LT 5 242/73]**

"Hindi Books Published in South Ignored"

1178. Shri M. C. Daga : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item published in the 'Hindustan Times' dated the 11th June, 1973 on page 5 under the caption'Hindi Books published in South ignored'; and

(b) whether the facts stated therein are correct and if so, the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) In so far as the news item concerns the Ministry of Education and Social Welfare, only one scheme, namely the scheme of purchase of Hindi books for free distribution in non-Hindi speaking areas, is being operated under which exclusively Hindi books are purchased. Under this scheme, preference is given, without neglecting the need for minimum quality,to books of writers of non-Hindi speaking areas, including those belonging to South India. During the years 1971-72 and 1972-73 Hindi books of the value of about Rs. 69,000.00 of South Indian writers/publishers were purchased under this scheme. Besides, a substantial number of copies are now invariably purchased under the scheme of Hindi books on which prizes to writers of non-Hindi speaking areas are awarded every year by this Ministry.

As regards Karnataka Mahila Hindi Seva Samiti, Bangalore (not Kannada Mahila Hindi Seva Samiti), 300 copies each of the two Hindi books submitted by the Samiti were purchased under this scheme during 1968-69 and 1969-70. The Samiti did not submit any books for purchase under this scheme during 1971-72 and 1972-73.

गजेन्द्र गडकर जांच समिति की रिपोर्ट पर क्षोभ

1179. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई गजेन्द्र गडकर जांच समिति की सिफारिशों के कारण वैज्ञानिकों में भारी क्षोभ व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के कार्यों की जांच के लिये नियुक्त गजेन्द्र गडकर जांच समिति की सिफारिशों पर वैज्ञानिकों में क्षोभ की कोई सूचना इस मंत्रालय अथवा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनशक्ति के अभाव के कारण नौवहन टन भार के लक्ष्य में बाधा

1180. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनशक्ति के अभाव के कारण 100 लाख जी० आर० टी० के नौवहन टनभार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उनके मंत्रालय के प्रयत्नों में बाधा पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को देश के जहाज बनाने वाले कारखानों को चलाने के लिये पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को तैयार करने की समस्या का समाधान करना होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इसमें कोई शक नहीं है कि समुद्री अधिकारियों की कुछ कमी है। परन्तु इस पर काबू पाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। अत: जन-शक्ति की कमी की नौवहन टनभार लक्ष्य जो पांचवीं योजना के लिये नियत किया जाये को प्राप्त करने में रुकावट डालने की संभावना नहीं है।

(ख) जी, हां।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में सड़कों का शामिल किया जाना

1181. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परविहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में कुल 4,800 किलोमीटर की लम्बाई वाली दस सड़कों को शामिल किया है; और

(ख) क्या राज्य और संघ राज्यक्षेत्र उपरोक्त व्यवस्था में कुल 32,000 किलोमीटर की लम्बाई की सड़क शामिल करना चाहते थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) वास्तव में 4,819 किलोमीटर की लम्बाई की ग्यारह सड़कें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल की गईं।

(ख) जी हां।

मन्दिरों का औरंगाबाद के समीप एक स्थान पर लाया जाना

1182. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दियों के ऐसे स्थानों पर स्थित दो मन्दिरों को औरंगाबाद के समीप एक स्थान पर लाये जाने की योजना पर विचार कर रही है, जो निर्माणाधीन एक परियोजना के पानी से डूब जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अधिकाधिक नदी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, क्या बहुत से अन्य अवसरों पर अकस्मात ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षित उन दो मन्दिरों में से, जो एक सेवता और दूसरा सौखेदा में स्थित हैं, और जिनका जायकवादी परियोजना के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप जलमग्न होने का डर है, सेवता स्थित एक मंदिर को राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा विघटित करके औरंगाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया है। सौखेदा स्थित दूसरे मंदिर को विघटित करके वर्षाकाल के पश्चात् औरंगाबाद में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। मंदिरों का पुन: निर्माण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

दिनांक 6 जुलाई, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में "व्हीट स्टाक्स डिक्लाइन, परचेज एफर्ट्स सैग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1183. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में "व्हीट स्टाक्स डिक्लाइन, परचेज एफर्ट्स सैग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस कठिनाई से निपटने के लिये सरकार के पास क्या ठोस उपाय हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने 'इण्डियन एक्सप्रैस' के दिनांक 6 जुलाई, 1973 के अंक में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये कई पग उठाये गये हैं। खरीददारीं सम्बन्धी प्रयत्न तेज कर दिय गये हैं। गेहूं की खरीद पर प्रोत्साहन बोनस देने की योजना 31 अगस्त, 1973 तक बढ़ा दी गई है। स्टाक की भरपाई करने के लिये गेहूं का आयात किया जा रहा है।

गुजरात राज्य में पत्तनों का सुधार और हजीरा में शिपयार्ड का निर्माण

1184. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के पत्तनों के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि वे हजीरा में एक बड़े शिपयार्ड के निर्माण के लिये केन्द्र पर जोर डालें;

(ग) यदि हां, तो क्या त्रिवेदी पैनल ने राज्य के पत्तनों में सुधार करने के लिये कई तरीके सुझाये हैं

(घ) क्या केन्द्र सरकार, समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार को सहायता देने के लिये सहमत हो गई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां, गुजरात सरकार ने अगस्त, 1972 में निम्नलिखित विषयों के अध्ययन के लिये श्री एच० एम० त्रिवेदी, संसद सदस्य, की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया :

(1) पत्तनों की विकास आवश्यकतायें; और

(2) पत्तन संगठन के प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करना।

(ख) पहली समिति ने अन्य बातों के साथ हजीरा (तापती) के मुहाने पर एक शिपयार्ड के स्थल की सिफारिश की है जो कि या तो केन्द्रीय सरकार की परियोजना हो अथवा केन्द्रीय और राज्य सरकार की एक संयुक्त परियोजना हो।

(ग) और (घ) : गुजरात सरकार ने, त्रिवेदी समितियों की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में पत्तनों के सुधार के लिये अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं किया है। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे पत्तनों के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शालि किये जाने वाले पत्तन विकास कार्यों के लिये राज्य सरकार ने कुछ प्रस्ताव किये हैं, जिन पर, छोटे पत्तनों के लिये पांचवीं योजना की योजना तैयार करते समय, विचार किया जायेगा। जहां तक तापती पर शिपयार्ड के स्थान के लिये प्रस्ताव का सम्बन्ध है, गुजरात सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थल भी शामिल हैं का मूल्यांकन करने के लिये एक तकनीकी आर्थिक दल का गठन किया गया है।

सूख के कारण, गुजरात, मैसूर, और आन्ध्र प्रदेश में मूंगफली के उत्पादन में कमी

1185. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में सूखे के कारण मूंगफली की फसल को गंभीर क्षति पहुंची है, जिसके परिणामस्वरूप देश के कुल मूंगफली के उत्पादन में 25 प्रतिशत कमी हो गई है :

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 और वर्ष 1972-73 में अनुमानत : कितनी फसल हुई और वर्ष 1971-72 की तुलना में यह कितनी कम थी :

(ग) इस वर्ष गुजरात में मूंगफली का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(च) क्या प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों की नई प्रथा लागू करके उत्पादन की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने कुछ उपाय किये हैं और यदि हां तो प्रस्तावित उपायों की रूपरेखा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) यह सच है कि गुजरात, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में सूखे के कारण 1972-73 में मूंगफली की फसल को बड़ी क्षति पहुंची है जिसके परिणामस्वरूप देश में मूंगफली के उत्पादन में निम्न प्रकार कमी हुई है :—

उत्पादन हजार मीटरी टनों में		1971-72 की अपेक्षा 1972-73 में कमी	
1971-72	1972-73	कुल कमी हजार मीटरी टनों में	प्रतिशतता
6180.5	3923.8	2256.7	36.5

(ग) 1972-73 में गुजरात में मूंगफली का कुल उत्पादन 349.5 हजार मीटरी टन था।

(घ) देश में मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अधिकतम मूंगफली उत्पादन सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 1973–74 में जारी रखा जा रहा है जिसका लक्ष्य 26.33 लाख हैक्टार क्षेत्र में खेती करना है जिसमें से गुजरात में 5.60 लाख हैक्टार क्षेत्र में खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की मुख्य बातें और दिये गये प्रोत्साहन निम्न लिखित हैं:—

(i) चुने हुये क्षेत्रों में पेकेज पद्धति का अपनाना

(ii) समस्या मूलक प्रदर्शनों की व्यवस्था करना जिसके लिये आदानों की लागत को पूरा करने हेतु प्रति हैक्टार 250/– रु० तक की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(iii) अभियान के रूप में पौद-रक्षण उपाय अपनाने के लिये भारत सरकार द्वारा पौद रक्षण रसायनों तथा हस्तचालित उपकरणों की लागत पर 25 प्रतिशत अर्थ सहायता दी जाती है।

(iv) योजना की तैयारी व क्रियान्विति के लिये तकनीकी सलाह देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को विशेष कर्मचारी दिये जाते हैं और उनका खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

"बटर आयल" का आयात करने के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव

1186. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री प्रभु दास पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने "बटर आयल" आयात करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस में "बटर आयल" से घी बनाने के परीक्षण के प्रयास में सफलता मिली है, जिसने हाल ही में इसे बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में खरीदा है;

(ग) यदि राज्य सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या उससे मूंगफली के तेल के मूल्य में गिरावट आयेगी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस बात पर कहां तक विचार किया है और अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। गुजरात के खाद्य मंत्री ने एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव "बटर आयल" से बनाये गये घी के आयात के लिये है।

(ख) हमें रूस द्वारा किये गये परीक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें केवल यही मालूम है कि रूस ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) के देशों से 2 लाख मीटरी टन मक्खन (न कि बटर आयल) खरीदा है।

(ग) और (घ) इन देशों से घी आयात करने का यह प्रस्ताव देश में विद्यमान बनस्पति घी और घी की कमी पूरी करने के लिये किया गया है। इसका मूंगफली के तेल के मूल्य से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसे आयात करने का प्रश्न अब भी सरकार के विचाराधीन है। भारतीय डेरी निगम को मूल स्थान में ही घी तैयार करने की संभावना की खोज करने तथा उसे भारत में लाने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय प्रस्ताव की व्यावहारिकता और वर्तमान मूल्यों तथा उपलब्ध विदेशी मुद्रा की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा।

"वन मिलियन टाउलर्स डाई ड्यू टू मैलन्युट्रीशन" समाचार

1187. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

डा० हरिप्रसाद शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1973 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "वन मिलियन टाउलर्स डाई एवरी ईयर ड्यू टू मैलन्यूट्रीशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसकी रोकथाम के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शिशुओं के पौषणिक स्तर को सुधारने के लिये सरकार निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है :

(1) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के शिशुओं के लिये नगरीय गन्दी बस्तियों तथा आदिवासी क्षेत्रों में विशेष पौषणिक कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

(2) स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा लोहे और फालिक एसिड युक्त टिकियों के वितरण के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं की पौषणिक रक्तक्षीणता से रोकथाम के लिये कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(3) विटामिन 'ए' की कमी के कारण ठीक न होने वाले अन्धेपन की रोकथाम के लिये 1–5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को उन क्षेत्रों में जहां विटामिन "ए" की कमी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, 6 महीनों में एक बार विटामिन "ए" की खुराकें खाने को दी जातीं हैं।

(4) शिशुओं के स्वास्थ्य के लिये रोगहर, निरोधक और स्वास्थवर्धक सेवायें प्रदान करना।

(5) राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से चेचक, मलेरिया, यक्षमा जैसे संचारी रोगों का नियंत्रण।

पांचवीं योजना अवधि में इन उपायों को और तेज किया जा रहा है।

"यूथ अगेन्स्ट फैमीन प्रोग्राम" के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित टिप्पणी

1188. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यूथ अगेन्स्ट फैमीन प्रोग्राम" की असफलता के बारे में कतिपय समाचारपत्रों में प्रकाशित टिप्पणियों की ओर समाचार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) "अकाल बनाम तरुण" के बारे में समाचार-पत्रों से प्रकाशित टिप्पणियों के पक्ष-विपक्ष दोनों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) सरकार का यह मत है कि प्रायः जिस उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, उसको अधिकांश रूप में कार्यान्वित कर लिया गया है, यद्यपि कुछ स्थानों में बेहतर योजना से कहीं-अच्छे परिणाम हो सकते थे।

क्योंझर, उड़ीसा में भूख से मृत्यु

1189. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में भूख से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उड़ीसा सरकार जिसे यह मामला जांच करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिये भेजा गया था, ने यह सूचित किया है कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि भुखमरी के कारण कोई भी मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नेत्रहीन तथा विकलांग शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी तथा अर्धसरकारी संगठनों में नौकारी देने के बारे नीति

1190. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने 1971-72 और 1972-73 के गत वित्तीय वर्षों में नेत्रहीन तथा विकलांग शिक्षित व्यक्तियों, मुख्यतः युवकों, को सरकारी और अर्धसरकारी संगठनों में नौकरी देने की भारत सरकार की घोषित नीति को क्रियान्वित किया है ;

(ख) (1) नेत्रहीन और (2) विकलांग शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार की क्या प्रतिशतता निर्धारित की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में दिये गये रोजगार के आंकड़े क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारत सरकार की नीति विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने के लिये अपनी पूरी चेष्टा करने की है। यह विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालयों, साधारण रोजगार कार्यालयों, विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट नियोक्ताओं को पुरुस्कार देने आदि के द्वारा किया जाता है।

(ख) कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । अलबत्ता, वर्ष 1971 तथा 31 दिसम्बर 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालयों ने 2,226 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया है।

विदेशीयों का नसबन्दी आपरेशन

1191. **श्री बी० आर० शुक्ल : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1972 में बहराईच के जिलाधीश से शिकायत की गई थी कि विदेशीयों का नसबन्दी आपरेशन कराया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी; और

(ग) संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) संबंधित लोगों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

मेडिकल कालेज, लखनऊ का सरकारीकरण

1192. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेडिकल कालेज, लखनऊ को सरकारी अधिकार में लेने और इसे आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, नई दिल्ली की तरह स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (प्रो० अमिय कुमार किस्कू) : जी नहीं।

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में नई आवास-नीतियां

1193. **श्री सरजू पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवासनीतियों को नया रूप देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) राज्यों में पहली योजनाओं को कहां तक कार्य रूप दिया गया था ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) नीतियों का पुनरीक्षण साधनों की उपलब्धता, विभिन्न क्षेत्रों की संबंधित प्राथमिकताओं तथा पिछले अनुभव के आधार पर समय-समय पर किया जाता है। साधनों पर विभिन्न प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुये, आवास तथा नगर विकास के लिये एक राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है तथा इस विषय पर उनके विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित होंगे जब उस को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ग) राज्य सरकारों आदि से अब तक प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं (ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना को छोड़कर) के अन्तर्गत हुई कुल वास्तविक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है :—

वास्तविक प्रगति

30 अप्रैल, 1973 तक बनाये गये मकानों की संख्या :	5,40,000 मकान
30 अप्रैल, 1973 तक अर्जित तथा विकसित की गई भूमि का क्षेत्रफल :	26400 एकड़ भूमि अर्जित की गई तथा 14500 एकड़ भूमि विकसित की गई

वित्तीय प्रगति

लो गई वित्तीय सहायता/किया गया व्यय 517.42 करोड़ रुपये।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना का सम्बन्ध है, लगभग 16.12 करोड़ रुपये की लागत पर 6,52,828 आवास-स्थल देने के लिये 13 राज्यों की परियोजनायें 31 मई, 1973 तक अनुमोदित की गई हैं, तथा अब तक 4.39 करोड़ रुपये की निधियां दी जा चुकी हैं। राज्य सरकारों द्वारा, भूमिहीन मजदूरों को आबंटित करने के लिये 65,918 आवास-स्थल विकसित किये जाने की सूचना मिली है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास के लिये निर्धारित लक्ष्य

1194. **श्री सरजू पांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) ग्रामीण आवास योजना को कार्य रूप देने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) पांचवीं योजना अवधि में आवास का विस्तार करने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के लिए कुल 5.68 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। इसके अतिरिक्त, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह योजना केवल अक्तूबर, 1971 में ही आरम्भ की गई थी।

(ख) 1957 में जबसे ग्राम आवास परियोजना स्कीम आरम्भ की गई, योजना के अधीन लगभग 83,000 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है जिसमें से लगभग 52,000 एकक पूर्ण हो चुके हैं तथा इस पर 12.09 करोड़ रुपये का खर्चा हो चुका है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना का सम्बन्ध है, 16.12 करोड़ रुपये की लागत पर 6,52,828 आवास स्थल देने के लिए 13 राज्यों की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा अब तक 4.39 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन मजदूरों को आवंटन करने के लिए 65, 918 आवास-स्थलों के विकसित किए जाने की सूचना मिली है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय आवास नीति

1195. **श्री सरजू पांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की आवास समस्या को प्रभावी तथा समेकित रूप में हल करने के लिए एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति कब तक बनाये जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) देश की आवासीय समस्या को प्रभावकारी तथा समेकित ढंग से हल करने के लिए एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाने का विषय पेचीदा है तथा यह कई कारणों पर निर्भर अर्थात् समग्र रूप से आर्थिक विकास के लिए साधनों की उपलब्धता, आर्थिक स्तर, जनता को बचत करने की क्षमता, आदि पर निर्भर करता है। सरकार इन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार कर रही है। आशा है कि जब पांचवीं योजना के प्रलेख को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, तो ऐसी नीति के अवयव उस में परिलक्षित होंगे ।

तकनीकी शिक्षा का नवीकरण और विकास

1196. **श्री वी० मायावन :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने शिक्षा योजना के ढांचे के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा के नवीकरण तथा विकास को कार्यरूप देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना आयोग के अनुमानानुसार तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम को कार्यरूप देने पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां। योजना आयोग द्वारा नियुक्त कृतिक बल ने पांचवीं योजना के दौरान तकनीकी शिक्षा के विकास तथा पुनर्गठन के कार्यक्रम की सिफारिश की है।

(ख) प्रस्तावों में तकनीकी शिक्षा की कोटि और स्तरों में चौमुखी सुधार करने की स्पष्ट परिकल्पना की गयी है। विशिष्ट कार्यक्रमों में ये बातें सम्मिलित हैं: सभी तकनीकी संस्थाओं का समेकन तथा विकास ; प्रयोगशालाओं और कर्मशालाओं का आधुनिकीकरण, पोलिटैकनिक डिप्लोमाँ पाठ्यक्रमों का विविधकरण और पुनर्गठन करना; सांतराल पाठ्यक्रमों का विकास ; विस्तार सेवा कार्यक्रम और आगे की उच्च-शिक्षा; तकनीकी संस्थाओं में स्टाफ संरचनाओं का पुनरीक्षण करना, संकाय तथा पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम ; उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना आदि।

(ग) कृतिक बल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित परिव्यय योजना आयोग के विचाराधीन है ।

Tractors Lying Unutilised due to Shortage of Oil

1197. **Shri Dhan Shah Pradhan**

Shri Dharmarao Sharanappa Afzalpurkar :

Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) Whether tractors are lying unutilised in some States due to the shortage of oil; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) There are no reports of tractors lying unutilised, at present in States due to shortage of oil. Reports however regarding temporary shortage of oil were received from Punjab and Rajasthan during April-May, 1973 and immediate arrangements were made for adequate supplies to these States. Thereafter no further complaints have been received by the Government of India.

देश में बाल मृत्यु दर तथा बाल पोषाहार पर व्यय

1198. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की जनसंख्या में पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों की प्रतिशतता क्या है तथा इस आयुवर्ग में मरने वालों की प्रतिशतता क्या है ?

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बाल-पोषाहर कार्यक्रम पर प्रत्येक वर्ष कितनी कितनी राशि व्यय की गई और इस अवधि के दौरान बाल मृत्यु दर में कितनी वृद्धि/कमी हुई; और

(ग) वर्ष 1973-74 के लिए विदेशी सहायता कार्यक्रमों सहित बाल-पोषाहार का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) देश की जनसंख्या में 0–4 वर्ष के आयु वर्ग का प्रतिशत 14.36 है (1971 की जनगणना) तथा 0–4 वर्ष के आयु वर्ग में कुल मरने वालों का प्रतिशत 52.5 है (एस०आर०एस०—1969)।

0–5 वर्ष के आयु वर्ग की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) परिवार नियोजन विभाग तथा समाज कल्याण विभाग ने शिशु पोषण कार्यक्रम पर पिछले तीन वर्षों में (चूंकि यह कार्यक्रम 1970-71 में ही आरंभ किया गया था) निम्नलिखित राशि खर्च की गई है :—

	1970-71	1971-72	1972-73
		(लाख रुपये)	
I. परिवार नियोजन विभाग			
1. माताओं और शिशुओं की पौषणिक रक्तक्षीणता से रोकथाम .	10.71	37.60	48.00
2. शिशुओं में विटामिन 'ए' की कमी से होने वाले अन्धेपन की रोकथाम	8.00	8.00	12.00
II. समाज कल्याण विभाग			
1. राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासन के माध्यम से विशेष पौषणिक कार्यक्रम . . .	128.21	870.73	1721.57
2. बालवाड़ियों/डे केयर सेन्टर्स के माध्यम से पौषणिक कार्यक्रम .	6.07	77.37	120.51

इस अवधि में शिशुओं की मृत्यु दर के रुख के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) 1973-74 के लिए शिशु पोषण कार्यक्रम

I. परिवार नियोजन विभाग

योजना	लक्ष्य	
	वित्तीय	वास्तविक
	(लाख रुपये)	
1. माताओं और शिशुओं की पौषणिक रक्तक्षीणता से रोकथाम	29.00	66.00
2. शिशुओं में विटामिन 'ए' की कमी से होने वाले अन्धेपन की रोकथाम	12.00	85.00

(इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई विदेशी सहायता नहीं ली गई)

II. समाज कल्याण विभाग			
1.	राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से विशेष पौषणिक कार्यक्रम	2000.00	40.57
2.	बालवाड़ियों/डे केयर केन्द्रों के माध्यम से पौषणिक कार्यक्रम . .	150.00	2.00

(आशा है कि सी०एस०एम०, बलगर गेहूं, सलाद तेल, दूध पाऊडर आदि जैसे खाद्य पदार्थों के रूप में 'केयर' से 5.44 लाख रुपये की सहायता प्राप्त होगी)।

राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में खाद्यान्न के थोक व्यापार के सरकारीकरण को सफल बनाने के लिये कार्यवाही

1199. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में खाद्यान्न के थोक व्यापार के सरकारीकरण को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए हाल ही में गेहूं के मूल्यों में परिवर्तन किया गया है, यदि हां, तो ये नये मूल्य क्या हैं और ऐसे कदम उठाने के प्रत्येक राज्य में क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) गेहूं के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । उठाए गए पगों का सभी तीन राज्यों में अधिप्राप्ति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

विवरण

हरियाणा :—हरियाणा गेहूं व्यापार लाइसेंसिंग तथा मूल्य नियंत्रण आदेश, 1973 के लागू होने पर, हरियाणा में 5 अप्रैल, 1973 को गेहूं का थोक व्यापार हाथ में लिया गया था। हरियाणा में अधिप्राप्ति संबंधी कार्य अंशतः राज्य सरकार द्वारा अपने सिविल सप्लाई विभाग के माध्यम से, अंशतः हरियाणा विपणन संघ के माध्यम से और शेष भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया जा रहा है । अधिप्राप्ति केन्द्रों की संख्या जो पिछले वर्ष 99 थी, अब बढ़ाकर 126 कर दी गई है ।

पंजाब:—पंजाब गेहूं व्यापारी लाइसेंसिंग तथा मूल्य नियंत्रण आदेश, 1973 के लागू होने पर 3 अप्रैल, 1973 को गेहूं का थोक व्यापार हाथ में लिया गया था । 404 मंडियों में, राज्य खाद्य तथा सप्लाई विभाग, भारतीय खाद्य निगम और पंजाब सहकारी विपणन संघ के माध्यम से अधिप्राप्ति की जा रही है।

राजस्थान :—राजस्थान गेहूं (व्यापार विनियमन) आदेश, 1973 के लागू होने पर, गेहूं का थोक व्यापार हाथ में लिया गया था । भारतीय खाद्य निगम और राजस्थान राज्य भांडागार निगम द्वारा अधिप्राप्ति की जा रही है।

गेहूं का थोक व्यापार लेने के प्रयोजन हेतु जारी किए गये विभिन्न सांविधिक आदेशों को राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की सरकारों द्वारा सख्ती से लागू किया जा रहा है। खुदरा व्यापारियों के स्टाक रखने पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं। हरियाणा और राजस्थान राज्यों में उत्पादकों के लिए स्टाक की सीमा और गेहूं का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया गया है । राजस्थान में अधिशेष क्षेत्रों के उत्पादक जिन अधिकतम मूल्यों पर उपभोक्ताओं और व्यापारियों को गेहूं बेचेंगे उन्हें भी अधिप्राप्ति मूल्यों के स्तर पर, निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अन्तर

क्षेत्र गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश—1973 के अधीन, हरियाणा और राजस्थान अलग-अलग क्षेत्र हैं जबकि पंजाब और चंडीगढ़ को मिलाकर एक अलग गेहूं क्षेत्र है। अधिक-से-अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए गेहूं उत्पादक राज्यों, जिनमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं, के लिए एक प्रोत्साहन बोनस देने की योजना शुरू की गई है। ताकि उन किसानों को जोकि अधिप्राप्ति में सहायता करते हैं, कृषि आदानों में राज सहायता सुलभ हो सके।

Spurious Drug Manufacturing Factories

1200. Shri R. R. Sharma : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have received information in regard to spurious drug manufacturing factories; and

(b) if so, the number of persons punished in this connection during the last three years?

Deputy Minister of Health and Family Planning (Prof. A. K. Kisku) : (a) and (b) : The information is being collected from the State Drug Control Organisations and will be laid on the Table of the Sabha.

बिहार में हरिजन महिलाओं पर किये गये अत्याचारों के बारे में

Re. Atrocities Committed on Harijan Women in Bihar

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We had tabled adjournment motions regarding atrocities on harijan women......

Mr. Speaker : Adjournment motions comes up after calling attention motions.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to a matter of urgent public importance

नायलोन तथा कृत्रिम सूत की कीमतों में शत प्रतिशत वृद्धि का समाचार

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I call the attention of the Minister of Commerce to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported hundred per cent increase in the price of nylon and artificial yarn causing widespread distress among weavers in various parts of the country."

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : देश में मानव निर्मित रेशे के उत्पादन के अन्तर्गत अनेक प्रकार का सैल्यूलोस तथा गैर-सैल्यूलोस रेशा आता है। 1972 में विस्कोस स्टेपल रेशे का उत्पादन 70,337 मे० टन, विस्कोस फिलामेंट धागे का उत्पादन 39,900 मे० टन, नायलन फिलामेंट धागे का उत्पादन 11,812 मे० टन, एसीटेट धागे का उत्पादन 1,988 में० टन, पोलिस्टर रेशे का 6,604 मे० टन तथा पोलिस्टर फिलामेंट धागे का उत्पादन 682 में० टन हुआ था।

अत: उत्पादन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि जहां तक बुनकरों का संबंध है, उनमें साधारणतया सब से अधिक प्रयोग में आने वाले धागे की किस्में इस क्रम में हैं : विस्कोस से कता धागा (विस्कोस स्टेपल रेशे से कता हुआ), विस्कोस फिलामेंट धागा तथा नायलान फिलामेंट धागा। अन्य प्रकार के धागों का प्रयोग केवल बड़े स्तर के संगठित एककों द्वारा किया जाता है।

2. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में एक लाख से कुछ अधिक शक्ति-चालित करघे हैं, जिनमें से 66,000 गुजरात तथा महाराष्ट्र के राज्यों में लगे हुए हैं। परन्तु विकेन्द्रित क्षेत्र में अधिकांश करघों में विस्कोस से कते धागे अथवा विस्कोस फिलामेंट धागे का प्रयोग होता है। यद्यपि समाचार पत्रों तथा अन्य स्थानों पर काफी चर्चा रही है, परन्तु यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इन शक्ति-चालित करघों में केवल 10 प्रतिशत खपत नायलन फिलामेंट धागे की होती है। नायलन फिलामेंट धागे की अधिकांश खपत संगठित बुनाई एककों तथा वार्प निटिंग मशीनों तथा हौजरी एककों में होती है।

3. अब मैं धागे की इन सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली तीन किस्मों की कीमतों तथा वितरण के विषय में स्थिति का संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

प्रथम

विस्कोस के कते हुए धागे की कीमतें दिसम्बर 1969 से कत्तिनों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर विनियमित की जाती हैं। दिसम्बर 1969 में वे कत्तिन जुलाई 1969 की कीमतों पर धागा सप्लाई करने के लिए सहमत हो गए थे। परन्तु फरवरी 1972 में बुनकरों तथा कत्तिनों के बीच एक करार हुआ था जो प्रत्येक राज्य की 50 प्रतिशत आवश्यकताओं के विषय में था और उसमें वे अधिकतम कीमतें निश्चित की गई थीं जिन पर कत्तिन धागा सप्लाई करेंगे। मई 1972 में इस करार में आगे संशोधन किया गया जिससे कि यह करार विस्कोस के कते हुए धागे के समूचे उत्पादन पर लागू हो गया और इसमें लगभग 80 पैसे प्रति कि० ग्राम की कीमत वृद्धि की व्यवस्था थी। मई 1972 के पश्चात् इस किस्म के धागे की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस धागे का वितरण राज्य सरकारों के उद्योग निदेशकों के माध्यम से किया जाता है।

द्वितीय

विस्कोस फिलामेंट धागे के संबंध में, जुलाई 1969 से कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच एक स्वैच्छिक करार है जिससे उसकी कीमतों तथा वितरण का विनियमन होता है। इस करार के अनुसार कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत भाग प्रतिपूर्ति के रूप में रेयन वस्त्रों के निर्यातकों को देने के लिए रखा गया है, 60.5 प्रतिशत भाग वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहता है और शेष 29.5 प्रतिशत भाग को खुले बाजार में बेचने की अनुमति है। इस स्वैच्छिक करार के अन्तर्गत निर्यातकों के लिए 11.35 रु० प्रति कि० ग्राम तथा वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए 14.35 रु० प्रति कि० ग्रा० कीमतें निश्चित की गई हैं। खुले बाजार में होने वाली बिक्री के विषय में कीमतें बढ़ी हैं और वे मार्च, 1973 में 20.81 रु० प्रति कि० ग्रा० से बढ़कर जून, 1973 में 33.61 रु० प्रति कि० ग्रा० हो गई। कीमतें बढ़ने का आधार काफी हद तक इन कारणों से संबद्ध है : बिजली की कटौती के फलस्वरूप उत्पादन में गिरावट, चार छोटे एककों को उत्पादन शुल्क में जो रियायत प्राप्त थी उसका समाप्त किया जाना और एक एकक में तालाबंदी के कारण माल की सप्लाई में और भी कमी हो जाना। एक एकक ने स्वैच्छिक करार के अन्तर्गत अपने बचन का पालन नहीं किया। उन्हें दृढ़ता से बता दिया गया है कि वे अन्य कत्तिनों के समान उस करार का पालन करें, अन्यथा सरकार समुचित कार्यवाही करेगी। रेयन वस्त्रों के निर्यातों में वृद्धि से भी स्वदेशी प्राप्यता अपेक्षाकृत कम हो गई है जिससे कि कीमतों पर और भी प्रभाव पड़ा है।

17 LSS/73—10

तृतीय

इसी प्रकार नायलन धागे की कीमतों तथा वितरण का विनियमन भी कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच एक करार के अनुसार, जोकि 1-7-1970 से लागू है, स्वैच्छिक आधार पर होता है। करार के अन्तर्गत संपूर्ण उत्पादन के वितरण को व्यापारियों के माध्यम से उपलब्ध कराना होता है। जिन कीमतों पर सहमति हुई थी उनमें परस्पर करार द्वारा संशोधन किया जा सकता है और ऐसा एक संशोधन अप्रैल, 1972 में किया गया था। ये कीमतें फरवरी, 1973 तक बनाये रखी गई। तब से, कैप्रोलेक्टम की विश्वव्यापी कमी के कारण धागे के उत्पादन में भारी गिरावट आई जो मार्च, 1973 में लगभग 1200 मे० टन प्रतिमास से गिरकर अप्रैल, 1973 में लगभग 900 मे० टन और मई, 1973 में 800 मे० टन रह गया। चालू वर्ष के बजट द्वारा लागू किए गए कर संबंधी परिवर्तनों से भी कीमतों पर कुछ प्रभाव पड़ा था। कीमतों की एक ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति में सूत व्यापारियों के व्यवहार का भी हाथ था जिन्होंने कि इस वर्ष मार्च में धागा नियंत्रण आदेश के लागू किये जाने के बाद अपने व्यापारिक/सट्टे संबंधी कार्य नायलन धागे के संबंध में शुरू कर दिए।

4. अतः कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच स्वैच्छिक करार कुल मिलाकर फरवरी, 1973 तक सन्तोषजनक रूप से चलते रहे। चूंकि विकेन्द्रित बुनाई क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी हो रही थीं अतः इन करारों के संबंध में हस्तक्षेप करने का सरकार के पास कोई कारण नहीं था। सरकार बाद की स्थितियों के संबंध में पूर्णतः जागरूक रही है और उसने अनेक उपचारात्मक कदम उठाये हैं जैसे कि--

(1) राज्य व्यापार निगम ने पहले ही 9200 मे० टन कैप्रोलेक्टम खरीद लिया है। इस खरीद का एक भाग पहले ही पहुंच चुका है और शेष मार्गस्थ है। आशा है कि इससे उद्योग की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

(2) कैप्रोलेक्टम की विश्वव्यापी कमी है और गत कुछ महीनों में कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। इस उद्देश्य से कि अधिकतम खरीदारियां की जाएं, कैप्रोलेक्टम के सभी संभव स्रोतों का पता लगाने और स्थल पर ही खरीदारियां करने के लिए खरीदारी दल भेजे गए हैं और भेजे जा रहे हैं।

(3) राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाने वाली सीधी खरीदारियों के अलावा, कत्तिनों को दिये जाने वाले प्राधिकार पत्रों के माध्यम से उन्हें सीधे खरीदारियां करने की भी अनुमति दी जाती है।

(4) आशा है कि कैप्रोलेक्टम का स्वदेशी उत्पादन गुजरात फर्टीलाइजर्स काम्पलेक्स से 1974 के आरम्भ में शुरू हो जाएगा। इससे कताई उद्योग के लिए कच्ची सामग्री की प्राप्यता में भारी वृद्धि होगी।

(5) दुर्भाग्यवश, कैप्रोलेक्टम की कमी के साथ-साथ नायलन धागे की भी कमी चल रही है। फिर भी, राज्य व्यापार निगम ने 400 मे० टन से भी अधिक नायलन धागा पहले ही खरीद लिया है। और नायलन धागे का पता लगाने और उसकी खरीद के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(6) विस्कोस फिलामेंट धागे के मामले में उपलब्ध पूर्तियों को बनाए रखने और देश में बुनकरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से निर्यातों पर रोक लगा दी गई है।

(7) राज्यों में बिजली की कटौनियों को हटा दिये जाने से आशा है कि सभी किस्मों के कृत्रिम धागे का उत्पादन बढ़ जाएगा और इससे कीमतों में गिरावट होना शुरू हो भी गया है।

5. मुझे पता है कि धागे, विशेषकर नायलन धागे की उपलब्ध पूर्तियों के वितरण के संबंध में शिकायतें की गई हैं। हम उत्पादन बढ़ाने और प्राप्यता स्थिति सुधारने के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं, और उसके साथ-साथ मेरा इरादा निम्न प्रकार के कुछ और उपाय करने का है:—

(1) धागे की कीमतों को उत्पादन की लागतों के साथ संबद्ध करना पड़ेगा और यदि कुछ कत्तिनों की प्रवृत्ति अनुचित लाभ उठाने की है तो इसे उपयुक्त स्तरों तक कम करना पड़ेगा।

(2) वितरण के वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत कुछ बिचोलिये पूर्णरूपेण राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और सट्टेबाजी के कामों में लगे हुए हैं। इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा।

(3) एक उपयुक्त विवरण व्यवस्था बनायी जायेगी ताकि वास्तविक प्रयोक्ताओं, विशेषतया विकेन्द्रित क्षेत्र में बुनकरों को उचित कीमतों पर धागा उपलब्ध हो सके। उपर्युक्त उपायों के क्रियान्वयन में सरकार उद्योग के सभी वर्गों, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करती रहेगी।

6. मैं आशा करता हूं कि उद्योग तथा व्यापार के सभी वर्ग बुनकरों तथा उपभोक्ताओं के हितों में स्वयं भी पूरी जिम्मेवारी से काम करेंगे, जिसके न होने पर, मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार कड़ी कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं करेगी।

Shri Madhu Limaye : The production of artificial yarn in our country has been dominated by four or five big capitalists. There is no reduction in the prices in this industry due to competition.

Nylon yarn is used in the weaving industries at Surat and Amritsar. The weavers of Salem have grievances about the price and distribution of artificial yarn. In addition to cotton yarn, artificial yarn is also used in Bihar and Utter Pradesh. Lacs of weavers are depending on artificial yarn for their livlihood.

The Textile Commissioner has failed to provide relief to the small weavers. The present Textile Commissioner should be removed immediately. There had been 300 percent increase in the prices of nylon yarn.

Five big industrialists of nylon are earning Rs. one to two lacs per day by way of blackmarketing. The tax agencies of the Government should enquire into all such malpractices. Five nylon spinners have earned profit of Rs. five crores and also equal amount in the blackmarketing.

The export of yarn should be stopped and the weavers should be encouraged to manufa cture cloth. The handloom fibre instead of cotton yarn should be exported.

The prices should be linked with the cost of production. The prices should be fixed after consulting small weavers and distribution should be made through the authorised cooperatives of weavers.

Thousand of weavers have been rendered jobless for want of yarn in Amritsar and Surat. Profiteering at the time of fixing the rates should be stopped and prices should be linked with the cost of production. Distribution should be made through the organisations of small weavers.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मैं अपने मूल विवरण में दे चुका हूं। माननीय सदस्य ने जो कर लगाने का सुझाव दिया है उसे वित्त मंत्रालय की सूचना में लाया जायेगा । टैरिफ आयोग की सिफारिशों के बारे में मैं सदन में पहले ही बता चुका हूं। टैरिफ आयोग ने अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए मूल्यों का सुझाव दिया था। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1970 में प्रस्तुत कर दिया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्मरण रहे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : उनका तो उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है । 20 डेनियर का मूल्य वहां पर 30 रु० किलो था ।

जुलाई में उसके मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई । लगभग शत प्रतिशत वृद्धि हुई है । प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित किये जाने की बहुत अधिक चर्चा की गई थी, वह अब उपलब्ध है । प्रशुल्क आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों को मार्च, 73 तक बनाये रखा गया था । तत्पश्चात् मूल्य में वृद्धि विश्वव्यापी है । प्रशुल्क आयोग ने केपरोलकटम का मूल्य 1970 में 6,800 रु० प्रति टन आंका था जोकि फरवरी, 1973 में इसका मूल्य 9,000 रु० हो गया । जबकि भारत के बाजारों में वही मूल्य बना रहा ।

इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसका मूल्य 12,000 रु० से 13,000 रु० प्रति टन है । मार्च से जून के मध्य मूल्य बढ़ने का यह भी एक कारण था ।

सूती धागे की योजना आरम्भ होने के पश्चात् कुछ व्यापारियों ने नाइलोन धागे को अवैध रूप से जमा करके भारी लाभ कमाये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहें ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अधिक मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध हम कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : You have asked the Hon. Minister to be brief. I have asked specific questions and want that he should reply to all of them.

अध्यक्ष महोदय : वह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : एक विशेष फर्म के विरुद्ध तो कार्यवाही की भी जा चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने समिति में निर्णय दिया था कि ध्यानाकर्षण पूछने वाले प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए और हमें इस ध्यानाकर्षण को 45 मिनट में समाप्त करना था । हमें निर्धारित समय सीमा का पालन करना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने मूल्यों और वितरण के बारे में कुछ कहा है ।

मुझे इस मामले में राष्ट्रपति के कल के लखनऊ में दिये गये भाषण को पढ़कर खुशी हुई है । उन्होंने इस बारे में गहरा असन्तोष व्यक्त किया था ।

आज नाइलोन और कृत्रिम रेशम मध्य वर्गीय लोगों के उपयोग में भी आते हैं। क्या सरकार नाइलोन और कृत्रिम रेशम उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेगी ?

क्या सभी उत्पाद शुल्क स्रोत पर लगाये जायेंगे। क्या मंत्री महोदय को 21 जुलाई, 1973 के इकानमिक टाइम्स में बड़े अधिकारियों पर सरकारी नीति को विफल करने के बारे में लगाये गये आरोपों के बारे में पता है।

मेरा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उन लाखों बुनकरों से सम्बद्ध है जो सूती धागे को उपयोग में लाते हैं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा किये गये उपायों द्वारा मूल्यों में कुछ कमी आई है। उत्तर प्रदेश के 14 लाख बुनकरों को 3-4 महीने में $2\frac{1}{2}$ किलो धागा मिलता है। आप समझ सकते हैं कि वह कैसे जिन्दा रह सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वितरण कार्य राज्य व्यापार निगम द्वारा करवायें। क्या सरकार नाइलोन तथा कृत्रिम रेशम उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर गम्भीरता से विचार कर रही है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अभी प्रश्न नहीं उठता है। वितरण के मामले में हमारे पास कई शिकायत आई हैं। हम वितरण की नई नीति अपना रहे हैं जिसके तीन उद्देश्य हैं। कताई कारखानों के लाभों को कम करना, बिचौलियों की क्रियाशीलता को घटाना एवं वास्तविक प्रयोक्ताओं को सहायता देना। हम बुनकरों अथवा उनकी सरकारी संस्थाओं को निश्चय ही सहायता देना चाहेंगे। यह एक गम्भीर समस्या है परन्तु हम इसका ऐसा समाधान खोज रहे हैं जिससे वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को लाभ पहुंचेगा।

श्री वसन्त साठे : देश में 85000 बिजली चालित करघे गैर सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं। उनमें से 81 प्रतिशत के पास 1 से 9 करघे हैं और 19 प्रतिशत के पास 10 करघे हैं और केवल 5 प्रतिशत के पास 10 से अधिक करघे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कपरोलक्टम के मूल्य में तिगुनी वृद्धि के कारण देश में उनके भाव बढ़ गये। इसलिए सूती धागे से कार्य करने वाले भी इस धागे की मांग करने लगे हैं।

हमारे देश में प्रथा यह है कि जमाखोरों एवं काला बाजार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की बातें तो बहुत की जाती हैं परन्तु अभी तक कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं पाया गया है जिसने इस बारे में पर्याप्त कार्यवाही की हो। बड़ी-बड़ी मिलों वाले धागे के निर्यात की मांग कर रहे हैं ताकि वे 50 से 500 रु० मीटर के वस्त्रों का निर्माण कर सके हैं। परामर्शदातृ समितियों में केवल उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व है। क्या सरकार लघु उद्योग वालों को भी प्रतिनिधित्व देगी ?

इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों को भारी लाभ प्राप्त होते हैं। जे० के० सिन्थैटिक्स को बिक्री पर 34.3% तथा कुल पूंजी पर 21.6%, मोदीपोन को बिक्री पर 38.6 प्रतिशत तथा लगी पूंजी पर 23.3%, गरवारी नाइलोन को 42%, सेंचुरी एन्का (बिरला) को बिक्री पर 56.2% तथा लगी पूंजी पर 28.7% लाभ हुआ है। इसे चार्टरड लेखाकार ने लूट बताया है। क्या सरकार उन निर्माताओं से मूल्य घटाने के लिए वार्ता करेगी। उनके साथ वस्त्र आयुक्त के माध्यंम से सीधी बातचीत की जाये और छोटे उत्पादकों को संरक्षण दिया जाये और आयातित धागे के वास्तविक प्रयोग-

कर्त्ताओं को उसका वितरण किया जाये । छोटे बुनकरों के लिए यही आधारभूत कार्य करने की आवश्यकता है । जो लोग वस्तव में बड़े-बड़े बुनकर हैं परन्तु वह ऐसा आभास देते हैं जैसाकि वह छोटे बुनकरों के प्रतिनिधि हैं, सरकार को उनकी बात की विशेष महत्व नहीं देना चाहिये । कपटो-लैक्टम का आयात करने के लिए सरकार पहले ही प्रयत्नशील है इसके साथ ही उसे इसका आयात और बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूं कि कुछ कताई एककों द्वारा अवांछनीय लाभ कमाया गया है । ऐसे मामलों की जांच की जा रही है और उपयुक्त समय पर उनके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी । जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है इसके बारे में टैरिफ आयोग द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं और हम अपेक्षित संशोधनों सहित उन्हें स्वीकार कर रहे हैं । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अपनी वितरण व्यवस्था में हम कमजोर वर्ग का विशेष ध्यान रखेंगे..... **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): मैं नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । क्या उनके दल को दान के रूप में 20 लाख रुपये नहीं मिले हैं ? ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । कृपया आप मुझे भी संरक्षण दीजिए ।

श्री एम० ए० मुरुगनन्तम (तिरुनेलवल्ली): तमिलनाडु में बुनकरों की बहुत बड़ी संख्या शक्ति-चालित करघों में काम करती है । शक्तिचालित करघों को उपयुक्त मात्रा में धागा उपलब्ध नहीं हो रहा है जिससे कि वह 26 दिन तग अपना रोजगार नहीं चला सके हैं अत: क्या सरकार यह सुनिचित करने के लिए कार्यवाही करेगी कि धागे का वितरण ठीक ढंग से हो और उसमें हो रही चोर बाजारी समाप्त हो सके ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बिड़ला बन्धुओं की सैंचुरी सिरका को स्वेच्छा से मूल्य करार से बाहर इस आधार पर रखा गया था कि उनकी कमाने की क्षमता कम थी ? क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म की क्षमता का निरीक्षण किसने किया और गत तीन वर्षों में इसने कितना लाभ कमाया ? तीसरे सरकार चोरबाजारी को समाप्त करने और धागे का वितरण ठीक ढंग से करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो एकक स्वैच्छिक करार में शामिल नहीं हुये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । दूसरे जहां तक कीमतों में वृद्धि का सवाल है उसके कपरोलैक्टम आदि की कमी तथा कुछ अन्य कारण हैं । तमिलनाडु के बुनकरों की कठिनाइयों से हम भली भांति अवगत हैं और उनका समाधान करने के लिए हम योजना बना रहे हैं जिसकी मोटी रूप-रेखा मैं पहले ही सदन को बता चुका हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी): माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि स्वैच्छिक मूल्य करार पूर्ण सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है आॅर उसमें सरकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु वास्तविकता यह है कि जब भी कोई गरीब व्यक्ति स्वैच्छिक मूल्य करार के अनुसार निर्धारित मूल्यों पर कोई वस्तु खरीदने जाता है तो वह वस्तु उसे नहीं मिलती । परन्तु जब वह निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाता है तो वह वस्तु उसे मिल जाती है । मुझे मालूम नहीं है कि सरकार को इस बात की जानकारी है या नहीं परन्तु बेचारे बुनकर को सारे देश में इस प्रकार की कठिनाइयों

का सामना करना पड़ता है । इस प्रकार स्वैच्छिक करार के माध्यम से चोरबाजारी को प्रोत्साहन मिल रहा है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके बारे में कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

दूसरे कि जैसा मेरे मित्र श्री मरुगनन्तम ने पूछा है कि बिड़ला बन्धुओं की सैंचुरी कम्पनी को स्वैच्छिक मूल्य करार में शामिल क्यों नहीं किया गया, इसके क्या कारण हैं ?

दूसरे जहां तक बुनकर उद्योग के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है उसके बारे में मंत्री महोदय ने श्री बनर्जी को बताया कि उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है । मैं जब सरकार से यह पूछता हूं कि वह संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को तो अपने अधिकार में ले लेती है और वह भी ऐसी मिलों को जो बड़े बड़े सरमायादारों की हैं तो फिर यह उद्योग जिसमें गरीब लोंगों का शोषण हो रहा है, जिसमें चोरबाजारी हो रही है, उसे अभी सरकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहती तो क्यों ? क्या पूंजीपतियों का दमन कर गरीब जनता के हितों की सुरक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य और नीति नहीं है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे माननीय मित्र का यह कहना कि स्वैच्छिक मूल्य करार पूर्णतया असफल रहा है, ठीक नहीं है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि टैरिफ आयोग द्वारा 15 डैनियर नाइलोन के लिए सितम्बर 1970 में 73.80 रुपये का मुल्य निर्धारित किया गया था ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैंने यह कहा है कि स्वैच्छिक मूल्य करार तो विद्यमान है परन्तु वास्तविकता यह है कि बुनकर को माल प्राप्त करने के लिए बिल में लिखे मूल्य की अपेक्षा कुछ अधिक मूल्य देना पड़ता है । तभी उसे माल मिलता है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह बात मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि माल के अभाव के कारण कई अनियमिततायें होती रही है । जो एकक स्वैच्छिक मूल्य करार से बाहर निकल आये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । नये फार्मूले में हम लाभ की दर को कम करने के लिए भी कोई तरीका निकालेंगे । जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि प्रथम तो यह उद्योग प्राथमिकता प्राप्त सैक्टर का नहीं है और दूसरे इसमें अधिकांश लोगों का हित निहित नहीं है । मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि जो भी स्वैच्छिक करार होगा वह सभी पर समान रूप से लागू होगा और किसी को भी उससे बाहर नही रखा जायेगा ।

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़े जाने के बारे में

Use of Teargas on Demonstration in Delhi

Shri Bhogandra Jha (Jainagar) : The peaceful demonstrations in Delhi were lathi-charged and tear-gassed on 27th August, 1973... (*Interruptions*)

Mr. Speaker : I have not permitted any adjournment motions.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The adjournment motion is regarding atrocities on Harijan Women.... (*Interruptions*) The police also did not take any action. It is a subject for which Central Government is responsible.

Shri Jyotirmoy Bosu (Diamond Harbour) : The D.S.P. himself encouraged the rape. May I know if the respect of Harijan girls will be ever secured.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speak r, Sir, it has been provided under our constitution that , "The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitations." So this cannot be left to the State Government.

Mr. Speaker : Regarding Harijan Women. I received five or six notices under rule 377 which I accepted. These will be sent to Minister concerned and on receipt of full facts, matter will be placed before the House and if need be I will allow an adjournment motion on the same.

Shri Bhogendra Jha : If peaceful demonstration is teargassed in Delhi, we cannot keep silent. Kindly allow us to raise this issue in the House.

Mr. Speaker : How can you raise the issue of day-to-day administration and maintenance of order in this House? All I can do is to send your protest to the Home Minister and ask him to make a Statement.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 27 अगस्त को बढ़ती हुई मंहगाई के विरुद्ध हज़ारों नर-नारियों ने पुराने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। साम्यवादी दल द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया और अश्रु गैस छोड़ी गई। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

Shri Bhogendra Jha : We want an adjournment motion on this subject because it was a demonstration against rising prices and black-marketing for which Government is responsible. The peaceful demonstrations were cane-charged, lathi-charged and teargassed. A good number of old freedom-fighters were injured. We want that our adjournment motion may please be accepted.

अध्यक्ष महोदय : मैं यह मामला मंत्री महोदय को भेज दूंगा। अब आगे की कार्यवाही लीजिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सदन और सरकार का ध्यान राष्ट्रपति के भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह नियम 377 के अन्तर्गत लाया जा सकता है, यहां नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : राष्ट्रपति का भाषण कुछ असामान्य सा है और उससे ऐसा लगता है कि वह देश की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि भारी बहुमत के बावजूद भी शासक दल लोगों को दिये गये वचनों को पूरा नहीं कर पाया है. . . (व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpayse : It is a Constitutional issue. The speech of the President is prepared by the Government and he does not expresses his personal opinion in them. But it matters much when President says that hoarders and black-marketers should be punished and put in chains.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : There can be no second opinion about what the President said regarding blackmarketing and hoarders. The Ministers are also taking money in chuckets (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों की यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार की बातें संसद् में क्यों आनी चाहिये।

श्री पीलू मोदी : क्या आपका यही विचार है कि हम केवल दिल्ली के ही बारे में चर्चा करें?

अध्यक्ष महोदय : कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) :
Electricity and water connections were cut in the Gurudwara at Karnal. Is it not a blow on the freedom of religious institutions (**Interruptions**).

Mr. Speaker : सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बम्बई पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अधीन अधिसूचना

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) (एक) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(क) वाणिज्य पोत परिवहन (निरन्तर सेवान्मुक्ति प्रमाणपत्र) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 305 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) समुद्री-नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड (संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 616 में प्रकाशित हुए थे।

(ग) वाणिज्य पोत परिवहन (सक्षमता प्रमाणपत्र) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 658 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 5229/73.]

आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1965 की धारा 327 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 632 की एक प्रति जो आंध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश नगर परिषद् (निर्वाचन संचालन) नियम, 1965 में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5230/73.]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 394(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध और दुग्ध उत्पादन नियंत्रण आदेश, 1973 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5231/73]

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देता हूं :—

कि राज्य सभा का मणिपुर विनियोग विधेयक, 1973 के बारे में जो लोक सभा द्वारा 24 जुलाई, 1973 को पास किया था लोक सभा से नई सिफारिश नहीं करनी है।

शमिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 30 नवम्बर, 1945 के संकल्प संख्या एफ, 16–10/44-ई० III, के पैरा 3 के खण्ड एक (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये 3 वर्ष के आगामी कार्यकाल के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

Shri Madhu Limaye : There was lathi-charge on railway employees in Madras and there were no train services on Saturday and Sunday. Is it a state or central issue?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 30 नवम्बर, 1945 के संकल्प संख्या एफ० 16–10/44–ई०–III के पैरा 3 के खण्ड एक (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये 3 वर्ष के आगामी कार्यकाल के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं खरा प्रश्न उठाना चाहता हूं। मुझे अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही उठाया जा चुका है। वक्तव्य आने के बाद हम इसे बाद में ले लेंगे।

श्री एस० एम० बैनर्जी : मैं यह सारी चर्चा दो मिनट में पूरी कर लूंगा। यदि आप अनुमति दे चुके हैं तो मेरा नाम कैसे निकाला जा सकता है !

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रतीक्षा करनी चाहिये । मैं इसे गृह मंत्री को भेजूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : All what we said on adjournment motion has not been written.

अध्यक्ष महोदय : इसका कुछ भाग लिखा गया है।

Shri Shyamnandan Mishra :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

which of its part was unparliamentary ? This is serious matter. . . .

अध्यक्ष महोदय : जब इन्होंने यह प्रश्न उठाया था तो मैंने कहा था कि मैं इसे गृह मंत्री को भेजूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is a new parliamentary system that one who speak something will not be recorded.

Mr. Speaker : Mr. Banerjee, had it not came earlier, I would have allowed it.

Shri S.M. Banerjee : Sir, I may be allowed to speak for two minutes.

अध्यक्ष महोदय : श्री बैनर्जी अब बैठ जायें। हम इस पर बाद में विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे भी नियम 377 के अधीन बोलने की अनुमति मिली है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन): आपने नियम 377 के अधीन मेरी सूचना को अनुमति दी है। नियमानुसार मुझे बोलने की अनुमति मिलनी चाहिये लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रहे. . . .

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रस्ताव के बारे में बोलने वाले जिन जिन सदस्यों के नाम पहले आते हैं मैं उन्हें बोलने का अवसर देता हूं, मैं इसी प्रक्रिया का पालन करता हूं. . . . **(व्यवधान)**

श्री के० एस० चावड़ा : मैंने कौनसी गलती कर दी है जो कि आप इस महत्वपूर्ण मामले पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. . . . . **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बैनर्जी : मैं न० एक पर और ये न० दो पर हैं। कृपा करके मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जायें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। नियमानुसार हम आपको मामले की पूर्व सूचना देते हैं और हमें आपके कार्यालय द्वारा अमुक विषय को अमुक आईटम के बाद उठाने के लिए कहा जाता है और यही कारण है कि हममें से कई सदस्य प्रक्रिया का पालन करते हुए बीच में नहीं उठते और जब हमारी बारी आती है तो आप उस विषय को उठाने की अनुमति नहीं देते। अतः हमारे आपको पहले लिख कर अनुमति प्राप्त करने का लाभ ही क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : समान मामला पहले भी उठाया जा चुका है।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याहन् भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock)

(मध्याहन् भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पैंतालिस मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई ।)

(The Lok Sabha then reassembled after lunch at forty five minutes past fourteen of the clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक

MYSORE STATE (ALTERATION OF NAME) BILL

श्री मोहनराज कलिंगरायर (पोलाची) : मैं इस विधेयक का अपने दल की ओर से पूर्ण समर्थन करता हूं। वस्तुत: इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिए। मैं इस अवसर पर कर्नाटक राज्य के लोगों को बधाई देता हूं कि वह अपने चिरप्रतीक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं।

श्री धर्मराव आमजल पुरकर (गुलबर्गा) : मैं इस विधेयक का मैसूर के लोगों की ओर से स्वागत करता हूं। कर्नाटक में पुराना मैसूर राज्य, मद्रास के दो जिले, बम्बई के तीन जिले तथा हैदराबाद और कुर्ग के जिले शामिल हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते समय कुछ कन्नड़ भाषी क्षेत्र समीप के राज्यों में मिला दिए गए थे। इन क्षेत्रों को कर्नाटक राज्य में लाया जाना चाहिये।

कर्नाटक का अपना इतिहास, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सभ्यता है। यहां प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर हैं पर सरकार द्वारा उनका पता नहीं लगाया गया। वनों और खनिजपदार्थों की दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफी धनी है। बहुत-सी नदियां इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं और इसी सम्बन्ध में कुछ विवाद भी है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कृष्णा नदी के बारे में विवाद है तथा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी में। मैं केन्द्र सरकार से इन समस्याओं को निपटाने के लिए अनुरोध करता हूं।

अपर कृष्णा परियोजना लम्बे समय से रुकी पड़ी है। इसे तीसरी योजना में शामिल किया गया था पर यह अभी प्रारंभिक स्थिति में ही पड़ी है। इसे पांचवीं योजना में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई प्रादेशिक असंतुलनताएं हैं। गुलबर्गा, बीदर और रायचूर के क्षेत्र कृषि और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। हाल ही में वहां भयंकर सूखा पड़ा है। कई बार तो पेय जल भी नहीं मिलता है। वहां कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने चाहिऐ। चूने का पत्थर और कुछ अन्य सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। अत: वहां पर सीमेंट का कारखाना आंसानी से स्थापित किया जा सकता है। विजयनगर इस्पात संयंत्र को भी शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। हाल ही में गुलबर्गा जिले में कुछ तांबे के निक्षेप पाए गए हैं। जब तक इन प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक यह प्रादेशिक असंतुलनताएं दूर नहीं होंगी।

***श्री पी० एम० सईद** (लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। यद्यपि मेरी मातृभाषा मलयालम है फिर भी मैंने कन्नड़ भाषा स्कूल तथा कालेज के दिनों में पढ़ी है और मुझे इस भाषा के प्रति अथाह प्रेम है।

---

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

1956 तक लक्षद्वीप अमीनीव क्षेत्र मंगलौर के कलक्टर के अधीन था और न्यायालय के निर्णय भी कन्नड़ में दिए जाते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैसूर राज्य विधान सभा के एकमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया है मैं कर्नाटक राज्य की समृद्धि की कामना करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I support the suggestion to chnage the name of Mysore State to Karnatak which is a very old and good name. At the same time we want that th≥ State should also have a good government. Some of the Ministers of the present-government there are indulging in such activities and are bringing bad name to the state. A Commission of Inquiry should b instituted against such Ministers.

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैसूर राज्य के नाम परिवर्तन की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस मांग को पूरा किया जा रहा है। इससे कर्नाटक के सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है।

1956 में जिन राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि मैसूर का नाम मैसूर रखा जाए या कर्नाटक। पुराने मैसूर के नेता मैसूर नाम के पक्ष में थे। अतः यही नाम रखा गया। लेकिन अब मैसूर राज्य की विधान सभा ने एकमत से यह प्रस्ताव पारित करके, कि मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया जाए, यह स्पष्ट कर दिया है कि मैसूर की जनता इसके पक्ष में है। तभी यह विधेयक कर्नाटक राज्य के लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिये लाया गया। वह भावनात्मक रूप से एकीकृत होकर राज्य की समृद्धि के लिए काम करेंगे, ऐसा भी इससे संकेत मिलता है।

जैसा कि मुझ से पहले कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस राज्य में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पर उनका अभी पूरी तरह पता नहीं लगाया गया। मैं उनकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। हमें इस क्षेत्र के संसाधनों का अभी उपयोग करना है।

संगठित कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस नाम परिवर्तन में विलम्ब कराने की कोशिश की है और उन्होंने यहां तक कहा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ऐसा वोटों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आगे से ऐसे आधारहीन आरोप सत्तारूढ़ दल पर नहीं लगाए जाएंगे।

अन्त में मैं सभी राजनीतिक दलों तथा सत्तारूढ़ दल का इस नाम परिवर्तन के लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री पम्पन गौडा (रातचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। आज का दिन 300 लाख कन्नड़वासियों के लिए बड़े ही हर्ष का दिन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के पश्चात् हमें 17 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और आज इस सफलता का श्रेय हम अपने मुख्य मंत्री को देते हैं और वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विषमता व्याप्त है। उत्तरी जिले और विशेष रूप से वे तीनों जिले जो कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य से इसमें आए हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं और यदि यही स्थिति बनी रही तो मुझे भय है कि इस राज्य का भी आन्ध्र प्रदेश जैसा ही हाल न हो जाए। अतः वर्तमान सरकार को इस विषमता को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके।

---

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं चूंकि राजधानी शहर दक्षिण में है, जनसाधारण को बड़ी लम्बी यात्रा करनी पड़ती है। अतः कुछ कार्यालयों का स्थानांतरण धरबर या मुनीराबाद अथवा रायचूर जैसे किसी सुविधा-जनक स्थान पर किया जाना चाहिए। इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

***श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी** (कोपल): मैं इस मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक का स्वागत करता हूं। कर्नाटक राज्य का पुरानी परम्पराओं, प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक परम्परा के कारण देश के मानचित्र में विशेष स्थान है। कन्नड़ के लोगों को अपनी प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का अब अवसर मिला है।

आज 17 वर्षों बाद कन्नड़ भाषी लोगों की भावनाएं पूरी हुई हैं। कर्नाटक राज्य को कई महान लोगों की स्वार्थ रहित सेवाएं प्राप्त हुई हैं। 12वीं शताब्दी के बासवेश्वर का नाम इसी संदर्भ में याद किया जाता है। उनके समाजवाद के प्रति बहुत प्रगतिशील विचार थे। जनरल करिअप्पा, जनरल थिमाया और जनरल बेवूर, भी कर्नाटक राज्य से हैं। इन लोगों ने देश की बहुत सेवा की है।

मैं आशा करता हूं कि कर्नाटक राज्य सभी क्षेत्रों में समृद्धि करेगा और केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में उनकी सहायता करेगी।

अन्त में मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त को सदन में इस विधेयक को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

Shri Shankar Dev (Bidar) : I welcome this Bill and thank the people of old Mysore who have given their approval to alter the name of the state. I feel that this change in the name of the state will bring emotional integration of all people living in the state. I regret that regional and linguistic tendencies are raising their ugly head, and they should be curbed in the interest of national integration. National integration is a necessary pre-condition for achieving international integration which in turn leads us to an era of world peace. Once again I thank and congratulate the people of old Mysore who have sacrificed the sense of love towards the old name of Karnataka state.

श्री बी० वी० नायक (फूलबनी): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसके लिए वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं।

माननीय सदस्य श्री पम्पन गौड़ा ने कहा है कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने वह कर दिखाया है जोकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री नहीं कर सके वस्तुतः वर्तमान मुख्य मंत्री ने वह किया है जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री नही करना चाहते थे क्योंकि वह कर्नाटक के किसी विशेष क्षेत्र को अपना नहीं मानते बल्कि सारे कर्नाटक को अपना मानते हैं।

जहां तक मैसूर के प्रशासन का संबन्ध है केन्द्र द्वारा सीमाओं के सम्बन्ध में काफी हित प्रदर्शित किया गया है। मैं सदस्यों और महाराष्ट्र सरकार को बताना चाहता हूं कि बेलगांव बिल्कुल शांतिपूर्ण है। सीमाक्षेत्र पर शांति बनाए रखने का श्रेय मैसूर सरकार पर आता है।

राज्य का नया नाम भावनात्मक एकता को जन्म देगा।

धन्यवाद।

श्री के० हनुमंतैया (बंगलौर): आज का दिन कन्नड़ भाषी लोगों के लिए अत्यधिक प्रसन्नता का दिन है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यह लोग पांच विभिन्न प्रशासनों में बंटे हुए थे। कोई अन्य भाषा वर्ग इस प्रकार बंटा हुआ नहीं था। अतः कन्नड़ भाषी लोग भी एक प्रशासन के अन्तर्गत आना चाहते थे। स्वतंत्रता आन्दोलन के।

*कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजीं अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannad.

साथ-साथ भाषायी राज्यों की मांग भी उठी है । अतः 1947 में जब मैं संविधान सभा का सदस्य बनकर दिल्ली आया था तो हममें से कुछ लोगों ने कन्नड़ राज्य के बनाए जाने की मांग की थी परन्तु 1956 से पहले यह न हो सका फिर राज्य तो बन गया पर उसे कुछ कारणवश कर्नाटक नाम नहीं दिया जा सका लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इतने वर्षों बाद एकमत से इस नाम को रखने के लिए राज्य की विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है अतः वर्तमान मैसूर राज्य को कर्नाटक नाम देकर 3 करोड़ कन्नड़ भाषी लोगों की आशाओं और इच्छाओं को पूरा किया गया है ।

कुछ सदस्यों को इस बात का अभिमान है कि उनका कर्नाटक राज्य देश के सभी भागों से सुन्दर है । मैंने सारे देश का भ्रमण किया है प्रत्येक स्थान का अपना अलग आकर्षण है ।

कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय प्रायोगिक अर्थ सम्बन्धी अनुसंधान परिषद ने मैसूर राज्य का अध्ययन किया था। उन्होंने बताया था कि यद्यपि मैसूर में राष्ट्रीय महत्व के कुछ औद्योगिक एकक हैं किन्तु देश के औद्योगिक दृष्टि से अल्पविकसित क्षेत्रों के बीच यह राज्य समूचे रूप में अभी भी आता है । प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि सिंचाई के मामले में भी मैसूर अन्य राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है । इस समय बिजली की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से इसका स्थान नीचे है । 1967 में प्रति व्यक्ति आय 305 रुपये से भी कम थी जबकि इस वर्ष देश की औसत प्रति व्यक्ति 334 रुपये थी तथापि राज्य में बहुत भारी कर लगे हुए हैं । कराधान की दर 1957-58 में 7.77 से बढ़कर 1963-64 में 14.5 हो गयी और इस दौरान सभी राज्यों में यह दर 8.7 रुपये से बढ़कर 13 रुपये हुई।

गत 25 वर्षों में केन्द्रीय सरकार और दिल्ली में सत्ता प्राप्त लोगों ने मैसूर राज्य के साथ राजनीतिक और प्रशासनिक अन्याय किए हैं । यदि मैसूर राज्य को समान राजनीतिक और प्रशासनिक अवसर दिए गए होते तो राज्य में इस समय की गई उन्नति से कहीं अधिक उन्नति हुई होती। कर्नाटक राज्य को केवल उसकी आर्थिक अथवा वन सम्पदा की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये बल्कि हमें उसके सांस्कृतिक महत्व को भी देखना चाहिये । कर्नाटक का प्राचीन इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और इसकी संस्कृति समृद्ध रही है । रामायण काल का किष्किन्धा क्षेत्र आज वही है जिसे मैसूर राज्य का बेल्लारी जिला कहते हैं यहीं पर राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव की सहायता तथा हनुमान की मित्रता प्राप्त की थी । हमारी परम्परा ऐसी रही है ।

कुछ सदस्यों ने सुमित्रा देसाई कांड की चर्चा की है । इस बारे में समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की बातें प्रकाशित हुई हैं । केन्द्रीय आसूचना को जांच करके तथ्यों का पता लगाना चाहिये। मैसूर के मुख्य मंत्री ने कहा है कि वे सुमित्रा देसाई का पता नहीं लगा सके । गत दो महीनों से इस लड़की का पता नहीं लग सका । केन्द्रीय सरकार को इस ओर ध्यान देकर तथ्यों का पता लगाना चाहिये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : इस विधेयक को सदन के सामने लानें में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं । राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखने के लिये मैसूर विधान सभा का समर्थन प्राप्त है और यह सदन भी इस बारे में एकमत है । मैसूर राज्य को बने 17 वर्ष हो गये हैं । इस अवधि के दौरान राज्य ने हर दिशा में प्रगति की है ।

अनेक माननीय सदस्यों ने कर्नाटक के इतिहास की भी चर्चा की है । मैसूर के विकास को तीव्र गति से चलाने के बारे में भी माननीय सदस्यों ने कहा है । राज्य के विकास की इच्छा स्वाभाविक है। यह कहना गलत है कि इस राज्य में गत 25 वर्षों के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई । अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह का नाम बदलने का जिक्र भी हुआ था । वहां के लोगों से प्रस्ताव आने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

सुमित्रा देसाई का पता लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार यथासम्भव सहायता प्रदान करेगी। इस राज्य की अन्य समस्याओं का समाधान हम शांति तथा सद्भावपूर्ण वातावरण में करेंगे। *मैं कर्नाटक के लोगों को अपनी शुभकामनायें भेजता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 विधेयक में जोड़ दिये गए।
Clauses 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 were added to the Bill

खंड 1

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

'1972' के स्थान पर '1973' प्रतिस्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

'1972' के स्थान पर '1973' प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—
"खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 1, as amended, was added to the Bill

*कन्नड में कहे गये वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।
*Hindi translation version based on English translation of the sentence uttered in Kannada.

अधिनियम सूत्र

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,——

(तेईस) के स्थान पर   (चौबीस) प्रतिस्थापित किया जाये ।

'Twenty-third'   'Twenty-fourth'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

(तेईस) के स्थान पर   (चौबीस) प्रतिस्थापित किया जाये ।

'Twenty-third   'Twenty-fourth

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"विधयक का पूरा नाम विधयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

Song title was added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

Shri Madhu Limaye (Banda) : Mr Deputy Speaker, Sir, With your permission I want to lay on the Table a copy of the Memorandum given to the President by Shri Mahesh Vanketasverappa, Shri I.H. Patil and Shri George Fredends in respect of Shri K.H. Patil.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे दें । हम इसका अध्ययन करेंगे ।

Shri Madhu Limaye : Will Shri Pant say something in the matter?

श्री बी० बी० नायक (कनारा) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री के० एच० पाटिल मैसूर सरकार में मंत्री हैं । क्या इस मामले पर इस सदन में विचार किया जा सकता हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुलिमये ने ज्ञापन को सभा-पटल पर रखने की अनुमति मांगी है ।

17 LSS/73—11.

अब प्रश्न यह है : "कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह (नाम परिवर्तन) विधेयक

LACCADIVE, MINICOY AND AMINDIVI ISLANDS (ALTERATION OF NAME) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूं; "लक्कादीव, मिनिकाय, अमीनदीवी द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह द्वीप राज्य पुनगर्ठन से पूर्व मद्रास राज्य. के अंग थे और 1956 से यह संघ राज्य क्षेत्र बने । प्राचीन काल में इनका नाम लक्षद्वीप था जिसका अर्थ है एक लाख द्वीप समूह । प्रशासक की सलाहकार समिति ने एकमत से इसी नाम की सिफारिश की है ।

श्री एस० ए० कादिर पीठासीन हुए:

Shri S. A. Kadir *in the chair*

स्थानीय जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए इसे पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह संघ. राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Ishaque Sambali (Amroha) : Mr. Chairman, Sir, I support this Bill. At the same time I want to know what steps the government have taken for the development of these Islands. These Islands have been endowed by nature with natural resources.

Fish is found there in abundance. The fisheries Department can keep them in various ways. I feel nothing in this direction has been done. These Islands possess beautiful scenery but no tourist centre has been established there. There is a big centre of coconut. Has the government any scheme for establishing some coir factory in the Islands ?

सभापति महोदय : मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि यह विधेयक मात्र नाम परिवर्तन के बारे में है ।

Shri Madhu Limaye : When shall we get the opportunity to speak on Andaman ?

Mr. Chairman : I request Shri Madhu Limaye not to speak when the chair is on his legs.

I request the Members to confine to the Bill.

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) यदि नये नाम के साथ नये सौंदर्य में विकास हो सके तो इसे भाषणों में स्थान दिया जा सकता है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : राज्य क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करने के कम ही अवसर आते हैं अतएव आपको इतना सख्त नहीं होना चाहिए ।

सभापति महोदय : यदि असंगत मामले उठाये जाते हैं तो मंत्री महोदय को उनका उत्तर देना असंभव हो जायेगा ।

Shri Ishaque Sambali : With the change in name the performance should also change. What is the position of communication in these Islands?

It is strange that the Advisory Council functioning there to advise the Administration and Commissioner is not elected but nominated. It is very important that democratic rights are conferred on the territory.

With these words I support the Bill.

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : विधेयक का स्वागत करते हुए मैं इन सुन्दर द्वीपों के ऐतिहासिक विकास का उल्लेख करना चाहता हूं । ईसा की तीसरी शताब्दी में यह द्वीप समूह केरल से संबद्ध थे तथा यहां पर नौसेना भी स्थित थी रोम, चीन तथा अन्य स्थानों से पोत यहां आया करते थे । हमारे पड़ौसी राज्य क्षेत्र को नया नाम दिया जा रहा है इसकी हमें खुशी है । हमें अपने देश की दक्षिणी सीमा कन्या कुमारी तक न समझ कर निकोबार द्वीप समूह समझनी चाहिए । लक्ष द्वीप का एक अर्थ यह भी है कि इस द्वीप समूह को नौसेना ने पूरी तरह जगमग जगमग कर रखा था। उक्त नाम की पुनः स्थापना करते हुए हमें वहां पर अपनी नौसेना को सुदृढ़ बनाना चाहिए । सभी संसद सदस्यों को अंतर सत्र की अवधि में पूरे देश में जाने की सुविधा होती है । यह सुविधा इन द्वीपों के लिये भी दी जानी चाहिए । इस द्वीप समूह में यातायात की सुविधाएं बढ़ायी जानी चाहिएं ।

मैं आशा करता हूं कि इस नामकरण से वहां बसे 35,000 देश भक्तों का भला हो सकेगा ।

***श्री पी० एम० सईद** (लक्षद्वीप मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह) : यह विधेयक सदन में काफी समय पूर्व लाया गया था। हम प्रचीन काल से इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते रहे हैं। इस द्वीप समूह की खोज के बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं।

अब जबकि हम लक्कादीव से बदलकर नाम लक्षदीप रखने जा रहे हैं यह एक बहुत स्वागत योग्य बात है । इन द्वीपों के लोग कब से इस नाम को रखने के इच्छुक थे हम मलयालम में भी इसे लक्षद्वीप ही कहते हैं ।

महोदय इस विधेयक को पिछले सत्र में पुनः स्थापित होना था परन्तु समयाभाव के कारण हमें इसे इस सत्र तक स्थगित करना पड़ा । इस अवसर पर मैं इन क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में दो चार शब्द कहना चहता हूं । सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर ली है पर इन द्वीपों के लोगों को मालूम ही नहीं कि सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं केवल तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई अब चौथी योजना समाप्त होने को है पर मुझे प्रसन्नता है कि यह हमारे लिए अच्छी शुरुआत रही और हमने अब सभी दिशाओं में प्रगति करनी हैं ।

इन द्वीपों का आयोजन पूरी तरह उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता रहा है । द्वीपों और मुख्य भूमि की न्यूनतम दूरी 124 मील और अधिकतम दूरी 240 मील है । कई बार इस

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version of English translation of speech delivered in Malayalam.

दूरी को तय करने के लिए एक महीना भी लग जाता है । ऐसा अनेक बाधाओं के कारण होता है । मौसम और यातायात के साधनों का अभाव इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है ।

मंत्री महोदय को इन द्वीपों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को द्वीपों में रोज़गार देने के लिए विचार नहीं किया जाता । 12 श्रेणी 1 के अधिकारियों में केवल 6 अधिकारी स्थानीय है और 25 श्रेणी 2 के राजपत्रित अधिकारियों में केवल दो अधिकारी स्थानीय लोगों में से लिए गए हैं इसी प्रकार श्रेणी 3 में 855 में से केवल 350 और श्रेणी 4 के 496 कर्मचारियों में से केवल 300 स्थानीय क्षेत्रों के हैं । यह अत्यंत खेद पूर्ण स्थिति है। मैं इस बात की बार-बार मांग करता रहा हूं कि कम से कम श्रेणी 4 के कर्मचारियों में स्थानीय लोगों को ही स्थान दिया जाए इन आंकड़ों का उल्लेख मैंने इस लिए किया है कि वहां के लोगों को वहां की सेवाओं में उनका उचित भाग दिया जाना चाहिए ।

मत्स्यपालन लक्षद्वीप का मुख्य उद्योग है। दुर्भाग्यवश समुद्रीय उत्पादों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए हम कोई निर्णायक प्रयास नहीं कर रहे हैं । यदि ऐसा किया जाए तो वहां के लोगों की आय बढ़ जाएगी हमे जापान जैसे देशों के साथ प्रतियोगिता करनी चाहिए जिन्होंने समुद्री उत्पादों का उपयोग करने में काफी प्रगति की है । हमारे देश में टूना मछली को जो केवल लक्षदीप में ही उपलब्ध है पकड़ने का प्रयास नहीं किया गया है । सरकार को समुद्रीय उत्पादों का उपयोग करने हेतु हमारे लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए । उससे देश के समूचे विकास में सहायता मिलेगी । इस क्षेत्र में लोगों को इस मामले में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

मछली पकड़ने के लिए हमारे पास कोई समुद्रीय सुविधाएं नहीं हैं । लोगों के पास देशी नावें है । सरकार को मछली पकड़ने की नावों को खरीदने के लिए सहायता देनी चाहिए और वह प्रदेश द्वार पर पड़े बड़े पत्थरों को हटवाए । हमें जो पहले सहायता प्रदान की जा रही थी वह अब बन्द कर दी गई है । सलाहकार समिति ने एक संकल्प पारित किया है जिसके द्वारा सरकार से पुनः सहायता देने के लिए अनुरोध किया है

जहां तक पर्यटन का सम्बंध है वहां इसकी अत्यधिक क्षमता है । द्वीपों के इस समूह में पर्यटक केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिएं । कुछ ऐसे द्वीप भी है जहां लोगों की आबादी नहीं है वहां बहुत स्वच्छ समुद्रतल है और आधुनिक पर्यटक केन्द्रों की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं चूंकि उस क्षेत्र के लिए उचित आयोजन नहीं है इससे विदेशी पर्यटकों से जो आय हमें हो सकती है वह नहीं हो रही अतः इस कारण हमारे पर्यटन विभाग को हानि हो रही है ।

शिक्षित लोगों में बहुत बेरोज़गारी है । कई माननीय सदस्यों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस इतने छोटे से क्षेत्र की इतनी बड़ी समस्याएं है । इन द्वीपों के लोग बहुत नम्र स्वभाव के हैं मुझे भय है कि वह क्रांति पर बाध्य हो जाएं । मंत्री महोदय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए उन्हें इन द्वीपों के व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए । वहां सब समस्याएं उचित आयोजन के अभाव में हैं यदि संचार सुविधाएं दी जाएं तो काफी कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं मैं लक्षद्वीप लोगों की ओर से एक बार पुनः मंत्री महोदय से इन द्वीपों की ओर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Chairman, Sir, this day will go as name changing day in the history of Lok Sabha. Just now we have changed the name of Mysore state into Karnataka. This Bill seeks to alter the name of the Union Territory of the Laccadive and Amindivi Islands to 'Lakshadweep'. It is a name by which these Islands were known in ancient times.

These Islands are known for beauty of nature and are rich in natural wealth. These are tremendous potentialities for harnessing this natural wealth. The Government should take steps for the all round development of these Islands. They are quite important from the strategic point of view also. Foreign Powers are very much interested in this area. The Government can set up a big naval base in these Islands.

Honble Member Shri sayeed has said a few words about the problem of unemployment among the educated youth and there is no doubt in it that it is assuming an acute form. As I said earlier the Government can set up a big naval base in these Islands it should give priority to youngmen of these Islands for recruitment to Navy. Certain percentage of posts in the Navy can be reserved for people from these areas.

The industries there have not been developed as much as they should have been and this is due to inadequate transport facilities. The Government should take steps to tackle the problem of communications with these Islands. It takes long time to reach these Islands. There should be regular and continuous transport arrangements between the Mainland and these Islands.

As far as tourism is concerned there is immense potentiality. Tourist centres can be established in this group of Islands. At present there are certain restrictions on visit to these Islands. Of course certain restrictions have to be imposed in national interest. But citizens of our country should have not only freedom to visit-these islands but suitable arrangements should also be made for their stay. Therefore these Islands should be developed as tourist centres.

Fishery is the major industry in Lakshdweep. There is a great demand for tuna fish in foreign countries. We can earn good deal of foreign exchange through it. Arrangments should be made for cold storages in these Islands so that we can export this fish. The Government should take steps in this regard.

A harbour should be developed there so that ships can stay in that harbour. It will facilitate safe travel for the people who go there.

It is good to change the name of the Island. We cougratulate the people of the island for the new name.

The administrator of the island should understand the difficulties of the people and serve as their servant.

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon): I congratulate the people of Laccadive for the new name. It is not enough to change the name. Some other changes are also necessary. Economic development of the island is necessary for bringing about other changes there.

It is not good to have unemployment and lock of communication in such a scenetic land. Beside renaming the island, we should take necessary steps for its economic development.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा): लक्षद्वीप का मेरे शहर से पुराना सम्बन्ध रहा है। इस द्वीप को केरल से मिलाने का हमारा किसी का इरादा नहीं है। हम उनको संघ राज्य क्षेत्र के रूप में समृद्ध रहने की कामना करते हैं।

यह बात दुर्भाग्य की है कि मार्क्सवादी दल के लोगों ने इस द्वीप में कुछ समय से उपद्रव मचाने का प्रयत्न किया है। इस द्वीप की सांस्कृतिक परम्परा को कायम रखना जरूरी है। इस द्वीप के विकास हेतु बाहर के लोगों विशेषकर पर्यटकों को प्रवेश करने की अनुमति होनी चाहिए। नौसेना में भर्ती हेतु भी इस द्वीप के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अरब सागर और हिन्दमहासागर का महत्व भविष्य के लिए बढ़ता जा रहा है। गार्डियन में प्रकाशित एक लेख में इस द्वीप के महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। विदेश के लोग इस द्वीप के महत्व को समझते हैं लेकिन हमें समझने में देर लगती है।

विकास का कार्य इस द्वीप के नाम परिवर्तन के साथ शुरू होना चाहिए। वहां के लोगों के दिल में यह भावना पैदा करना जरूरी है कि वे इस महान् देश के निवासी हैं। इस द्वीप के विकास हेतु यदि कुछ अधिक राशि व्यय की जाए तो देश के हित में ठीक ही रहेगा।

भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा एयर इंडिया ने लक्षद्वीप में पर्यटन विकास के लिए काफी रुचि दिखायी है। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों ने भी इस द्वीप के लिये रुचि दिखायी है। कालीकट में हवाई अड्डा बनाने की योजना भारत सरकार के विचाराधीन गत 25 वर्षों से पड़ी है। मंत्री महोदय को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री पी० आर० शिनाय : मुझे आशा है कि नाम परिवर्तन द्वारा लक्षद्वीप के विकास का एक नया युग शुरू होगा। इस द्वीप तथा देश के बीच संचार व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। द्वीप-समूह में पर्यटन का विकास भी जरूरी है। इन द्वीपसमूहों में मत्स्यपालन का विकास भी किया जा सकता है। इसे संघ राज्य क्षेत्र ही रखा जाए। भारत के हर निवासी को वहां जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं द्वीप के नाम परिवर्तन का स्वागत करता हूं। इसके साथ लोगों की रहन सहन की स्थिति में भी परिवर्तन लाया जाना चाहिये। इन द्वीपसमूहों के हितों की ओर गत 25 वर्षों के दौरान कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारा उद्देश्य वहां के लोगों की स्थिति में सुधार करना होना चाहिये।

मत्स्य उद्योग के लिये वहां पर्याप्त अवसर हैं। वहां नौसेना का अड्डा भी बनाया जाना चाहिये।

द्वीसमूहों की सांस्कृतिक परम्परा को कायम रखा जाये। मैं वहां के लोगों के विकास तथा समृद्धि की कामना करता हूं।

श्री बूटासिंह (रोपड़) : मैं इस विधेयक को लाने के लिये पंत जी को बधाई देता हूं।

एक संसदीय समिति ने इस द्वीपसमूह का दौरा करने के बाद वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उनकी मुख्य समस्याएं संचार संबंधी हैं। इन दूरस्थ स्थानों के लिये अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्था जरूरी है। मुझे आशा है कि सरकार यहां की कठिनाइयों की ओर अवश्य ध्यान देगी।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वहां के विकास तथा उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दें। डाक्टरों की कमी के कारण वहां जन स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। वहां शिक्षित बेरोजगारी भी है। ये सब समस्याऐं इस क्षेत्र की हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यन्वित करने के लिये वहां के लागों को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

***श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** (कासरगोड) : मुझे इस बात की प्रशन्नता है कि हम ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसका उद्देश्य इन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप रखना है। सामरिक दृष्टि से लक्षद्वीप एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये द्वीप अरब सागर में स्थिति हैं इसलिए इनकी ओर ध्यान देना अपेक्षित है।

यहां के लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यदि शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है तो इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धता बढ़ेगी। यहां उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए। लक्षद्वीप में मछलियां पकड़ने के लिए आधुनिक यांत्रिक उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरकार को यहां रोजगार के साधन पैदा करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के आंदोलन को निरुत्साहित किया जाना चाहिए। लक्षद्वीप में संचार साधन अपर्याप्त है जिसके कारण कोई भी पर्यटक वहां जाना नहीं चाहता है। यहां पर्यटन को बढ़ावा देकर जनता का स्तर ऊंचा किया जा सकता है।

कालीकट में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जाना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव लक्षद्वीप पर भी पड़ेगा। लक्षद्वीप केरल के निकट है। इस क्षेत्र की संपूर्ण प्रगति के लिए सरकार को जागरूक रहना चाहिए। सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह बाहरी तत्वों द्वारा यहां का शोषण नहीं होने दे।

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh):- I welcome the move to rename these islands as Lakshadweep. The Home Ministry has selected beautiful names like Meghalaya, Arunachal, Karnatak, Lakshadweep etc. Such names link us with our present glorious past. It is a matter of pleasure that the new name is not being thrust upon against the wishes of the people. If this had been so, I would have opposed the move. But on the other hand the Central Government is renaming these islands in deference to the sentiments of the people. The Government is paying attention for its development and it has helped in strengthening the national integrity.

I had a opportunity to visit Andman and Nicobar islands at a time when this country was undergoing a great revolution under the dynamic leadership of our Prime Minister. Although situated far off from the Mainland, the people of that island were sharing the same feeling of revolution. I also appreciate the political consciousness and enlightenment of the people of Lakshadweep for their unopposed move in sending a person like Mr P.M. Sayeed have.

There are much scope for Tourism in places like Andman, Nicobar, Lakshadweep. They have their own culture, language, mode of living. But they are all guided by common feeling of patriotism. So efforts should be made to develop infrastructure for tourism there. The Government should make efforts to exploit the rich potential of fishery around Andman, Nicobar and Lakshadweep islands. Provision should be made in the Fifth Plan for more development of these areas. The people of far situated places should have feeling that the Government is giving due consideration for their welfare. With these words I welcome the bill and hope that the change of name will coincide with economic, Social and political changes of the people.

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki): By moving this bill, the Congress Party and the Prime Minister have proved that they are not only interested in removing the social and economic disparities but the safeguarding of the cultural heritage is foremost in their mind as well. The name Lakshadweep signifies the greatness which India commanded in the World Community. This bill provides that efforts will be made to improve comunication system there. It shows that our Government has consideration for the betterment of scheduled castes and scheduled tribes. It is very sad that the Jansangh Party talks of tourism and not of their economic development. With these words I congratulate the Prime Minister and the Congress Party and do hope that the people of Lakshadweep will share the fruits of freedom along with their rest of brethren.

*मूल मलयालम में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malyalam.

***श्री सी० एम० स्टीफन (मुवात्तुपुजा)** : केरल की जनता और इन द्वीपों की जनता लक्षद्वीप के नाम से अपरिचित नहीं है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम आता है। लक्षद्वीप के लोग केरल से आए हैं। उन्हें केरल से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

सरकार को लक्षद्वीप को समृद्धिशाली बनाने में सहयोग देना चाहिए। उनमें यह भावना पैदा की जानी चाहिए कि वे मुख्य भूमि के एक अभिन्न अंग हैं। वहां की जनता सरल स्वभाव की है । उनका विकास किया जाना चाहिए।

लक्षद्वीप में मत्स्य उद्योग संचार संबंधी सुविधाओं शिक्षा आदि की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार को वहां बेरोजगारी दूर करने की प्राथमिकता देनी चाहिए तथा जनता के मन में राष्ट्र के साथ एक होने की भावना जागृत करनी चाहिए में इस अवसर पर श्री सईद और वहां की जनता को बधाई देता हूं तथा इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मनीपुर) : यह प्रसन्नता का विषय है कि कुछ समय पूर्व मैसूर का नाम कर्नाटक रखने संबंधी विधेयक पारित किया गया था। अब लक्षद्वीप मिनिकाय तथा अमीनद्वीव द्वीपसमूह का नाम लक्षद्वीप रखा जा रहा है जिसे वहां की जनता का समर्थन प्राप्त है।

यहां की जनता का जीवन-स्तर अन्य राज्यों की तुलना में अति निम्न है। संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन की जिम्मेदारी सीधे केन्द्र पर है। वक्तव्यों और रिपोर्टों से पता चलता है कि वहां अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। वहां संचार व्यवस्था में सुधार करना अपेक्षित है। यह अभी असंतोषजनक स्थिति में है। इन शब्दों के साथ मैं नए नाम का स्वागत करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : लक्षद्वीप के बारे में यहां हुई चर्चा इस बात का प्रतीक है कि हम राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते हैं और एक-दूसरे के निकट हैं। लक्षद्वीप से आए माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के प्रतिबिंब हैं और उनके द्वारा हम लक्षद्वीप के दर्शन करते हैं। उन्होंने बड़े ही आश्वस्तपूर्ण शब्दों में अपने क्षेत्र के विकास की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है।

लक्षद्वीप का सौंयर्य अनुपम है। अरब सागर में वे मरकतों की कड़ी के समान हैं। अपने वहां के अल्प प्रवास काल में मैं लक्षद्वीप के परिवर्त्तनशील सौंदर्य से मुग्ध हो गया था ये द्वीप काफी हद तक अर्धगोलाकार रूप में है। वहां मत्स्य उद्योग पर्यटन आदि की बातें कही जाती हैं। परन्तु वहां पानी की अत्याधिक कमी है। कुल 32 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र की जनसंख्या 30 हजार के आस-पास है। मुख्य भूमि से ये द्वीप बहुत दूर हैं। यहां नारियल के पेड़ उगते हैं । लक्षद्वीप में पहाड़ नहीं हैं। केवल वर्षा का जल ही पानी का स्रोत है। इसके बावजूद भी हम इस कठिनाई को दूर करने और वहां पर्यटन का विकास करने का प्रयत्न करेंगे।

यह बात गलत है कि हम ने इन द्वीपों की ओर ध्यान नहीं दिया है। वस्तुत: इनके संघ राज्य क्षेत्र बन जाने के उपरान्त देश के अन्य भागों के साथ-साथ यहां भी योजनाएं लागू की गयीं हैं। आरम्भ में संचार सुविधाओं के अभाव और अर्हताप्राप्त व्यक्तियों के न मिलने से योजना सुचारू रूप से लागू न की जा सकी है। परन्तु अब इन कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है। इन द्वीपों के प्रति मेरे मन में प्यार है और उनके विकास में सहयोग देने में मुझे प्रसन्नता होगी।

---

*मूल मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

यहां संचार व्यवस्था की समस्या जटिल है। प्रवाल-शैल-माला एक ओर से इन द्वीपों को घेरे हुए है। इनके प्रवेश द्वार छोटे है और बड़े जहाज नहीं आ सकते हैं। बड़े जहाजों को समुद्र तट पर लाने के लिए हमें लागून में जलमार्ग बनाना पड़ेगा। इस संबंध में वहां कार्य चल रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि हम वहां के विकास कार्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लक्षद्वीप में डिब्बाबंद कारखाना खोला गया है। अब वहां के निवासी मछलियां पकड़ने के लिए दूर-दूर जाते हैं। मत्स्य उद्योग वाणिज्यिक स्तर पर चल रहा है। मेरे माननीय मित्र श्री सईद ने वहां पर्यटन के विकास का उल्लेख किया है। वहां एयर इंडिया का एक दल पर्यटन विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गया था। उसने इसके लिए बंगराम स्थल को चुना। उनके विचार में वहां लंगर डालकर जहाज को खड़ा रखा जाए जिसमें से यात्री उस स्थल का भ्रमण करके वापिस जहाज पर आ जायें। यह संभव हो सकता है,। खैर हमने इस दिशा में शुरूआत आरम्भ कर दी है।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : May I know what is the stand of the Government regarding the elective advisory bodies. These should be democratic in character.

Shri K. C. Pant: If you listen my logic, them you will be able to understand it. The hon. member shri Sayeed knows the position better.

नारियल के पेड़ों का विकास कुटीर उद्योग के रूप में किया जा रहा है। गत कुछ वर्षों से इसके उत्पादन में दुगनी वृद्धि हुई है। मुझे संदेह नहीं है कि इस उद्योग का और आगे विकास होगा। उन द्वीपों की अपनी यात्रा के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि वहां के लोगों में मुख्य भूमि के साथ लगाव की भावना है, वे यहां के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन निवासियों में राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम की भावना विद्यमान है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इन द्वीपों के नए नाम रखने का स्वागत किया है। वहां के निवासी भी इस नए नाम का स्वागत करते हैं, उन्हें वे परिवर्तन स्वीकार्य हैं जो हम यहां करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लक्कादीव, मिनिकाय, और अमीनदीवी द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

सभापति महोदय : अब हम खंड 2 से 8 को लेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गए

CLAUSES 2 TO 8 WERE ADDED TO THE BILL

खण्ड

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 4

"1972" के स्थान पर "1973" रख दिया जाये (संख्या 1)

(श्री कृष्ण चन्द्र पंत)

17 LSS/73—12.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
THE MOTION WAS ADOPTED

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
CLAUSE 1, AS AMENDED, WAS ADOPTED TO THE BILL

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया :
Amendment made

1, पंक्ति 1

"Twenty-third (तेइसवां) के स्थान पर "Twenty-fourth" (चौबीसवां) शब्द रख दिये जाये"
(श्री कृष्ण चन्द्र पंत)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
THE MOTION WAS ADOPTED

अधिनियम सूत्र सं धित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
The Enacting formula, as amended, was added the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया
The Title was Added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पंत . मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
THE MOTION WAS ADOPTED

राज्य सभा से संदेश
Messages from Rajya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:—

(एक) कि राज्य सभा को आंध्र प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 25 जुलाई, 1973 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को उड़ीसा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 1973 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सदस्य की रिहाई
Release of a Member

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को केन्द्रीय कारावास, बम्बई के अधीक्षक से 26 जुलाई, 1973 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :—

"श्री जांबुवंत धोटे, सदस्य, लोक सभा को जुर्माने की अदायगी किए जाने पर आज 26 जुलाई, 1973 को जेल से रिहा किया गया है",

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : विशेषाधिकार के मामले को रद्द समझा जाना चाहिए

श्री समर गुह (कन्टाई) : इसका निर्णय विशेषाधिकार समिति करेगी ,

---

दुर्गापुर उर्वरक कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने में विलम्ब*
Delay in Commencement of Production at the Durgapur Fertilizer Project**

श्री समर गुह (कन्टाई) : दुर्गापुर उर्वरक कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने में विलम्ब के पीछे कोई षड़यंत्र मालूम पड़ता है। यही स्थिति कोचीन उर्वरक कारखाने की है, दुर्गापुर उर्वरक कारखानों और कोचीन उर्वरक कारखाना अपना निर्धारित समय कायम नहीं कर सके हैं, यदि दुर्गापुर, कोचीन, बरौनी तथा नामरूप कारखानों में उत्पादन समय पर आरम्भ हो जाता तो उससे देश की लगभग 33 प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो सकती थी तथा काफी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती थी। इनमें उत्पादन समय पर न हो सकने के कारण उर्वरकों का आयात करना पड़ रहा है। पूर्वी योरुपीय देशों में, जहां से हम उर्वरकों का आयात कर रहे हैं। इनका मूल्य दुगना हो गया है। हमें उर्वरकों के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात है कि ये उर्वरक कारखाने समय पर उत्पादन करने में असफल रहे हैं।

दुर्गापुर परियोजना का शिलान्यास 1965 में शास्त्री जी द्वारा किया गया था। वर्ष 1966 में विदेशी कंपनियों के साथ संयंत्र के डिजाइन आदि से सम्बद्ध करार पूरे किए गए थे। वर्ष 1967 में विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई गई और यह अनुमान था कि 1969 में दुर्गापुर उर्वरक परियोजना में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। अब वर्ष 1973 चल रहा है परन्तु उत्पादन तो क्या अभी तक कारखाना चालू नहीं हो पाया है।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने 24 जुलाई को बताया कि परियोजना को चालू करने में विलम्ब मुख्य रूप से आयातित उपकरण में उत्पादन दोष तथा परीक्षण के तौर पर आरम्भ करने से सम्बद्ध कुछ समस्याओं के कारण हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह यांत्रिक गड़बड़ियां क्या थी और उनके लिए कौन कौन से व्यक्ति जिम्मेदार थे और उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

---

* आधे टे की चर्चा

** Half-an-hour Discussion

17 LSS/73—13

यह आश्चर्य की बात है कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा दुर्गापुर कोचीन, बरौनी और नामरूप का दौरा किया गया, इनकी जांच की गई परन्तु इसने किसी प्रकार की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की है। इतना ही नहीं इन परियोजनाओं को चालू स्थिति में लाने के लिए भी किसी प्रकार के सही सुझाव देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

मैं पहले ही यह बात कह चुका हूं कि जिम्मेदारी निर्धारित करने से पूर्व इस बात की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह परियोजनायें सफलता पूर्वक चालू हो जायें। कार्यवाही समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि दुर्गापुर और कोचीन में हुई असफलताओं के कारणों और बरौनी तथा नामरूप को चालू करने में विलम्ब के कारणों की जांच करने के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञों को निमंत्रित किया जाना चाहिये। गुजरात उर्वरक, कोरामंदर उर्वरक, मद्रास उर्वरक, कोटा उर्वरक और आई०सी०आई० उर्वरक आदि परियोजनायें जिनका आधार और डिज़ाइन भी लगभग वही है, पूर्ण सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। मैं समझता हूं कि इन उर्वरकों में कार्य कर रहे विदेशी विशेषज्ञों को ही पहले इनकी जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए और यदि वह त्रुटियों का पता लगाने में असमर्थ रहे तो फिर विदेश से विशेषज्ञ बुलाये जाने चाहिए।

हमारे उर्वरक मंत्री महोदय बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय में होना चाहिये था क्योंकि उनका साहित्यिक अध्ययन बहुत गहरा है। परन्तु इस मंत्रालय में उनका हाल यह रहा है कि उन्होंने वास्तविक समस्या पर विचार किये बिना ही चार एककों को उत्पादन में लाने में ही गत छह मास का समय व्यर्थ गवां दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय उर्वरक निगम के सम्पूर्ण ढांचे में निराशा, अनैतिकता और विखंडन की भावना पैदा हो गई है। मेरा विचार है कि उन्हें 15 लाख रुपये की हानि जैसे मामलों पर अपनी शक्ति नष्ट करने की अपेक्षा इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि ये चारों एकक अगामी छः महीनों के भीतर चालू किये जा सकें।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria): It is necessary to increase the production of fertilizers for increasing the production of foodgrains in the country. New fertilizer factories should be established and expansion should be made in the existing fertilizer factories for this purpose. All the existing factories should be run to their full capacity. I would like to know from the Government whether there is any plan is increase the production of fertilizers? Is it a fact that fertilizer factories are not producing fertilizer upto the marks? Lastly it is necessary to keep all the Foreign experts in India for these projects?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : यह निश्चय ही खेद की बात है कि दुर्गापुर संयंत्र जो यंत्रवत रूप से सितम्बर 1971 में पूरा हो गया था, अभी तक उसमें एक औंस यूरिया का उत्पादन भी नहीं हो पाया है। इस संयंत्र में उत्पादन आरम्भ करने के लिए 30 बार प्रयत्न किये गये, किंतु आयातित उपकरणों के दोषों के कारण प्रत्येक बार असफलता का मुंह देखना पड़ा। इसी के फलस्वरूप अमोनिया संयंत्र मार्च, 1972 तथा जून, 1973 के बीच के 460 दिनों में केवल 220 दिन तक ही कार्य कर सका। वहां आर०जी० बायलर, बायलर फीड, वाटरपम्पों तथा हाई प्रेशर हीट रिकवरी प्रणाली की असफलता के कारण वहां असन्तुलन समाप्त हो गया।

इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मैंने दुर्गापुर संयंत्र के बारे में बातचीत की थी। मैंने इस विषय में प्रबंधकों के साथ भी बातचीत की और फिर एक बार योजना आयोग की बैठक में भी इस विषय पर विचार किया गया था। इस में संदेह नहीं है कि योजना आयोग के सदस्य, श्री पाठक की सलाह पर हमने उनसे कह दिया था, कि यदि आप उपकरणों के दोषों का पता लगा सकने में असमर्थ हों तो हम इस कार्य के लिए विदेशों से विशेषज्ञों को मंगवायेंगे क्योंकि अधिकांश उपकरण विदेशों से मंगवाये

गये हैं। वास्तव में हमने विदेशी विशेषज्ञों को बुलवा लिया है और वह आ भी गये हैं। यदि वह भी दोषों का पता लगाने में असमर्थ रहे तो फिर हमें इसकार्य के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम सलाह लेनी पड़ेगी।

मैं सभी संयंत्रों के बारे में तो नहीं जानता हूं परन्तु हमारे कोटा, गुजरात और अब गोरखपुर संयंत्र जोकि जापानी संयंत्र हैं, पूर्ण सफलता के साथ कार्य कर रहे हैं।

गत छः वर्षों के दौरान जो लोग कार्यभारी रहे हैं उन्होंने काफी गड़बड़ी पैदा कर दी परन्तु इस छः वर्ष की गड़बड़ को केवल 6 महीनों में ही दूर कर देना संभव नहीं है परन्तु फिर भी मैं इसे शीघ्र से शीघ्र दूर करने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। चर्चा के दौरान इस विलम्ब की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न भी उठाया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि इसकी जिम्मेदारी प्रभारी की ही थी। भारतीय उर्वरक निगम के प्रबंध निदेशक, चाहे वह कितने ही माननीय व्यक्ति क्यों न हों, वही इसके जिम्मेदार कहे जा सकते हैं, जी हां उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि उनके नीचे कार्य करने वाले व्यक्तियों में से कौन इसके लिए उत्तरदायी है।

13 लाख रुपयों के मामले का उल्लेख किया गया है जोकि संदेहास्पद अपराध का मामला है। प्रबंध निदेशक ने इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है। जब यह मामला मेरे पास आया तो मैंने उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच चल रही है तब तक तो मुझे उन्हीं की सलाह पर चलना पड़ेगा। देश के कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं माना जा सकता।

घटिया कच्चे माल के बारे में मैं स्वयं बहुत चिन्तित हूं। जहां तक दुर्गापुर संयंत्र का संबंध है उसके बारे में तो मैंने लोगों में भगवान का भय पैदा करा दिया है। मुझे आशा है कि वह इसे शीघ्र ही पूरा कर देंगे।

नामरूप संयंत्र भी फीड-स्टाक पर अथवा प्राकृतिक गैस पर आधारित है और इस प्राकृतिक गैस की सप्लाई आसाम गैस कम्पनी द्वारा की जाती है। इसके लिए उनके पास कम्प्रैसर नहीं है आसाम गैस कम्पनी के लिए मैंने विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दिलवा दी है। बिजली की सप्लाई इसे आसाम बिजली बोर्ड द्वारा की जायेगी। हमें आशा है कि आगामी छः महीनों में बिजली मिलनी आरम्भ हो जायेगी।

बरौनी संयंत्र की प्रोद्योगिकी लगभग वही है पर इसकी स्थिति अन्य संयंत्रों की अपेक्षा भिन्न है। हमें आशा है कि बरौनी का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा या आगामी वर्ष के आरम्भ में कार्य पूरा हो सकता है परन्तु फिर भी वास्तव में यह उन्हीं लोगों पर निर्भर करता है जिन्होंने कि अन्ततः इस कार्य को करना है।

तथ्यों के अनुसार कोचीन में पहले ही यूरिया उत्पादन का कार्य किया जा चुका है। आशा है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सफल हो जायेंगे। यदि वह लोग अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में असफल रहते हैं तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री समर गुह : आप इन संयंत्रों को चालू करवाइये।

श्री डी० के० बरुआ : उन्हें चालू करने के दो तरीके हैं एक तो अच्छा कार्य करने वाले की प्रशंसा की जाये और दूसरे गलत कार्य करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 31 जुलाई, 1973/9 श्रावण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, the 31st July, 1973/Sravana 9, 1895 (Saka)]

MGIPRRND—17LSS/73—Sec. Ist. NS—10-10-73—490.